# दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही

सत्र-9 दिल्ली विधान सभा के नौवें सत्र का दूसरा दिन

अंक-68

#### दिल्ली विधान सभा

# सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

## निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :-

- 1. श्री ए. दयानन्द चंदीला ए.
- 2. श्री अनिल भारद्वाज
- 3. श्री अनिल झा
- 4. श्री अनिल कुमार
- 5. श्री अरविन्दर सिंह
- 6. श्री आसिफ मो. खान
- 7. श्री बलराम तंवर
- 8. श्रीमती बरखा सिंह
- चौ. भरत सिंह
- 10. डॉ. बिजेन्द्र सिंह
- 11. श्री देवेन्द्र यादव

- 12. श्री धर्मदेव सोलंकी
- 13. श्री हरिशंकर गुप्ता
- 14. डॉ. हर्ष वर्धन
- 15. श्री हरशरण सिंह बल्ली
- 16. श्री हसन अहमद
- 17. प्रो. जगदीश मुखी
- 18. श्री जयभगवान अग्रवाल
- 19. श्री जय किशन
- 20. श्री जसवंत सिंह राणा
- 21. श्री करण सिंह तंवर
- 22. श्री कुलवंत राणा

- 2
- 23. श्री मालाराम गंगवाल
- 24. श्री मंगत राम
- 25. श्री मनोज कुमार
- 26. चौ. मतीन अहमद
- 27. श्री मोहन सिंह बिष्ट
- 28. श्री मुकेश शर्मा
- 29. श्री नंद किशोर
- 30. डॉ. नरेन्द्र नाथ
- 31. श्री नरेश गौड़
- 32. श्री नसीब सिंह
- 33. श्री नीरज बैसोया
- 34. श्री ओ.पी. बब्बर
- 35. श्री प्रद्युम्न राजपूत
- 36. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
- 37. चौ. प्रेम सिंह
- 38. श्री राजेश जैन
- 39. श्री राजेश लिलोठिया
- 40. श्री राम सिंह नेताजी

- 41. श्री रमेश बिधूड़ी
- 42. श्री रविन्द्र नाथ बंसल
- 43. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता
- 44. श्री साहब सिंह चौहान
- 45. श्री सतप्रकाश राणा
- 46. श्री शोएब इकबाल
- 47. श्री श्रीकृष्णा
- 48. श्री श्याम लाल गर्ग
- 49. श्री सुभाष चौपड़ा
- 50. श्री सुभाष सचदेवा
- 51. श्री सुमेश
- 52. श्री सुनील कुमार
- 53. श्री सुरेन्द्र कुमार
- 54. श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल
- 55. चौ. सुरेन्द्र कुमार
- 56. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
- 57. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
- 58. श्री वीर सिंह धिंगान
- 59. श्री विपिन शर्मा

# दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही

सत्र-11 बृहस्पतिवार, 6 सितम्बर, 2012/भाद्रपद 15, 1934 ( शक ) संख्या-83

# सदन 2.00 बजे अपराहन समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

### तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न सं. 41 श्री प्रह्लाद सिंह साहनी।

श्री प्रह्लाद सिंह साहनी: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 41 प्रस्तुत है:-

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, दिल्ली गेट में जले हुए जो लोग इलाज के लिए जाते हैं, उनको इलाज करवाने के लिए बाहर से पटिटयाँ लाने के लिए लिख दिया जाता है, जिनकी कीमत तकरीबन पचास हजार से एक लाख तक होती है.
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि जिस जगह पर जले हुए लोगों को इलाज के लिए भर्ती किया जाता है और उनका इलाज होता है वहाँ पर सीवर लाइनें बंद हैं तथा कुत्ते व बिल्ली वार्ड में घूम रहे होते हैं,

- (ग) यदि हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई; और
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि चांदनी चौक में आग लगने के कारण आग से जले हुए तीन आदमी 9 जून, 2012 को भर्ती हुए थे, लेकिन अस्पताल की लापरवाही की वजह से दो लोगों की मृत्यु हो गई थी, यदि हाँ, तो लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके खिलाफ कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 41 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी नहीं। मरीजों को सभी आवश्यक दवाईयाँ इत्यादि अस्पताल द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं। जिन पट्टियों की बात की गई है, वह एक नई तकनीक है जो िक नैनो कृस्टलाइन सिल्वर पट्टियाँ हैं। यह सीधा ही घाव पर लगाई जाती है जिसका खर्चा पचास हजार से एक लाख तक आता है और ये अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती। यदि किसी मरीज के घरवाले अपनी मर्जी से यह पट्टी लगवाने को कहते हैं तो सीनियर डाक्टर उन्हें ऐसा लिखकर दे देते हैं। अगर उनकी इच्छा हो तो मरीज के घर वाले खरीद कर ले आते हैं। ये पट्टियाँ अति आवश्यक श्रेणी में नहीं आती हैं कि अस्पताल द्वारा खरीदी जायें।

#### (ख व ग) जी नहीं।

(घ) अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अस्पताल में 04 मरीज भर्ती हुए थे, जिसमें से 02 की मृत्यु हो गई थी जो कि गंभीर (थर्ड डिग्री बर्न) थे, इन मरीजों के अस्पताल आने से पहले जहरीला धुंआ इनके फेफड़ों में चले जाने की वजह से इनके फेफड़े खराब हो गये थे एवं सांस लेने में परेशानी हो रही थी। पूर्ण प्रयास के बाद भी उपरोक्त मरीजों को बचाया नहीं जा सका।

अध्यक्ष महोदयः श्री साहनी जी।

श्री प्रह्लाद सिंह साहनी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह सत्य से बिल्कुल दूर है। यह भी ठीक है कि उस समय मुख्यमंत्री महोदया ने आदेश दिया और मंत्री महोदय मेरे साथ गये। उस अस्पताल के अंदर, उस वार्ड के अंदर कृत्ते और बिल्लियाँ घूम रही थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद मंत्री महोदय ने वहाँ एमएस को ऑर्डर किया कि मैं अस्पताल में आ रहा हूँ। जब हम लोग वहाँ अस्पताल में गये तो वहाँ 25 आदमी सफाई में लगे हुए थे। जब कि उस वार्ड में कभी सफाई नहीं हुई। वहाँ 4 में से तीन मरीज इसी कारण से मरे कि वहाँ गंदगी थी। उसके बाद भी वहाँ ये हाल है कि वहाँ स्लॉटर हाउस की तरह लोगों को ट्रीट किया जाता है। मैं ये भी मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि अगर उनको कोई ट्यूब उनके मरीज को दे दी जाती है कि आप अपने हाथ में इकट्टी कर लो और अपने मरीज के जख्म पर लगा दो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इरविन अस्पताल मैं जो मरीज जायेगा, शायद ही कोई किस्मत वाला वहाँ से बचकर आयेगा। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि 4 में से जो तीन आदमी मर गये उनके बारे में कुछ क्लेम दें और उन लोगों के बारे में जो आने वाले मरीज वहाँ दाखिल होते हैं, उनको अच्छी तरह से देखें और मंत्री महोदय को ये भी चाहिए था कि जिस अस्पताल में डाक्टर्स की लापरवाही से वहाँ मरीज मर रहे हैं और वहाँ सब कुछ देखने के बावजूद मेरे साथ जाने के बावजूद इनके सामने वहाँ कुत्ते और बिल्लियाँ घूम रहे थे। 25 आदमी वहाँ सफाई कर रहे थे। अगर मंत्री महोदय ये कहते हैं कि नहीं हुआ तो मंत्री महोदय इस बात को बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं आपको खुल्लम खुला कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय उन ऑफीसर्स को बचाने की बात कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन ऑफीसर्स को दण्ड दिया जाये और उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाये।

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए। मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे माननीय सदस्य ने कहा था। मुख्य मंत्री महोदय के सामने ये बात हुई तो हम दोनों वहाँ चले गये थे। वहाँ पर जो चार मरीज भर्ती हुए थे, उसमें से दो मरीज ऐसे थे जिनको कि बहुत ही बर्न्स थे और उसके अलावा उन्होंने जो धुंआ इन-हेल किया। इसके कारण उनके फेफड़ों में काफी तकलीफ थी और इसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। ये कहना सरासर गलत है कि एलएनजेपी में जो भी जाता है, उसकी ट्रीटमैन्ट नहीं होती है। वहाँ रोज की साढे तीन हजार पेशेन्ट की ओपीडी है, अंदर भी अधिकतम क्रेयर पेशेंट को दी जाती है। ये बात सहीं है कि जो डीप बर्न होते हैं और जब वे प्वाइजनेस गैस इनहेल कर देते हैं, तो दिक्कतें सामने आती हैं। अस्पताल के एमएस को हमने ये डायरेक्शन्स दी थी कि जो भी सफाई है, वह सहीं तरीके से मेन्टेन हो, आपने कहा कि सीवर के अंदर पट्टी डाल देते हैं। अस्पताल में मेन प्रोब्लम यह आती है कि जो भी बेन्डेज वगैरह होती है, कई बार रिलेशन सीवर का अगर मुँह खुला हुआ है तो उसमे ंडाल देते हैं। तो दिक्कते आती हैं, इतने बड़े अस्पताल के अंदर। ऐसी बात नहीं है। जब अस्पताल के अंदर इतनी केयर होती है तभी पेशेन्ट इतने ज्यादा वहाँ पर जाते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि हम अपनी तरफ से भरसक प्रयास ये रखेंगे कि एलएनजेपी एक प्रेस्टीजियस अस्पताल है, जिसमें 1800- 1850 या 1900 के करीब बेड हैं, और उसमें पूरा ध्यान रखा जाता है। आगे और उसके लिए हिदायत दे दी जायेगी।

श्री प्रहलाद सिंह साहनी: अध्यक्ष महोदय, मेरी मंत्री महोदय से ये प्रार्थना है कि जब आपने खुद जाकर देखा वहाँ पर बिल्ली कृत्ते घूम रहे थे और एमएस से बात की गयी और वहाँ सब लोगों ने एतराज किया। उसके खिलाफ मंत्री महोदय क्यों नहीं कुछ करना चाहते

हैं? क्या मंत्री महोदय XXXX तब उसको दंडित किया जाता। मुझे यह नजर आता है कि मंत्री महोदय वहाँ गये, वहाँ उनके साथ पक्षपात कर रहे हैं, और उन लोगों की साइड ले रहे हैं। उन अस्पताल के कर्मचारियों की फेवर कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मंत्री महोदय को ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जायें ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाये।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं यह डैटा प्रस्तुत करना चाहूँगा जो कि Burns Ward है। जनवरी के महीने में 101 मरीज भर्ती हुए थे, फरवरी में 114 patient भर्ती हुए थे, मार्च में 149 patient भर्ती हुए थे, अप्रैल में 95 patient भर्ती हुए थे, मई में 112 patient भर्ती हुए थे, जून में 170 patient भर्ती हुए थे, जुलाई में 108 patient भर्ती हुए थे और अगस्त में 83 patient भर्ती हुए थे, टोटल 932 patient इस वार्ड के अंदर भर्ती हुए थे और बर्न्स वार्ड के लिए ये कह रहे हैं कि कुत्ते, बिल्ली घूमते हैं। अगर इतना बड़ा हॉस्पीटल है। अगर कोई कुत्ता घूम रहा है तो उसे कोई वार्ड में नहीं आने देता। बिल्लियाँ हैं, जहाँ आप कैट्स की बात कहते हैं तो कैट्स तो कहीं भी पहुँच जाती हैं। परन्तु अस्पताल पूरे तरीक से यह कोशिश करता है कि वो अपने सब दरवाजे बन्द रखें। कोई भी एनीमल अन्दर न आये। इतनी बड़ी प्रैमिसिस है, उसके अंदर देखभाल करना और ख्याल रखना, यह बड़ी एक मेहनत का काम है जिसको सभी डॉक्टर्स मिलकर करते हैं।

अध्यक्ष महोदयः श्री बिजेन्द्र सिंह, बोलिए।

**डॉ. बिजेन्द्र सिंह:** आदरणीय स्पीकर साहब, हमारे सम्मानित साथी ने आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया है आप इस तरह के words delete कर दें। मेरी यह भावना है।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, मंत्री जी दिखवा लेंगे और कोई समस्या कुत्ते बिल्ली की होगी तो उसको दूर करा लेंगे। श्री नसीब सिंह।

श्री नसीब सिंह: वे आपत्तिजनक शब्दों को डिलिट करने के लिए कह रहे हैं। लगता। वे गुस्से में कह गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री: मुझे इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं इनको एडॉप्ट कर लूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अभी साहनी जी ने कुत्ते बिल्ली का सवाल उठाते हुए एक बात स्वास्थ्य मंत्री जी को कहीं है मैं इन शब्दों को expunge करा रहा हूँ। मतीन साहब।

श्री मतीन अहमद: अध्यक्ष जी, इन्होंने जो कुछ कहा है वो गलत कहा है। इनको यह नहीं कहना चाहिए था।

श्री प्रहलाद सिंह साहनी: स्पीकर सर, मैं यह कहना चाह रहा था कि उन लोगों को जो बच्चे जिनकी डैथ हुई है। उनमें एक 28 साल का बच्चा था, एक कोई 30-35 साल का था। सरकार की तरफ से उनको कोई न मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनके घर के अंदर आग नहीं लगी, बहार किसी के घर के अंदर आग लगी वो उसकी आग बुझाने के लिए गए थे। इसलिए मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि सरकार उनको कुछ न कुछ मुआवजा दे।

अध्यक्ष महोदय: कोई अन्य सदस्य बोलने वाले तो नहीं हैं। तरिवन्दर मारवाह जी, मैं उनको कुछ कहूँ तो वो उसका कभी भी बुरा नहीं मानते और ये यदि कुछ कहें तो मैं बुरा नहीं मानता। मैं इन्हीं पर एक बात कह रहा हूँ।

# घटम निधत्वा पटम छित्वा कृत्वा राषम रोहणम। येनकेन प्रकारेण पुरुषो परसिद्धो भवेत।।

इसका हिन्दी में अर्थ ये हैं कि-

किसी के घड़े फोड़ने पड़े और किसी के कपड़े फाड़ने पड़ें या गधे की सवारी करनी पड़े लेकिन प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। तरविन्दर सिंह मारवाह जी।

श्री तरिवन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से बड़े प्यार से पूछना चाहता हूँ कि एक तो हर हॉस्पीटल में हमारी जो कमेटियाँ बनी हुई हैं, उसका काम बड़ा रुका हुआ है। दूसरी बात, क्योंकि सारी अफसरशाही चल रही है और साहनी साहब जो कह रहे हैं। डॉक्टर उसके लिए कुछ भी करना पड़े, डॉक्टर साहब को करना चाहिए। दूसरी बात, एक कमेटी बना रखी है जिसमें जो लोग गरीब हैं, बी.पी.एल वाले हैं, उनको कोई तकलीफ-हो और उनके कोई पास कोई पैसा न हो तो उनको माफ कर दिया जाता है। उनका फ्री इलाज होता है। अध्यक्ष जी, मैं यह कहूँगा कि जिसको emergency तकलीफ होती है। जैसे बाई पास सर्जरी एकदम करना है या स्टन्ट एकदम चेन्ज करना है। उसके लिए वो एक एक महीने इंतजार करता रहता है। जब वो कमेटी बनेगी तो उसका पास होगा। उसके बाद उसका इलाज किया जायेगा। अध्यक्ष जी, जिसको आज जरुरत है। उसको अगर महीने बाद जब तक वो बेचारा चक्कर लगाकर गरीब आदमी अपने ऊपर ही चला जाता है। उसके लिए कोई ऐसी emergency सहायता होनी चाहिए। उस गरीब आदमी को at a time इलाज हो। उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जी बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

अध्यक्ष महोदयः स्वास्थ्य मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहुँगा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो रोगी कल्याण समिति की बात कही है।

इसका काम है कि जो हास्पीटल की इंटश्नल वर्किंग है। उसको देखना कि अगर एमएस को कोई दिक्कत आ रही है, दूसरे विभागों से प्रोबलम आ रही है, उसको भी टेक अप करना। उसके अंदर डिप्टी कमीश्नर एमसीडी भी हैं, डिप्टी कमीशनर रेवेन्यू भी है। उस कमेटी का काम केवल हास्पीटल को देखना है परंतु अगर कहीं स्टंट की बात आती है या इलाज की बात आती है तो उसको दिल्ली आरोग्य निधि की तरफ से पैसा देते हैं। 24,200 रुपये एक साल की लिमिट थी, इसको मुख्य मंत्री जी ने बढ़ा कर के, अब दिल्ली आरोग्य कोष हमने शुरु किया है, दो लाख तक जिसकी इन्कम है, उसको हम फाइनेंशियल फंड देते हैं और वो भी पाँच लाख रुपये तक दी जायेगी। उसमें यदि किसी को जरुरत है, अगर किसी कि किडनी या लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराना है, बोनमैरो कराना है या कोई बाइपास सर्जरी करानी है तो उसके अंदर हमारे जो दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, केन्द्र सरकार के हैं, और लोकल बॉडीज हैं या ऑटोनॉमस बॉडी हैं, उसके अंदर हम इतना पैसा उपलब्ध कराएंगे और इसके साथ ही क्योंकि आजकल बहुत से डायलेसिस के मरीज आ रहे हैं तो जब तक हमारी डायलेसिस मशीन शुरु होगी हमने यह प्रावधान किया है कि 1500 रुपये हम प्राइवेट में भी मरीज की ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध कराएंगे। कोई भी मरीज जो प्राइवेट में अपना इलाज डायलेसिस का करा रहा है. 1500 रुपये देंगे। इसमें कोई डिले नहीं होती हमारे पास मरीज आता है हम शीघ्र ही बाई रोटेशन अप्रूव कर देते हैं और दो तीन दिन के अंदर उसको चैक हास्पीटल में भिजवा दिया जाता है।

#### अध्यक्ष महोदयः मारवाह साहब।

श्री तरिवंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, मैंने तो डॉक्टर साहब को कुछ भी घुमाफिराकर के नहीं कहा मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि एक बीपीएल कार्ड वाला है, एट ए टाईम अगर उसको कोई तकलीफ हो जाती है और वो हास्पीटल गया है, उसके पास पैसे नहीं है, उसी समय आपकी ऐसी कोई इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए, यह मीटिंग जो इनकी

होती है इसमें डायरेक्टर भी हैं, दूसरे भी हैं, कम से कम इसमें 12-13 लोग हैं। यह भी हमें मालूम है कि पाँच लाख रुपया दे रहे हो, यह भी मालूम है, मैं केवल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ जिसको इमरजेंसी चाहिए, जिसको उसी समय डाक्टर लिख दे कि इसकी किडनी शाम को ही बदली जानी चाहिए या लिवर में कोई दिक्कत है या इसका बाईपास एट ए टाइम जरुरी है उस समय वो कमेटी के पास जाएगा या डैथ हो जाएगी। मैं सिर्फ मंत्री जी से ये पूछ रहा हूँ कि गरीब आदमी के लिए ऐसा कोई सिस्टम करे कि जाते ही उसका इलाज हो जाए, नहीं तो ये 15-15, 20-20 दिन परेशान रहते हैं। ये डाक्टर साहब से पूछे, मेहरबानी हो तो बता दें, नहीं तो रहने दे।

#### अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक बात तो कहीं थी रोगी कल्याण सिमित की। उसके लिए हमने अस्पताल को निर्देश दिए हैं कि वो अपनी रैगुलर मीटिंग करे। दूसरा उसको अगर कहीं तकलीफ होती है तो एमएस को पावर है कि वो ईडब्लूएस कोटे के अंदर कंसीडर कर लेते हैं और उसका इलाज करते हैं। अब हमने डारेक्टर-हैल्थ सिविंसस को पच्चीस हजार रुपए की पावर दिल्ली आरोग्य कोष में दी है कि अगर किसी को कैट स्कैन कराना है, एमआरआई कराना है, या जो भी छोटी मोटी ट्रीटमेंट है तो वो डायरेक्टली, डारेक्टर-हैल्थ सर्विसस अप्रव करेंगे।

श्री तरिवंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, वो तो पच्चीस हजार रुपए की ये कह रहे है, एमआरआई भी हो जाएगी। मैं जो पूछ रहा हूँ मैं तीसरी बार खड़ा हो गया हूँ, डाक्टर साहब। आप कमरे में बैठे रहो। गरीब आदमी जो एट ए टाइम वहाँ पर जी.बी. पंत पहुँच जाए, उसको एट ए टाइम डॉक्टर कह दे अभी उसका इलाज करना है, उसके लिए क्यों नहीं प्रावधान कर रहे, आप लोग। इमरजेंसी के लिए बताओं, कोई भी सदस्य बता दे कि अगर एट ए टाइम कुछ इलाज है तो बता दे।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को ये जानकारी दे रहा हूँ कि किसी को एमरजेंसी के अंदर जरुरत होती है। उसको हम बाय रोटेशन अप्रूव करते है। उसको पांच लाख रुपए तक भी बाय रोटेशन अप्रूव करते है। उसको पांच लाख रुपए तक भी बाय रोटेशन अप्रूव करते है। उसको पांच लाख रुपए तक भी बाय रोटेशन हम अप्रूव करेंगे। उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है हमारे पास, 24 घंटे कोई भी व्यक्ति आता है, उसको जरुरत होती है, उसको भी कुछ फारमैल्टी पूरी करनी होती है। उसको अपना इनकम सर्टिफिकेट देना होता है। हमें ये देखना होता है कि उसके पास राशन कार्ड दिल्ली का है, या नहीं। उसके पास अपना आई कार्ड है या नहीं है। ये कुछ फारमैल्टी करनी होती है परंतु बाई रोटेशन जो है हम अगले दिन तक भी इश्यू कर देते हैं। किसी भी मरीज को आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पैसे मिलने में कोई देरी हुई हो।

अध्यक्ष महोदयः चौधरी मतीन अहमद जी,

श्री चौधरी मतीन अहमदः अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से मालूम करना चाहता हूँ कि रोगी कल्याण समिति हर अस्पताल में बनी है। उसका साल में फंड कितना है और आज तक खर्च कितना हुआ।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूँगा, इसके लिए इनीशयली पांच लाख रुपए का प्रावधान किया गया था और अलग-अलग अस्पताल ने अलग-अलग खर्चा किया है। उसका ब्यौरा हम मंगवाकर दे देंगें।

चौ. मतीन अहमद: अध्यक्ष जी, एक रुपया खर्च नहीं हुआ। ऐसे प्रावधान हैं। रोगी कल्याण सिमिति उसमें कुछ कर ही नहीं सकती। आप उसको सरलीकरण किरएगा। कहीं एंबेलुस के ड्राइवर की जरुरत है या कोई और जरुरत है, जो अस्पताल में खर्च हो सके।

अध्यक्ष महोदयः श्री विपिन शर्मा जी,

श्री विपिन शर्मा: मैं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री डॉ. वालिया जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, और लगातार हमारी दिल्ली के अंदर लीवर की, किंडनी की, कैंसर जैसी बीमारियाँ लगातार अस्पताल के अंदर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे देश के अंदर जो कैंसर की बीमारी होती है, ब्लड कैंसर की जो बोज मैरो ट्रांसप्लांट होता है, वो हमारे दिल्ली शहर के अंदर किसी अस्पताल में नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो किस अस्पताल में हो रहा है और वहाँ क्या-क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं, क्योंकि ये एक ऐसी भयानक बीमारी है, मैं भी इस बीमारी से जूझ चुका हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री डा.वालिया जी ने मेरे इलाज का प्रबंध विदेश में कराया था। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली वासियों को इस बीमारी से निजात दिलाना के लिए कोई ऐसी तकनीक जो बाहर देशों के अंदर हैं, हमारी दिल्ली के अंदर सड़कें बढ़िया है, शिक्षा बढ़िया है, तो ये चीज भी हो सकती है, जो चीज बाहर हो रही है। वो हमारे दिल्ली शहर के अंदर भी हो, जिसका नाम बोन मैरे ट्रांसप्लांट है।

अध्यक्ष महोदय: श्री नसीब सिंह जी

श्री नसीब सिंह: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अगर बीपीएल या गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग अपना इलाज कराने किसी अस्पताल में चले जाते है और उनके पास एट ए टाइम कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं होता कि जिससे वो फ्री इलाज करा सकें, या उसमें कोई छूट मिल सके। अगर उस सर्टिफिकेट को बनवाने में या उसको सबूत देने में अगर पांच दिन या एक सप्ताह लग जाता है तो क्या वो मरीज जब से भर्ती हुआ है और जब तक वो सर्टिफिकेट बनवाकर लाता है और दिखाता है कि मैं गरीब हूँ और गरीबी रेखा में आता हूँ तो क्या उस पीरियड की कोई छूट उसको मिल

सकती है या नहीं मिल सकती। क्योंकि वो तो मर जाएगा। एक सप्ताह की फीस में इतना पैसा लगेगा वो तो उसी में मर जाएगा अगर पांच लाख रुपए उसे देने पड़े तो उसका फायदा भी कुछ नहीं है।

अगर पांच लाख होते तो सर्टिफिकेट या बीपीएल का वो अपने आपको बताता ही नहीं। तो सर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा प्रावधान है सरकार के कायदे-कानून में या कुछ करने की कोई गुंजाइश है।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी। जितने हमारे सरकारी अस्पताल है और वहाँ पर कोई मेजर सर्जरी की जरुरत पड़ती है उसके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो वो डारेक्टली एमएसीस को अप्रोज कर सकता है उनके पास ये प्रावधान है कि वो उसकी फ्री ट्रीटमेंट वहाँ कराते हैं। दूसरी बात कुछ हमारे यहाँ पर जो प्राइवेज अस्पताल है, जिसमें कि दस प्रतिशत हमारा फ्री कोटा है। उसके लिए हम लोग मरीज को रैफर करते हैं। वहाँ फ्री ट्रीटमेंट होती है। अपोलों में हमारे पास इंडोर का 25 प्रतिशत फ्री कोटा हैं। जिसके अंदर जितने टैस्ट होते हैं या दवाईयाँ मरीज को प्रोपर करनी होती है बाकी जो है पूर्ण रुप से फ्री इलाज होता है। हमारे सामने दिक्कत जब आती है मरीज पहले तो जाकर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो जाता है उसके बाद वो आकर कहता है कि साहब आप मेरे को पीछे का पैसा भी माफ करा दीजिए। उसके अंदर हमें दिक्कत आती हैं। परंतु फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी जो सहायता हो सकती है, वो हम करें। नहीं तो प्राइवेट अस्पताल का यह कहना होता है कि मरीज प्राइवेटली हमारे पास आया है। आज आप उसका कह रहे है कि पीछे का पैसा भी माफ कर दीजिए। उसके लिए वो लोग नहीं मानते। हमारी पूरी कोशिश यहीं रहती है। मरीज का जितना वैलफेयर हो सकें तो, उतना करे।

श्री नसीब सिंह: अगर उस समय वो सिर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा है तो ये प्रोविजन तो होना चाहिए कि जब से वो भर्ती हुआ है, अगर वो गरीबी रेखा का अपना सबूत दे रहा है क्योंकि कई बार सिर्टिफिकेट नहीं बनवा पाता है, उसमें हफते–10 दिन लग जाते हैं तो सरकार को ये प्रोवीजन करना चाहिए कि जब से वो भर्ती हुआ है तब से माफ किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी

स्वास्थ्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष जी, जितने प्राइवेट अस्पताल है या ट्रस्ट के अस्पताल हैं जिसके अंदर यह 10 प्रतिशत की स्कीम लागू होती है उसके अंदर जाकर जब मरीज एडिमट होता है तो उस समय नार्मली वह रैफरंस हमारे से लेकर जाता है और हम ये लिखकर देते हैं कि ये मरीज गरीब है इसको इस कोटे में दिया जाए। जब वो जाकर प्राइवेट रुम में एडिमट हो जाता है उसके बाद पांच दिन बाद उसे पता चलता है कि यह फ्री सुविधा है उस समय वह फ्री सुविधा कि मांग करता है हम उसको वो भी करते हैं परंतु उसको पुरानी तिथि से पैसा दिलवाना वो हमारे लिए ठीक नहीं रहता क्योंकि वो एज ए प्राइवेट पेंशेट एडिमट हुआ है।

श्री नसीब सिंह: डॉ साहब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जैसे लीवर का जो सरकारी अस्पताल है उसमें क्या एक भी केस ऐसा नहीं होगा जिस समय उसको डिस्काउंट की बात की गई। एक गरीब पेंशंन्ट जिसकों मैंने भी रैफर किया था, आपने भी रैफर किया था। गरीबी रेखा से नीचे का सबूत देने के बाद भी अगर उसको लोगों से पांच लाख रुपए इकटठे करके जमा कराने पड़ें। अगर ऐसा प्रोविजन आप नहीं करेंगे सरकारी अस्पतालों में भी। सरकारी अस्पताल जो लीवर का है, बसंत कुंज में। उसमें भी अगर पैसे देने पड़े गरीब आदमी को तो वो क्या करेगा। डा. साहब कुछ करिए। जो काम आपने पिछले 10 सालों में किया था अब काम बहुत ढ़ीला हो रखा है। अब आप उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए, लोगों की मदद होनी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री: माननीय सदस्य, पेंशंट जो है वहाँ पर एडिमट हो गया उसके पांच दिन बाद इन्होंने मेरे को रैफर किया कि इसको आप फ्री बैड दिला दीजिए। हमने भी रैफर कर दिया कि इसको फ्री बैड दे दिया। फिर इनका फोन आया कि इस पेंशंट को पीछे का भी जो पैसा है वो भी आप माफ कराईए। मैंने कहा यह हमारे रुल में नहीं है आईएलबीएस Institute of Liver and Bilary Sciences जो उसकी गाइड लाइन बनी है उसको वो लोग फॉलो करते हैं इन्होंने कहा नहीं जी, आप इसको लिखकर दीजिए। मैंने फिर लिखकर दे दिया। अब उन्होंने ये कहा कि ये हमारे रुल्स में नहीं है ये बात। हमारी मैनेजमेंट बॉडी है, हम इसको उसमें रखेंगे और डिस्कस किया जाएगा। तो इसके अंदर कहीं न कहीं, कोई रुल तो फॉलो होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना रुल के हर एक चीज चलेगी।

श्री नसीब सिंह: आप वहाँ बैठकर के रुल बना रहे हैं। उस रुल में उस गरीब आदमी को भी तो देखना पड़ेगा कि कैसा होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि जो आपने कर दिया। आप नहीं देखेंगे कि गरीब आदमी की क्या जरुरत है, वो बात रिपीट होती है कि गरीबी रेखा में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय: नसीब सिंह जी बैठिए, सदन की नेता बोल रही है।

Chief Minister: Sir, I am very sorry to hear some of our honourable Members used words which should not be used. आप एक बात समझा लीजिए, मैं सब सदस्यों से यह कह रही हूँ, सदन मैं यह कहना चाहती हूँ कि सरकार बहुत सारी स्कीमस लाती है। बहुत सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन उनकी भी सीमा होती है किसी सीमा के अंदर करना पड़ता है। क्योंकि एकाउटेंट जनरल होता है, दुनिया भर के और एकाउटेंटस होते हैं। उस सीमा के अंदर हमें करनी चाहिए और वो करनी पड़ती है। तो ये

चीजें थोड़ी बहुत आप लोगों को पता हो। मैं डा. साहब से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि एक तो आप एक सर्कुलर निकाल दीजिए कि इन सीमाओं के अंदर होती है I think that would be a good idea. We just do that so that they know कि भई यहाँ तक है इसके beyond हम नहीं जा सकते। क्योंकि कायदे कानून हैं और कायदे कानून में अगर हम नहीं चलेंगे तो या जो डाक्टर, या मैडिकल सुपिरटेंडट या मंत्री महोदय को फॉलो अप कर दिया जाएगा। तो वो तो नहीं हम रिस्क ले सकते। प्लीज मेरा निवेदन यह है कि एक छोटी सी बुकलेट आप बना दीजिए जिसमें इनको कायदें कानून हर अस्पताल के इनको पता चल सके। उसमें फायदा हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष जी, मुझे प्रशन तो नहीं पूछना चाहिये लेकिन बहुत संबंधित है मैं आपके माध्यम से डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो हमारे लगभग 90 हजार मजदूरों से संबंधित है और उस योजना के अंतर्गत इंडियन मेंडिकल एसोसिएशन जो है उसने वर्कर्स का इलाज करने से इंकार कर दिया क्या कारण है हालांकि कारण यह है कि जो बिल तय किए गए थे अब उनका कहना है कि वह बढ़ाये जाये। पहला तो मैं डॉक्टर साहब से यही निवेदन करुँगा कि इतने हजारों मजदूरों के स्वास्थ्य की चिंता है उनका इलाज कहीं नहीं हो रहा, यह भारत सरकार की एक योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जिसके अंतर्गत 30 रुपये में वह किसी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं लेकिन आज हॉस्पिटलों द्वारा इलाज से इंकार करने के बाद उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। तो इस संबंध में डॉक्टर सहब क्या करे नंबर 1, नंबर 2 में हालांकि प्रश्न जुड़ा हुआ है कि भाई विपिन शर्मा ने जो कहा है मानवीय आधार पर यह आवश्यक और एक ऐसी बीमारी है जो दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है। दिल्ली में जहाँ हम इतने अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल बना रहे हैं, हमारे Super Speciality Hospitals बन रहें हैं वहाँ डॉक्टर साहब कैंसर के बारे में जो विपिन शर्मा ने कहा निश्चत रुप से दिल्ली सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, पहले तो मैं माननीय सदस्य का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इनके पास लेबर डिपार्टमेंट था और यह स्कीम ये देख रहे थे इन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करी और उसके बाद वो मेरे पास आ गई है स्कीम जो है उसके लिए मैंने परसो ही मीटिंग ली है और जो कहते हैं कि दिक्कत यह आई थी कि इंश्योरेंस कंपनी ने डॉक्टर्स के पैसे नहीं दिये और इंश्योरेंस कंपनी यह कहती है कि सरकार ने हमारे पैसे नहीं दिये हैं तो उसको हम लोग वर्क आउट कर रहे हैं कि यह स्कीम सक्सेसफुल हो, इसके अंदर maximum number of labourers को हम बेनिफिट दे सके तो यह हमारा पूरा प्रयास है परंतु आपने बड़ी योग्यता के साथ, बड़ी मेहनत के साथ उसमें कार्य किया है हम उसको ज़रुर आगे बढ़ायेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस स्कीम को बढ़िया तरीके से चलाया जाये। दूसरी बात हमारे विपिन जी ने जो बात कहीं है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है और भी कई हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है परंतु आपका जो केस था उसके अंदर आपकी भी नॉलिज में होगा जो डॉक्टरों ने बताया कि वो मैच नहीं करती थी इसके कारण आपने लंदन में जाकर इलाज कराया। हम पूरा प्रयास करेंगे कि दिल्ली में भी best possible facility है Bone Morrow ट्रांसप्लांट की, वो उपलब्ध कराये। क्योंकि सरकार की तरफ से भी पाँच लाख रुपये का प्रोविजन किया गया है जिसके अंदर हमारे जैसे ILBS है उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ऐसा प्रोविजन करें।

श्री प्रहलाद सिंह साहनी: अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। अगर मंत्री कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो यहाँ एमएलए के पास बैठकर पूछे। अगर मंत्री पूछते हैं तो हमारा हक कहाँ जाएगा? मंत्री से सवाल पूछता है तो वहीं पूछ लिया करे, यहाँ आकर न पूछे।

अध्यक्ष महोदय: कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। देखिये डॉक्टर साहब ने बड़े सटीक जवाब दिये हैं। लेकिन मैं उनसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि राजनीति में दण्ड को धर्म माना गया है।

> दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्डेव अभिरक्षति। दण्डः सुप्तेशु जागृति दण्डं धर्मम् विदुरबुधाः॥

दण्ड जो है सोते हुए में जागते का काम करता है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा इलाज करते हैं, ध्यान देते हैं लेकिन हमारे यहाँ जितने भी प्राइवेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको रवैया ठीक नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको दूँ, एक लड़कें का एक्सीडेंट हुआ, एक पैर में कम से कम 20 फ्रैक्चर हुए। लखनऊ हॉस्पिटल में उसको एडिमिट कराया गया। मैं समझता हूँ कि शायद मुख्यमंत्री जी को उसका पता होगा। वहाँ ठीक नहीं हो पाया उसको air-desk करके दिल्ली लाया गया। दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। डॉक्टर्स ने पैर तो बचा लिया लेकिन बिल जानते हैं कितना आया 27 लाख रुपये और जब आधा बिल पे कर दिया तो दिल्ली सरकार को कहा गया कि इसमें और कुछ यदि हो सकता हो तो करिये। हमने किया, हम सीधे हॉस्पिटल गये और उनको कहा कि जितना पैसा अब तक आप ले चुके हैं उससे आगे एक पैसा नहीं लेना है। इस भाषा में जब कहा तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम नहीं लेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि थोड़े से दण्ड को मजबूत रखिये।

**मुख्यमंत्री:** Sir, I would like to say one thing ये सब अपने माननीय सदस्यों की जानकारी के दिए दे रही हूँ। सर, जिस उदाहरण की आपने बात की है ऐसे उदाहरण बहुत

आते हैं। डॉक्टर साहब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि 30 प्रतिशत हमारे पेशोंटस जो हैं बार से आते हैं। हम अपने पेशोंटस का तो करते ही हैं और जहाँ तक होता है मुझे नहीं समझ में आ रही अगर जो प्रहलाद सिंह साहनी जी सीधे ही यह बात कह देते कि इस तरह से दो पेशेंटस जल गये हैं इसलिए हम चाहते हैं कि उनको कुछ राहत दी जाये, हम कर देते। कोई इतनी बडी, लम्बी कृत्ते, बिल्लियों की बात करने की आवश्यकता नहीं थी जो मेरा प्वाईट यह है सर, ये चीजें करते हैं और जहाँ तक हो सकता है अब विपिन जी ने बताया इनको हमने भेजा, यहाँ पर भी भेजा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो भी हमने किया, बहुत सारे काम लिए लेकिन कुछ हमारी भी सीमाएँ हैं please understand that, it is not unlimited कि हम जो 10 करोड़ मांगें, हम 10 करोड़ दे दें, 10 लाख मांगे 10 लाख दे दें, पांच लाख मांगे, पांच लाख दे दें। हमारी सीमाओं के अंदर जो हम कर सकते हैं और जैसा मैंने कहा सर, 30 प्रतिशत हमारे पेशेंटस का भार दिल्ली सरकार ले रही है और मुझे कोई भी केस आप ऐसा बता दीजिएगा नहीं तो पेपर्स तो सारे भर जाते हैं इन चीजों से कि दिल्ली के हॉस्पिटलस में काम खराब हो रहा है। प्रेशर ज़रुर है, जी. बी. पंत में भी है, हमारे एल.एन.जे.पी. पर भी है, आर.एम.एल. पर भी है, बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल्स में इतना ज्यादा प्रेशर है, अगर जो एक्सीडेंट नोएडा में होता है, 30 लोग घायल होते हैं तो किरण वालिया जी और मैं गई थी, हमारे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में, कोई नोएडा में हॉस्पिटल नहीं था, उनको हमने ट्रीट करा तो ये भी बाते हैं सर, अब कोई एक केस हो सकता है कि जिसमें ठीक नहीं है जिसको बहुत ज्यादा है हम करोड़ रुपये नहीं कर सकते हैं सर और खास कर उसको नहीं कर सकते हैं जो बाहर से आया हुआ है। वो सरकार की भी जिम्मेदारी है, हम उनका इलाज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यह है कि प्लीज आप समझियेगा बात को और आप जानते हैं प्रहलाद सिंह जी जानते हैं सब मैम्बर्स जानते हैं कि जहाँ तक कोई मृत्यु होती है कोई इस तरह का एक्सीडेंट होता है कोई जल जाता है, हम देते हैं रुपया। पर अगर हमें पता ही नहीं चलेगा

तो फिर कैसे देंगे सर। देते हैं बिल्कुल देते हैं आप प्रह्लाद जी भेज दीजिएगा इन दोनों का नाम हम कल्याण समिति से दे देंगे उनको क्योंकि यह तो एक्सीडेंट की बात है ना।

अध्यक्ष महोदय: माननीया मुख्यमंत्री जी ने बात कही हैं वे शतप्रतिशत ठीक हैं। दिल्ली पर पेशेंटस का बहुत ज्यादा दबाव है दिल्ली से बाहर के जितने भी अस्पताल हैं वे किसी भी राज्य मैं हों चैन्नई को छोड़कर, वे सब-स्टैंडर्ड हैं, दिल्ली के मुकाबले का कोई भी नहीं है। लेकिन सदस्यों की जो चिंता है हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा रोगी आते हैं उनके तीमारदार भी साथ आते हैं, कई बार सोने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, कई बार उनको खाना भी उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन सरकार जो कर रही है वह ठीक है, मेरा तो मात्र इतना सा निवेदन है कि इसकी गित को और बढ़ाया जाये। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अनुदान दे सकें, जो सहायता कर सकें वह हमें करनी चाहिए। मुझे पता है माननीय मुख्यमंत्री जी का इशारा किस और है दिल्ली सरकार वैसा करती है। 11 लाख रुपये तक भी आरोग्य निधि से अनुदान दिया जाता है, कई बार इससे भी ज्यादा दिया जाता है। लेकिन साहनी साहब और उनके बाद जितने भी सदस्य बोले हैं उनकी जो चिंता है वह भी वाजिब है। अगला प्रश्न रखें श्री विपिन शर्मा जी।

श्री विपिन शर्मा: अध्यक्ष जी, आपकी अनुमित प्रश्न संख्या 43 प्रस्तुत है-क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि रोहताश नगर विधान सभा क्षेत्र में स्थित चुनाव कार्यालय में वहाँ के निवासियों ने वोटर आई कार्ड की त्रुटियों को ठीक करने, वार्ड नं. बदलाने, गुम हुए आई कार्डो को पुन: बनवाने इत्यादि से संबंधित आवेदन किए हुए हैं,
- (ख) यदि हाँ, तो ऐसी कितनी शिकायते हैं, और

(ग) इन त्रुटियों को कब तक दूर कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय-मंत्री जी।

परिवहन मंत्री-अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 43 का उत्तर इस प्रकार है-

- (क) जी हाँ।
- (ख) इस संबंध में त्रुटियों को दूर करने के लिए 1753 आवेदन प्राप्त हुए हैं परन्तु कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- (ग) 1753 प्राप्त फार्मो मे से 1563 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है बाकी बचे सभी आवेदनों पर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार उचित कार्रवाई की जा रही है।

अध्यक्ष महोदयः श्री विपिन शर्मा जी।

श्री विपिन शर्मा-माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, कुछ दिन पहले इस सिलिसिले में मेरी मंत्री जी के साथ मीटिंग भी हुई थी इन्होंने अपने अधिकारियों को भी बुलाया था, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। जिन लोगों के वोटर आई कार्ड थे वे लोग धक्के खा रहे हैं, जिसको हम लैटर लिख कर देते हैं उसका काम नहीं होता है, बिल्क वहाँ पर जो बाहर दलाल बैठे हुए हैं वे पैसे लेकर वहाँ काम कराते हैं। उन दलालों को वहाँ से हटाकर ऐसी प्रणाली बनाई जाए कि जो विधायक का लैटर जाए उस पर फौरन एक्शन हो और उसका वोटर आई कार्ड बना दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय-मंत्री जी।

परिवहन मंत्री- अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है इसमें कोई शक नहीं कि वी.सी. के बाहर कुछ दलाल बैठे हुए हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ इस बारे में हमे कई शिकायतें मिली हैं। लेकिन मुझे अपने साथियों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने वोटर आई कार्ड बनाने के लिए एक ऐसी शानदार व्यवस्था जोड़ दी है जहाँ आप इंटरनेट से ऑन लाइन अपना वोट बना सकते हैं। दूसरी और दिल्ली में जो 90 जीवन सेंटर हैं 31 अगस्त से हमने यह कार्यक्रम शुरु किया है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी प्रकार का प्रमाण नहीं है कि दिल्ली में उसका कोई राशन कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, किसी प्रकार का भी उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं है वह सीधे जीवन सेंटर में जाकर अपना नाम, पता लिखवा सकता है। जीवन सेंटर में कहीं भी यह नहीं कि वह उसी क्षेत्र का हो 90 से भी ऊपर जीवन सेंटर खोले गए हैं, उसे उनमें जाकर किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। बल्कि 10 रूपये एक कार्ड पर सरकार स्वयं कर रही है जो हमें भ्रष्टाचार की शिकायत मिली हैं उनको दूर करने के लिए ऐसा किया है।

#### अध्यक्ष महोदय-श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगान-अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या यह सत्य नहीं कि रोहताश नगर विधान सभा क्षेत्र की तरह सीमापुरी क्षेत्र से भी वोटर लिस्ट से नाम काटने, पहचान पत्र न बनाने की बहुत सारी शिकायते मिली हैं। यदि मिली हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है? नहीं की गई तो क्यों नहीं?

### अध्यक्ष महोदय-मंत्री जी।

परिवहन मंत्री-अध्यक्ष जी, मैंने माननीय सदस्य से पहले भी निवेदन किया था कि अगर आपके वोट कटते हैं, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि जिस व्यक्ति का वोट कटेगा उसके लिए वीसी सेंटर पर 7 दिन के लिए उसका नाम वहाँ पर चिपका दिया जाता है, यदि कोई जाए और उसका आब्जेक्शन करे, नहीं तो सीधे जैसे मैंने कहा जीवन सेंटर चला जाए और अपना कार्ड बनवाए। अगर उसका बीएलए है चुनाव क्षेत्र का, तो वह उसका आब्जेक्शन करके बीएलओं को दे सकता है, अब वोट काटना इतना आसान नहीं है जैसे पहले कुछ वोट काटे गये हैं।

### अध्यक्ष महोदय-श्री मालाराम गंगवाल जी।

श्री मालाराम गंगवाल-अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वोटर आई कार्ड बनने के बाद बीएलओं के माध्यम से या वोटर स्वयं जाकर अपना कार्ड ले करके आता है। लेकिन जब वह वहाँ लेने के लिए जाता है तो उनसे कहा जाता है कि आप अपने आरिजनल डाक्यूमेंटस लेकर आइए तब जाकर हम आपको वोटर कार्ड देंगे। ऐसा क्यों?

#### अध्यक्ष महोदय-मंत्री जी।

परिवहन मंत्री-अध्यक्ष जी, मैंने अभी सभी सदस्यों को बताया कि किसी प्रकार के आरिजनल सर्टीफिकेट की जरुरत नहीं है। आप जाइए, अगर कोई सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति भी जिसको हम कहते हैं कि वह पुल के नीचे जाकर सोता है तो वह भी अपना वोट बनवा सकता है। सिर्फ उसमें एक ही कंडीशन है वह यह है कि जब आपका फार्म वहाँ जाएगा उसके लिए आपको एक नम्बर दिया जाता है उस नम्बर को आप अपने पास रखिए, अधिकृत तौर पर उसको जो स्थापित करता है वह बीएलओ है, बीएलओ जाकर सिर्फ यह देखता है कि वह उस घर में रहता है यहां नहीं रहता है। अगर वह वहाँ पर रहता है तो उसका वोट निश्चित रुप से बनेगा, कोई आरिजनल कागज दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

### अध्यक्ष महोदय-श्री मुकेश शर्मा।

श्री मुकेश शर्मा-अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जैसा उन्होंने कहा कि किसी सबूत की जरुरत नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है कि रोहताश नगर विधान सभा क्षेत्र सिहत दिल्ली के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में हजारों ऐसे मतदाताओं के नाम दर्ज हैं जिन मतदाताओं के नाम पड़ोसी राज्यों, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि में भी दर्ज हैं और वे बाकायदा अपने उस मत का प्रयोग उन राज्यों के चुनावों मुं पचायतों/विधानसभाओं में करते रहें हैं और दिल्ली में भी करते हैं, यदि यह सत्य है तो क्या इस सम्बन्ध में क्रिमिनल प्रोसिडिंग चलाने का कोई क्रिमिनल एक्ट है? क्या ड्यूल वोट इस देश में अलाउड है या नहीं है?

#### अध्यक्ष महोदय-मंत्री जी।

परिवहन मंत्री-अध्यक्ष जी, हमारे विरिष्ठ साथी मुकेश शर्मा जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं जैसे वीर सिंह धिंगान जी का है, आपका है और तीन चार सदस्यों का है। वहाँ पर हमने देखा है कि उन लोगों ने अपने आपको उत्तर प्रदेश का भी घोषित कर रखा है और दिल्ली का भी कर रखा है। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने एक जांच-पड़ताल का कार्यक्रम शुरु किया जो 31 अगस्त तक चला है। उसके अन्तर्गत हमने कई वोट काटे हैं। मैं संख्या बताना चाहता हूँ 5.9.2012 यानि कल तक हमारे पास मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 17 लाख 24 हजार है। उसमें पुरुषों की संख्या 65 लाख 63 हजार है और महिलाओं की संख्या 51 लाख 61 हजार है। जो हमारे पास फिगर आई है हो सकता है यह थोड़ी करैक्ट भी हो जाए मुकेश जी, लेकिन हमने 4.5 प्रतिशत वोट हमने पकड़े भी हैं उनके हमने अभी पहचान पत्र नहीं बनाए हैं और यह चुनाव आयोग में एक प्रावधान है कि यदि इस प्रकार के दो जगह वोट बनते हैं तो उसके विरुद्ध कानुनी कार्रवाई हो सकती है।

श्री मुकेश शर्मा-अध्यक्ष जी, मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूँ यह बहुत सीरियस विषय है, मैंने माननीय मंत्री जी को और चुनाव आयोग को भी एक राज्य की मतदाता सूची उस राज्य कि निर्वाचन आयोग से प्रमाणित करवा कर दी है कि ये डेढ़ सौ नाम अमुक राज्य के अमुक गांव के सम्मिलित हैं और वे दिल्ली में भी सम्मिलित हैं। मैंने दोनों वोटर लिस्ट सिबिमिट की हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सीआरपीसी/आईपीसी या चुनाव आयोग की किस धारा के तहत किस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर हो सकता है और यदि सत्य है कि भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान है तो क्या उसका प्रयोग आज तक हुआ है और यदि हुआ है तो कब हुआ है और यदि नहीं हुआ है तो उसके कारण क्या हैं? क्या चुनाव के पास कोई ऐसी शिकायत आई है कि जिसमे यह सूचना बाकायदा सर्टिफाई करके चुनाव आयोग को दी गयी हैं।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने पहले कहा कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस प्रकार के दोहरे वोट बने हुए हैं। इस पर चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है, कितनों के विरुद्ध उन्होंने केस दर्ज किए हैं, यह जानकारी मैं लेकर आपको दे दूंगा।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सैक्शन तो बता दें कि किस सैक्शन में केस दर्ज होता है?

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं सैक्शन बता दूंगा।

श्री मुकेश शर्मा: पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव एक्ट के किस सैक्शन में केस होता है?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कह दिया है कि वे बतला देंगे।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दिल्ली में करीबन 22 से 26 परसैंट मतदाता है, जिनके नाम पड़ोसी राज्यों की सूची में दर्ज हैं। वे लोग दिल्ली में पेंशन ले रहे है। यह मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली में राशन ले रहे है, दिल्ली में बीपीएल ले रहे हैं। यहाँ फ्री इलाज करवाते हैं और वोट दूसरे स्टेटस में डालते हैं, यह मैं कहना चाहता हूँ।

श्री रमाकान्त गोस्वामी: अध्यक्ष महोदय, मुकेश जी जो बात कह रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चुनाव आयोग ने जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक जाँच पड़ताल की है और पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव एक्ट 171 (ई) और (एफ) इसके अंतर्गत हम कार्रवाई कर रहे हैं, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री शौकीन।

श्री सुमेश शौकीन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो अभी कैम्पेन हुआ था.......बीएलएज और बीएलओज गये थे, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी तक कितना डिलीशन हुआ विधान सभा वाइज और कितना अभी होगा। मैंने मंत्री जी को, इलेक्शन कमीशन को और बीएलओज को बीआरसी सैन्टर पर डिप्लकेट वोटिंग की बाकायदा एक पूरी फाइल बनाकर प्राइवेट प्लेयर से मंगवाकर दी थी जो एक सॉफटवेयर है, जो डेवलप कर रखा है और एक एक घर पर तीन-तीन वोट उन्होंने बना रखी हैं, जैसे मेरा नाम सुमेश शौकीन है, तो मैंन एक सुमेश शौकीन के नाम से बना ली, एक सुमेश के नाम से बना ली, तो तीन वोट एक एड्रेस से बनी हुई हैं। उनमें से कितनी वोटस को डिलीट कर दिया गया है। मेरी विधान सभा में साढे चार हजार से 5 हजार वोट हर वार्ड में ऐसी हैं।

अध्यक्ष महोदयः केवल सवाल कीजिए। बस।

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अभी नगर निगम का चुनाव हुआ था और उसके बाद चुनाव आयोग की नजर में बहुत असंगतियाँ आई जिसमें मुकेश जी ने भी हमें दी, हमारे चीफ ह्विप कंवर करण सिंह जी ने भी कहा, सुमेश जी ने भी दी और कई अन्य साथियों ने इन गड़बड़ियों को इंगित किया और इसमें कोई शक की बात, नहीं कि 12 फीट का कमरा है, 10 फीट का कमरा है लेकिन उसमें 130-30 आदिमयों के वोट बने हुए हैं। इसमे कोई शक की बात नहीं और इतना ही नहीं, कई कई जाली वोट थे, मुकेश शर्मा जी के यहाँ भी हुआ। हमारे माननीय सदस्य अनिल चौधरी जी ने भी लिखकर दिया। इस संबंध में हमारी आदरणीया मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत कड़ा कदम उठाया और इस संबंध में उन्होंने सीधे भारत सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद इस पर जाँच पड़ताल का आक्ष्वासन दिया गया और इसमें चुनाव आयोग के जाँच पड़ताल की है। उसके बाद सख्ती भी की है कि जहाँ इस प्रकार के जाली वोट बने हुए हैं। मुझे प्रसन्तता है कि कंवर करण सिंह जी के यहाँ काफी कुछ ठीक हो गया है। मुकेश शर्मा जी के यहाँ भी काफी कुछ ठीक हुआ है। और मैंने आपसे कहा कि 31 जुलाई तक इसकी जाँच पड़ताल की गयी है.....

श्री मुकेश शर्मा: ठीक हो रहा है लेकिन क्रिमिनल केस हों दो-चार ताकि लोग और डरें जाली वोट बनाने से।

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वह भी हम करायेंगे, निश्चित रुप से करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री नीरज बसोया।

श्री नीरज बसोया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहता हूँ कि जैसा स्वंय उनकी जानकारी में हैं कि  $10\times12$  का कमरा है और उसमें डेढ़ सौ वोट बनी हुई हैं। क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि जहाँ आपको पता है और हमें भी पता है कि डेढ सौ लोग  $10\times12$  के कमरे में नहीं रह सकते। तो वे वोटस रहेंगी, कटेंगी या क्या उस पर इलैक्शन कमीशन क्या कुछ कर सकता है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने, मैंने इसीलिए आप सबसे निवेदन किया है और सभी को पत्र भी लिखा कि हर विधायक अपना एक डीएलए जरुर बनाये अपने पोलिंग बूथ के ऊपर। ताकि वह उस पर नजर रख सके। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है हालांकि पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, हमारे अधिकांश विधायकों ने डीएलए नहीं बनाये। आपने करण जी बना लिये तो इसीलिए आप फायदे में रहे हैं और इसी तरह बीएलओ की बात ....हमने बीएलओ पर भी छूट दे दी है। बीएलओ पर ये छूट दी है कि कोई भी रिटायर ...पहले गवर्नमैन्ट सर्वेन्ट होता था, रिटायर्ड गवर्नमैन्ट सर्वेन्ट है, वह भी बीएलओ बन सकता है और वह जाँच करे। क्योंकि जब तक आपके बीएलओ नहीं होंगे, तब तक आप उसकी सही रुप से जाँच पड़ताल नहीं कर पायेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री अनिल चौधरी।

श्री अनिल चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सवाल से पहले सभी साथियों की एक समस्या आ रही है, वह समस्या तो है ही। डबल बोट की भी है। माननीय मंत्री जी बार बार इस बात को कबूल

भी कर रहे हैं। सवाल वही आता है जो साहनी जी ने ने हेल्थ मिनिस्टर साहब से कहा था कि एक्शन क्यों नहीं होता है। तो एक तो मेरी विनती ये है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाये जिस तरह से डबल वोट बनाये जा रहे हैं। उसके बावजूद भी डिलीशन नहीं हो रहा हैं। सवाल मेरा यह है कि मैंने लिखित में भी दिया था कि माननीय मंत्री जी को और ये मैं ही नहीं, आदरणीय वालिया साहब भी इस समस्या से ग्रस्त हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक घर में चार वोट हैं तो दो मेरे एक कांस्टिटयुएन्सी में हैं और दो वोट वालिया साहब के हैं। क्या ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए आपके कानून में प्रोविजन, है क्या कि उनको दुरुस्त किया जायेगा या नहीं किया जायेगा? मैंने लिखित में ये कहा है कि या तो आप मेरे एरिया में कर दें या वालिया साहब के एरिया में कर दें, लेकिन इस बीमारी से सर हमें निजात कब तक मिलेती, इस पर मंत्री जी आक्ष्वासन दे दें।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इतना तो विक्ष्वास दिलाता हूँ कि जब आपका चुनाव आयेगा, ये सब चीजें ठीक हो जायेंगी और जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं यहाँ पर, वह बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस संबंध में हम बहुत गंभीर हैं; और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक कड़ा लैटर, जैसा मैंने आपसे कहा कि उन्होंने लिखा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ नगर निगम के चुनाव के समय निश्चित रुप से कुछ ऐसे जो वार्ड थे, जैसे मेरे यहाँ हुआ कि पित का वोट 152 पर है पत्नी का 183 नम्बर पर है। एक ही जगह वोट बना है। ये सब चीजें हम ठीक कर रहे हैं। तािक जिससे आपका जहाँ मतदान केन्द्र है, वहाँ पर आपको इस प्रकार की कमी भविषय में किटनाई न हो और जल्दी से जल्दी हम ठीक इस करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः राम सिंह नेता जी।.....अनिल जी अकेले में पूछ लीजिएगा। नेताजी।

श्री राम सिंह नेताजी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि बदर पुर विधान सभा क्षेत्र की हमारी सीमा हरियाणा से मिली हुई है। वहाँ सीमा में यहीं नहीं पता कि दिल्ली कहाँ, हरियाणा कहाँ क्योंकि दोनों तरफ कालोनी बनी हुई है। उसमें मंत्री जी क्या करेंगे, ये बतायें?

परिवहन मंत्री: राम सिंह जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा किया है। ऐसा प्रश्न जैसा मैंने कहा कि सीमावर्ती है। हमने राजस्व जो हमारा विभाग है, उससे हमने ये कहा है कि हमें सीमा निर्धारित करके ये बतायें ताकि हम वहाँ पर वोट बना सकें। एक मैं आपको और जानकारी देना चाहता था जो कि बहुत जरुरी थी, जहाँ मैंने जीवन सैन्टर की बात कही, वहाँ स्पीड पोस्ट कुछ ही दिनों में आपको घर बैठे, आप स्पीड पोस्ट से उसका खर्चा 12 रु. आता है, वह भी सरकार उठायेगी, और आप किसी का वोट बनवाते हैं, वह वोट घर में उसको मिल जायेगा, जैसे आधार कार्ड मिलता है, जैसे दूसरे कार्ड मिलते हैं, जैसे पास पोर्ट मिलता है। ऐसे ही वोट भी आपका स्पीड पोस्ट से मिल जायेगा।

#### अध्यक्ष महोदयः कंवर करण सिंह जी।

श्री कंवर करण सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानकारी लेना भी चाहता हूँ और देना भी चाहता हूँ कि मैंने चार चुनाव लड़े हैं और यह मेरा ही नहीं बाकी विधायकों का भी अनुभव है कि जब हमें एज ए कैण्डिडेट लिस्ट मिलती है, उसमें नाम होता है, पर जब पौलिंग बूथ वाले दिन वोटर लिस्ट होती है, उस पर लाल पेन से वोट कटे होते हैं। इसके ऊपर चुनाव आयोग या मंत्री जी या जिस भी लेवल पर हो, और इसी के साथ जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था कि जब कॉपोरेशन के कैण्डीडेट की लिस्ट आई और जब वोटर लिस्ट आई 15278 वोट मेरे यहाँ से काट दिये गये। मैंने मंत्री जी को लिस्ट दी। मैंने चुनाव आयोग को लिस्ट भेजी और हैरानी की बात है कि जो बात

मैंने कहीं क्योंकि आई कार्ड थे, जैसे पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन के क्वार्टर एलॉट हैं डीटीसी कॉलोनी के, उनके वोट काटे गये और आज सब वही 15000 वोट दुबारा बन रहे हैं...... एक मिनट सर आज दुबारा वे वोट बन गये तो उनका कौन आदमी जिम्मेदार है।

अध्यक्ष महोदयः परिवहन मंत्री जी।

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय हमारे मुख्य सचेतक श्री करण सिंह जी ने जो कहा है, हम कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले जो मतदाता सूचियाँ हैं वो हमें पहले मिल जायें जिससे कि चुनाव वाले दिन किसी प्रकार कटें नहीं। मैं फिर निवेदन एक बार कर रहा हूँ कि यह सब कुछ बी.एल.ओ और बी.एल.ए के ऊपर निर्भर करता है। आप अपने बी. एल.ओ और बी.एल.ए दोनों के सहयोग से उस पर नजर रखेंगे तो इस प्रकार वो आपके जो वोट हैं, वो नहीं कट पायेंगे। दूसरा मैं कहना चाह रहा था कि जैसे इन्होंने कहा है कि इसमें 1 जुलाई से 31 अगस्त तक हम ने अभियान चलाया है और उसके अंतर्गत हम ने काफी वोट काटे भी हैं और ठीक भी किए हैं। घर घर गए हैं और बी.एल.ओ ने घर घर जाकर चैक किया है और उसमें अगर कहीं पर त्रुटि है तो आप हमें बताइए। हम उसको दूर करेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री तरविन्दर सिंह मारवाह।

श्री तरिवन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, मैं तो परिवहन मंत्री जी से दो तीन बातें पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः मारवाह साहब, दो तीन नहीं, आप केवल एक पूछ सकते हैं।

श्री तरिवदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, आप सिर्फ यह बतायें कि कई नाम ऐसे हैं कि वोटर्स आईडेन्टी कार्ड में नाम कुछ है और उसके राशन कार्ड में नाम कुछ है। अब जो आई कार्ड में नाम डल गया है। उनकी पेंशन रोक दी गई है। वहाँ पर कोई उसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। वे चक्कर लगाते रहते हैं। वो आई कार्ड जिस नाम का है, वो उसी नाम का चल रहा है और वो कई महीने चक्कर लगाते हैं और उनके नाम सही करके नहीं देते। यह जरा मंत्री जी बता दें और दूसरी बात यह बता दें कि बीएलओ जो गलत काम कर रहा है, उसको हटाने की पॉवर आपको है या नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः परिवहन मंत्री जी।

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष जी, मैं माननीय अपने तरिवन्दर सिंह मारवाह जी से कहूँगा कि फॉर्म नंबर 8 जहाँ पर गलत प्रविष्टि हुई है। उसकी शुद्धि के लिए वो भर दें और सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि सीधा अपने जीवन सैन्टर पर चले जायें और वहाँ पर जाकर फॉर्म नंबर 8 दें वें। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसका खर्चा दस रुपए है। उस पर जो खर्चा आ रहा है वो भी सरकार दे रही है। यह तो इतना आसान कर दिया है। उसको किसी तरह के कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सब का वोट बनेगा। आप इतना तो कष्ट कर दें। आप फार्म नंबर 8 भर दें और उसको दे दें और आपका वोट ठीक हो जायेगा।

## तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

- 44. श्री एस.पी. रातावाल: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) क्या बापानगर कालोनी डी.डी.ए. के अधीन है, यदि हाँ, तो इस कालोनी में मूलभूत सुविधाएँ होने के बावजूद इसकी खरीद-फरोख्त को पॉवर ऑफ अटार्नी के लिए अधिकृत क्यों नहीं किया गया है;

(ख) क्या इस पावर ऑफ अटार्नी की जगह रिजस्ट्री की जा सकती है। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

#### स्वास्थ्य मंत्रीः

- (क) बापानगर कालोनी दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन नहीं है। बापा नगर कालोनी की भूमि D.U.S.I.B के अन्तर्गत आती है।
- (ख) यदि सम्पत्ति को बेचने वाला, सम्पत्ति को बेचने के लिए अधिकृत है तो वह रजिस्ट्री करा सकता है।

तारांतिक प्रश्न सं. 44 श्री एस.पी.रातावाल द्वारा पूछे गये प्रश्न के सम्बन्ध में।

## अनुपूरक सामग्री

इस कार्यालय में सम्पत्ति का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908, भारतीय स्टेम्प अधिनियम, 1899 तथा ट्रासंफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट, 1882 के प्रावधानों के तहत किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर माननीय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन/माननीय मंडलीय आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों का भी पालन किया जाता है। बापा नगर कालोनी की भूमि DUSIB के अन्तर्गत आती है। 27.4.2012 से पूर्व बापा नगर कालोनी की लीज होल्ड सम्पत्ति पॉवर ऑफ अटार्नी कन्सीडरेसन के साथ बिकती थी तथा फ्री होल्ड सम्पत्ति की खरीद-फरोख्त रजिस्ट्री द्वारा भी जाती थी।

27.4.2012 के उपरान्त केवल फ्री होल्ड सम्पत्ति की ही खरीद-फरोख्त (Sale Deed) रजिस्ट्री द्वारा की जाती है।

#### 45. श्री वीर सिंह धिंगान: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ताहिरपुर की बिल्डिंग पिछले कई वर्षों से तैयार हैं
- (ख) यदि हाँ, तो उक्त अस्पताल को चालू करने में विलम्ब के क्या कारण है;
- (ग) क्या यह भी सत्य है अरबों रुपये से तैयार किए गए उक्त अस्पताल से जनता कोई लाभ नहीं मिल रहा है; और
- (घ) यदि हाँ, तो सरकार जनिहत में उक्त अस्पताल को कब तक पूरी तरह शुरु करा देगी?

#### स्वास्थ्य मंत्री:

- (क) जी हाँ, अस्पताल का निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
- (ख) इस अस्पताल को क्रियान्वित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरिशप के तहत प्रयास किया गया। इसके लिए एक कन्सलटेंट की नियुक्ति की गयी और 08 संभावित प्राइवेट पार्टनर का चयन किया गया, परन्तु बिड प्राप्त करने की तारीख मई 2011 तक बढाने के बावजूद कोई भी बिड प्राप्त नहीं हुई सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2011 में इस अस्पताल को सरकार द्वारा ही चलाने का निर्णय कैबिनट द्वारा लिया गया। केन्द्र सरकार ने इस अस्पताल को दिल्ली सरकार के साथ मिलकर चलाने की एक योजना का प्रस्ताव इस वर्ष दिया। कैबिनेट ने जून 2012 में पूर्ण रुप से विचार विमर्श करने के बाद राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को दिल्ली सरकार द्वारा गठित एवं नियंत्रित सोसायटी के द्वारा चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है।

- (ग) वर्तमान में इस अस्पताल में बाहय रोगी विभाग के अर्न्तगत कॉर्डियोलॉजी एवं गैस्टोएन्टालॉजी की सेवायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त लैब इन्वैशिटिगेशन सेवायें, ईको, ई.सी.जी., टी.एम.टी., हॉल्टर आदि भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- (घ) सरकार का पूरा प्रयास है कि अस्पताल को पूर्णत: शीघ्र आरम्भ कर दिया जाए। अस्पताल के निदेशक के चयन के लिए विज्ञापन दिया जा चुका है तथा विभिन्न विभागों जिनकी चिकित्सा सुविधाये उपलब्ध कराई जानी है, को चिन्हित कर लिया गया है। डाक्टरों के चयन एवं अन्य सेवाओं के आरम्भ की प्रक्रिया जारी है।

#### 46. श्री नेरश गौड़: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान दिल्ली सरकार ने पेड़-पौधे खरीदे थे, यदि हाँ तो कितनी राशि के कितने पौधे खरीदे थे;
- (ख) क्या यह पौधे कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद भी स्टेडियमों की साज-सज्जा के काम आ रहे हैं;
- (ग) कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान खरीदे गये पेड़-पौधो की वर्तमान स्थिति क्या है। शहरी विकास मंत्री:
- (क) जी हाँ। कुल 18.76 लाख पौधों को खरीदने के लिए रुपये 7.84 करोड़ खर्च किए गये।
- (ख) यह पौधे कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद स्टेडियम की साज-सज्जा के साथ-साथ अन्य स्थानों की हरियाली विकसित करने में उपयोग हो रहे हैं।

- (ग) वर्तमान में इन खरीदे गए पेड-पौधों की स्थिति संतोषजनक है।
  - 47. चौ. सुरेन्द्र कुमार : क्या उधोग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) क्या यह सत्य है कि गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोलने की योजना थी।
- (ख) उक्त कार्यालय अब तक न खोलने के क्या कारण हैं, और
- (ग) उक्त कार्यालय कब तक खोल दिया जायेगा?

#### उद्योग मंत्री:

- (क) जी हाँ।
- (ख) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोलने का प्रस्ताव था जिसके लिए भूमि खोलने का प्रस्ताव था जिसके लिए भूमि आबंटन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्क्रीनिंग सिमिति ने मंडोली जेल के नजदीक भूमि पुन: चिन्हित की है और इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने एक चैक द्वारा रु 942510/- (दिनांक 31.3.2011) की राशि दिल्ली विकास प्राधिकरण में जमा कराई है। लेकिन अभी तक आबंटन नहीं हुआ है।
- (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटन भूमि का कब्जा देते ही मतदाता केन्द्र बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
  - 48. श्री जसवंत सिंह राणाः क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) क्या यह सत्य है कि दिनांक 02.02.2011 को ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक में

ताजपुर कलां में कब्रिस्तान का विकास कार्य व सुभाष पार्क से पल्ला तक रोड बनाने का कार्य स्वीकृत हुआ था,

- (ख) यदि हाँ तो इन दोनों कार्यों की स्वीकृति अब तक न देने के क्या कारण है तथा यह कब तक दे दी जाएगी,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि दिनांक 23.05.12 को ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक में नरेला विधान सभा क्षेत्र के स्वीकृत कार्यों के स्वीकृति पत्र अभी तक सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को नहीं पहुचे है, और
- (घ) यदि हाँ, तो ये स्वीकृति-पत्र सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग को कब तक पहुँचा दिए जाएगे?

#### ऊर्जा मंत्री:

- (क) जी हाँ, ताजपुर कलां में कब्रिस्तान का विकास कार्य दिनांक 02.02.11 को ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक में एजेंडा में क्रमांक संख्या 333 (मुख्य) में स्वीकृत हुआ था। परन्तु सुभाष पार्क से पल्ला तक रोड बनाने का कोई भी कार्य दिनांक 02.02.11 को ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक में पारित नहीं हुआ था।
- (ख) ताजपुर कलां में कब्रिस्तान का विकास कार्य:-संबंधित जमीन खसरा नं. 13/27 (0-9), 13/20, (4-12), 13/21 (09) दिल्ली वक्फ बोर्ड से अनापित पत्र न मिलने के कारण दिनांक 24.06.11 को इस कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी। परन्तु माननीय विधायक ने अपने पत्र सं. MLA/1/1237/0712 दिनांक 4.7.12 के साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड के पत्र संख्या DWB/LS(18)88/2011/205 दिनांक 18.3.11 को विकास विभाग को उपलब्ध कराया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड

के कथित पत्र दिनांक 18.3.11 में ताजपुर कलां में कब्रिस्तान के विकास कार्य किये जाने हेतु दिल्ली वक्फ बोर्ड की अनापित समाहित है। अत: इस कार्य हेतु स्वीकृति सिचांई एंव बाढ़ नियन्त्रण विभाग से एस्टीमेट प्राप्त होने के पश्चात दे दी जायेगी।

- (ग) जी हाँ।
- (घ) दिनांक 23.05.12 दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक में नरेला विधान सभा क्षेत्र के 91 कार्य स्वीकृत किए गए। इन सभी की यथा स्थिति निम्न प्रकार से है।
  - एक कार्य की प्रशासिनक एवं व्यय स्वीकृति दी गई। यह कार्य है- गाँव हमीदपुर से बकौली तक की सड़क का मजबूती एवं सुधारीकरण। इसकी स्वीकृत लागत 96.43 लाख रु है तथा इसकी स्वीकृति 11.07.2012 को जारी की गई है।
  - 2. मुख्य अभियंता (सिंचाई एवं बाढ़ विभाग) को 74 कार्य हाल ही में वित्तीय प्रिक्रियाएँ, विभाग द्वारा पूर्ण करने हेतु भेजे गए हैं।
  - 3. उपायुक्त, उत्तर-पश्चिम को 16 कार्य जमीनी स्थिति प्राप्त करने हेतु भेजी गयी है। ये सभी कार्य जाँच की विभिन्न प्रक्रियाओं में है। इसकी जाँच पूरी होने के बाद नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने के बाद सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को कार्यान्वयन के लिए भेज दिया जाएगा।
    - 49. श्री मालाराम गंगवाल : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:-
- (क) क्या राजा गार्डन फलाई ओवर के नीचे दिल्ली पर्यटन विभाग की कॉफी की दुकान को बंद कर दिया गया है,

- (ख) उसे कब तक पुन: खोल दिया जाएगा,
- (ग) क्या यह सत्य है कि उक्त बंद दुकान के आस-पास काफी आसामाजिक तत्वों ने डेरा जमा रखा है तथा पास में ही राजधानी कॉलेज है, और
- (घ) यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करेगी? मुख्य मंत्री:
- (क) राजा गार्डन फलाईओवर के नीचे दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा सास्कृतिक केन्द्र बनाया गया है। यहाँ पर कॉफी की कोई दुकान कभी चालू नहीं की गई थी।
- (ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं होता।
- (ग) उपरोक्त 'क' के अनुसार, राजा गार्डन फलाई ओवर के नीचे कॉफी की कोई दुकान प्रारम्भ/शुरु नहीं की गई। जहाँ तक राजा गार्डन फलाईओवर के नीचे आसामाजिक तत्वों द्वारा डेरा जमाने की बात है, इस विषय में कोई शिकायत दिल्ली पर्यटन विभाग की जानकारी में नहीं है।
- (घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार लागू नहीं होता।

# 50. श्री करण सिंह तंवर: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) अस्पतालों अन्य स्वास्थ्य निकायों में रोगी देखभाल भत्ता देने का मापदण्ड क्या है तथा छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार यह भत्ता किस किस श्रेणी के कर्मचारी को, वेतन बैंड में ग्रेड वेतन के अनुसार कितना-कितना देय है;
- (ख) क्या यह सत्य है कि रोगी देखभाल भत्ता उन कर्मचारियों को भी दिया जा रहा है, जिनकी पोस्टिंग अन्य किसी विभाग में डाइवर्टेंड कैपेसिटी पर की गई है परन्तु वह कर्मचारी अपना वेतन अस्पताल/अन्य स्वास्थ्य निकायों से ही ले रहे हैं;

- (ग) लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल एवं जी.बी. पन्त हॉस्पिटल तथा गुरु तेगबहादुर अस्पताल से वेतन आहरण करने वाले तथा डाइवर्टेड कैपेसिटी पर किस अन्य विभाग में कार्यरत ऐसे कौन-कौन से कर्मचारी हैं, जो रोगी देखभाल भत्ता आहरण कर रहे हैं, विस्तृत ब्यौरा दें; और
- (घ) विशेष भत्ता देने का मापदण्ड क्या है, यदि कोई विशेष भत्ता कर्मचारी को देय हो तो इसको देते समय कर्मचारी द्वारा वेतन आहरण करने वाले विभाग अथवा भौतिक रुप से काम करने वाले विभाग, दोनों में से किस आधार पर देय होना चाहिए?

#### स्वास्थ्य मंत्री:

(क) छठ वेतन आयोग के अनुसार अराजपत्रित तकनीकी एवं लिपिकीय वर्ग को रोगी देखभाल भत्ता दिल्ली स्वास्थ्य सेवा के आदेशों के अनुसार निम्नवत है-ग्रुप डी कर्मचारी-रुपए 1390 प्रतिमाह ग्रुप-सी कर्मचारी मिनिस्टिरयल-रुपए 1380 प्रतिमाह ग्रुप-सी कर्मचारी नॉन मिनिस्टिरयल-रुपए 1400 प्रतिमाह छठे वेतन आयोग ने रोगी देखभाल भत्ता को समाप्त कर रिस्क इन्श्योरेन्स का प्रस्ताव दिया था, जिस पर अभी केन्द्र सरकार का निर्णय नहीं हो सका है।

#### (ख) जीहाँ

- (ग) पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।
- (घ) इस विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसी भी कर्मचारी को विशेष भत्ता नहीं दिया जा रहा है। जहाँ तक रोगी देखभाल भत्ते का सवाल है यह दिनांक 09.8.2007 के निर्णय के अनुसार दिया जाता है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

### 51. श्री मनोज कुमार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि मुण्डका विधान सभा क्षेत्र के कई ऐस्टिमेट एच.टी. लाइज हटवाने के लिए ऊर्जा विभाग के पास लम्बित पड़े हुए हैं,
- (ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है, और
- (ग) क्या सरकार की एच.टी लाइन ट्रांसफार्मर, बिजली के खम्भे आदि हटवाने के लिए नई नीति बनाने की कोई योजना है, यदि हाँ, तो कब तक?

#### उद्योग मंत्री:

- (क एवं ख) जी नहीं। हालांकि गांव निलोठी, नांगलोई में एचटी/एलटी लाइन के स्थानान्तरण हेतु परियोजना के अनुमान बीएसईएस राजधानी से प्राप्त हुए थे जिसका पुनरीक्षण दिल्ली ट्रांस्को द्वारा किया गया है। पुनरीक्षण के पश्चात अनुमानित राशि 10,16,511/- रुपये है। सरकार द्वारा जारी नीतिनुसार इसका 50 प्रतिशत ऊर्जा विभाग द्वारा तथा बाकी 50 प्रतिशत विधायक निधि से जारी किया जाएगा। इस मामले में भूमि श्रेणी जानने हेतु जांच की जा रही है।
  - (ग) जी नहीं।
    - 52. डॉ. जगदीश मुखी : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:-
- (क) जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन दिल्ली हाट में कौन-कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी?
- (ख) इस हाट के बनाने में कितनी धनराशि खर्च की जाएगी, और
- (ग) उक्त हाट का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

### मुख्य मंत्रीः

(क) जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र में निर्माणधीन दिल्ली हाट, जनकपुरी में निम्नलिखित सुविधाएँ प्रस्तावित है:-

1. क्राफ्ट शॉप संख्या 100

2. ओपन प्लेटफार्म शाप संख्या 108

3. वातानुकुलित दुकानें संख्या 48

4. एक्सपोसिशन हाल 960 वर्गमीटर

5. फूडकोर्ट 28 फूड स्टाल (3410 वर्गमीटर)

6. कैफेटेरिया 400 व्यक्तियों के लिए

7. औडिटोरियम 820 व्यक्तियों के लिए

8. एम्पीथियेटर 800 व्यक्तियों के लिए (ओडिटोरियम के ऊपर)

9. डोरेमेट्री 100 बिस्तरों के लिए

10. 8.00 मीटर ऊँचे टावर संख्या 4

11. पार्किंग बेसमेन्ट 52 कारों तथा 122 दुपहियों के लिए

12. पार्किंग भूमितल 4 बसों तथा 240 कारों के लिए

(ख) इस हाट को बनाने की अनुमानित लागत 81.44 करोड़ रुपये है।

(ग) इस हाट का कार्य प्रगित पर है और इसे 2013 में पूरा करने की योजना है।

### 53. श्री सत्यप्रकाश राणाः क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) राजनीतिक पार्टियों द्वारा बी.एल.ए. 1 व बी.एल.ए. 2 के लिए चुनाव कार्यालय को जो नाम दिए गए हैं, चुनाव कार्यालय द्वारा इन बी.एल.ए. 1 व बी.एल.ए. 2 को कौन सी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं।
- (ख) चुनाव कार्यालय के पास अब तक किस-किस विधानसभा क्षेत्र के किस-किस पार्टी के बी.एल.ए. 1 व बी.एल.ए. 2 के नाम आ चुके हैं, इसका विधान सभा अनुसार पूरा ब्यौरा क्या हैं और
- (ग) वर्तमान में चुनाव कार्यालय द्वारा जो वोटर लिस्ट पर कार्य चल रहा है, इसमें राजनीतिक पार्टियों द्वारा नियुक्त बी.एल.ए. की क्या भूमिका रहेगी, इसका पूरा ब्यौरा क्या है?

#### उद्योग मंत्रीः

(क) एल.ए 1 चुनाव आयोग का एक फार्म का प्रारुप है जिसके द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अपने अध्यक्ष या सचिव या किसी पदाधिकारी के माध्यम से अपने दल का जिला प्रतिनिधि अधिकृत करते हैं यह अधिकृत जिला प्रतिनिधि चुनाव आयोग के अन्य फार्म बी.एल.ए-2 के द्वारा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के पोलिंग बूथों के लिए बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करता है। जिला प्रतिनिधि की नये वोट बनाने में कोई भूमिका नहीं होती। बी.एल. ए.-2 फार्म द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट अपने प्रोलिंग बूथ क्षेत्र के योग्य नागरिकों को मतदाता बनने में मार्ग दर्शन करते है। इसके साथ-साथ यदि कोई मतदाता सूची से अपना नाम कटवाना,

जुडवाना या ठीक करवाना चाहते हैं तो उनकी सहायता करता है। इसके साथ घर-घर जाकर उन मतदाताओं का जिनका निधन हो गया हो या वो कहीं और जाकर बस गये हैं, तो उनकी पहचान करके तथा उनकी सूची बनाकर नियुक्त अधिकारी/बूथ लेवल आफिसर को आगे की कार्यवाही के लिए सौपने का कार्य भी करते हैं।

- (ख) पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ग) उपरोक्त (क) के अनुसार

### 54. श्री प्रद्युम्न राजपूत: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि प्राइवेट बिजली वितरण कम्पनी बी.एस.ई.एस. द्वारा द्वारका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिजली से संबंधित सात योजनाएँ डी.ई.आर.सी. को भेजी गई हैं;
- (ख) उक्त योजनाओं को डी.ई.आर.सी. द्वारा स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं, और
- (ग) उक्त योजनाएँ डी.ई.आर.सी. द्वारा कब तक स्वीकृत की जाएँगी तथा बी.एस.ई.एस. द्वारा कब तक यह कार्य आरम्भ किए जायेंगी?

#### ऊर्जा मंत्री:

# बीएसई एस राजधानी पावर लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार:-

(क,ख एवं ग) जी हाँ। वितरण कम्पनियों द्वारा वर्ष 2011-12 में द्वारका विधान सभा क्षेत्र से संबंधित 17 योजनाएँ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग की स्वाकृति हेतु भेजी जिसमें से आयोग द्वारा 10 योजनाएँ स्वीकृत की गई तथा 07 योजनाएँ मौजूदा वित्त वर्ष के लिए विचाराधीन हैं।

## 55. श्री ओ.पी.बब्बर: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या न्यू कृष्णा पार्क, आर.जेड.सी., आर.जेड ब्लॉक, विष्णु गार्डन रवि नगर एक्सटेंशन और धर्मापुरी के ऊपर से जा रही हाईटेंशन तारें हटाने के लिए अनुमानित बजट पास हो गया है,
- (ख) यदि हाँ, तो इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की जानी है,
- (ग) उक्त कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है, और
- (घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

### उद्योग मंत्री से प्राप्त सूचना के अनुसार:-

- (क) जी नहीं। यह लाईन भाखड़ा व्यास मैनेजमैंट बोर्ड की सम्पति है जोकि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।
- (ख, ग, एवं घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

# 56. चौ. मतीन अहमद : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के पेंशनर जब दिल्ली सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार के लिए जाते हैं तो उन्हें सूचीबद्ध अस्पताल जैसे सेंट स्टीफन की ओ.पी.डी. में पेंशनरों को दवाइयों नहीं दी जाती है।
- (ख) क्या यह सत्य है कि पेंशनर ओ.पी.डी. में डॉक्टरों को दिखाने के पश्चात डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों बाजार से खरीदकर बिलों के पैसे संबंधित विभाग पेंशनरों

द्वारा कागजात जमा करने पर वापिस दे देता है लेकिन इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है: और

- (ग) यदि हाँ, तो पेंशनरों को जब सरकार/संबधित विभाग ओ.पी.डी. में उपचार करने के बाद खरीदी गई दवाइयों के पैसे देता है तो सूचीबद्ध हस्पताल ही ओ.पी.डी. में आये पेंशनरों को दवाइयों क्यों नहीं दी जाती; और
- (घ) क्या सरकार इन पेंशनरों के हित में ऐसी व्यवस्था करायेगी कि सूचीबद्ध प्राइवेट हस्पतालों जैसे सेंटस्टीन हस्पताल आदि में ओ.पी.डी. में दवाइयाँ इन पेंशनरों को मिल सकें?

#### स्वास्थ्य मंत्री:

- (क एवं ख) जी हाँ। DGEHS योजना के नियमानुसार सूचीबद्ध अस्पतालों के बाहय रोगी विभाग में लिखी गई दवाइयाँ का प्रावधान सम्बन्धित चिकित्सा सहायता प्राधिकारी द्वारा किया जाता हैं, जहाँ पर Pensioner का Health Card attach होता है। यदि औषघालय के भंडार में दवाई यथावत उपलब्ध नहीं होती है तो प्राधिकारी संबंधित अस्पताल से दवाई मंगवाकर लाभार्थी को उपलब्ध कराता है। यदि इस प्रक्रिया में ज्यादा समय लगने की संभावना होती या दवाईयाँ उपलब्ध न हो पाये तो लाभार्थी को दवाई उपलब्ध नहीं का प्रमाणपत्र दे दिया जाता हैं। जिस आधार पर लाभार्थी खुले बाजार से दवाई खरीदकर संबंधित विभाग जहाँ से लाभार्थी सेवानिवृत हो प्रतिपूर्ति करवा सकता है।
  - (ग) योजना के नियमानुसार बाहय रोगी विभाग द्वारा लिखी गई दवाएँ प्राईवेट सूचीबद्ध अस्पतालों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं।
  - (घ) यह योजना के नियमानुसार नहीं है यद्यपि सरकार कैमिस्ट शॉप को सूचीबद्ध करने के लिये प्रयत्नशील है। कैमिस्ट शॉप सूचीबद्ध होते ही दवाइयाँ जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

Dated: 4/9/2012

### GOVERNMENT OF NCT OF DELHI REVENUE DEPARTMENT: PARLIAMENT CELL 5, SHAM NATH MARG, DELHI.

No. F.!11/88/DC/PC/VS/312

Dy. Secretary (Question Cell). Vidhan Sabha Secretariat, Old Sectt. Delhi-110054.

Sub.: Vidhan Sabha Starred Question No. 57 due for 06.09.2012 regarding details of Sub-Registrar office in Delhi.

Sir,

Please find enclosed herewith para-wise reply of Vidhan Sabha Un-Starred Question No. 57 due for 06/09/2012 on the above-cited subject for necessary action at your end.

Yours faithfully,

Encl.: As above

(D.K. SAINI)

SUB DIVISIONAL MEGISTRATE-IV (HQ)

Copy for information & necessary action to:-

1. Director, Directorate of Information & Publication, Old Sectt. Delhi-54.

(D.K. SAINI)

SUB DIVISIONAL MEGISTRATE-IV(HQ)

### 57. श्री जयभगवान अग्रवाल: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) दिल्ली में कितने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय हैं तथा वे कहाँ-कहाँ स्थित हैं, सभी सब-रजिस्ट्रार के नाम व सम्पर्क सूत्र (मोबाइल नम्बर) क्या हैं;
- (ख) दिल्ली में कितने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय ऑन लाइन कर दिए गए हैं;
- (ग) उपायुक्त राजस्व उत्तरी-पश्चिम जिला कंझावला के अन्तर्गत आने वाले तीनों सब-रिजस्ट्रारों (सब-रिजस्ट्रार VI-A सब-रिजस्ट्रार VI-B तथा, सब-रिजस्ट्रार VI-C) को कब तक ऑन लाइन कर दिया जाएगा;
- (घ) सब-रजिस्ट्रार VI-B और सब-रजिस्ट्रार VI-C का कार्यालय वर्तमान जगह से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की सरकार की कोई योजना है; और
- (ड़) यदि हाँ, तो किस स्थान पर स्थानांतरित करने की योजना है? ऊर्जा मंत्री:
- (क) वर्तमान में दिल्ली में 14 सब-रजिस्ट्रार कार्यालय हैं पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ख) अभी तक केवल एक सब-रिजस्ट्रार कार्यालय V-A, हौजखास को ऑनलाइन कर दिया गया है।
- (ग) उपायुक्त राजस्व उत्तरी-पश्चिम जिला कंझावला के अन्तर्गत आने वाले सब-रजिस्ट्रार VI-B तथा, सब-रजिस्ट्रार VI-C के ऑनलाईन का कार्य प्रगति पर है।
- (घवड़) हाँ। सब-रजिस्ट्रार VI-B नरेला, बी.डी. ओं. कार्यालय परिसर, अलीपुर से कार्य कर रहा है और उसी परिसर पर उसके नये भवन को बनाया जा रहा है।

सब-रजिस्ट्रार VI-C रोहिणी को अम्बेडकर भवन, सेक्टर 16 रोहिणी में स्थानांतरित करने की योजना है।

## 58. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. द्वारा तिमारपुर विधान सभा के अन्तर्गत ट्रांसफार्मर स्थानान्तरण करने के मामले लिम्बत हैं.
- (ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति का पूरा विवरण क्या है,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि मुखर्जी नगर एस.एफ. फ्लैट्स, गोपालपुर चौपाल एवं संगम विहार सिहत वजीराबाद गांव से हाई टैंशन तारों के स्थानान्तरण का मामला भी लिम्बत पड़ा है,
- (घ) यदि हाँ, तो इसकी वर्तमान स्थिति का पूर्ण विवरण क्या है?

#### ऊर्जा मंत्री:

## टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार:-

- (क) जी हाँ
- (ख) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र में विजय नगर मदरडेरी के नजदीक ट्रांसफार्मर स्थानान्तरण का एक मामला लिम्बत है। यह ट्रांसफार्मर जनता के विरोध के कारण स्थानान्तरित नहीं किया जा सका। माननीय विधायक श्री सुरेन्द्र पात सिंह बिट्टू के साथ मिलकर नए स्थान का चयन दिनांक 27.08.2012 को किया गया है तथा स्थानान्तरण का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा।

(ग एवं घ) माननीय विधायक महोदय के अनुरोध पर एस.एफ.एस. फलैटस मुखर्जी नगर में हाईटेंशन तारों का मुआयना किया गया था जोिक तकनीकी तौर पर स्थानान्तरित करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया हालांकि दिनांक 27.08.2012 को माननीय विधायक जी के साथ इस इलाके का दोबारा दौरा किया गया तथा यह मामला टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. को सौपा गया है। गोपालपुर चौपाल में हाईटेंशन तारों को स्थानान्तरित करने के लिए टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्युशन लि. द्वारा अनुमानित लागत राशि बाढ़ एवं सिंचाई विभाग से आना बाकी है। संगम विहार क्षेत्र से हाईटेंशन तारों को हटाने के लिए माननीय विधायक से आवेदन प्राप्त हुआ है तथा इस संदर्भ में उनके साथ मिलकर क्षेत्र का मुआयना जल्द किया जाएगा।

### 59. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या उधोग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिछले दिनों फर्जी वोट व मतदाता पहचान पत्र बनाए जाने के संबंध में शिकायत आई है।
- (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव से ठीक पहले खजूरी थाने के अंतर्गत इस संबंध में एक एफ.आई.आर भी दर्ज कराई गई थी
- (ग) यदि हाँ तो विभाग द्वारा संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि फर्जी वोट बनाने वाले बी.एल.ओ. आज भी करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत हैं और
- (ड़) यदि हाँ तो उनका स्थानांतरण न किए जाने के क्या कारण है तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब तक कर दी जाएगी?

#### उद्योग मंत्री:

- (क) जी नहीं परन्तु इस सम्बंध में स्थानीय सामाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई थी जो जिला चुनाव कार्यालय (उत्तर पूर्व) द्वारा जाँच करने पर निराधार पाई गई।
- (ख) इस संबंध में विभाग में कोई अधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है किन्तु विभाग ने इस सम्बंध में खजूरी खास थाने से जानकारी मांगी है।
- (ग) उपरोक्तानुसार
- (घ) यह सत्य नहीं हैं क्योंकि बी.एल.ओ को आवेदक के निवास स्थान की जाँच हेतु फार्म दिया जाता है जिसके पश्चात बी. एल.ओ फार्म को कार्यालय में जमा करा देता है। उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मतदाता पंजीकरण अधिकारी/सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- (ड्) उपरोक्तानुसार।
  - 60. डा. एस.सी.एल.गुप्ताः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) जिन अनाधिकृत कालोनियों में अस्पताल नहीं बनाए जा सकते क्या वहाँ दिल्ली सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने की कोई योजना है;
- (ख) सरकार द्वारा इन अनाधिकृत कालोनियों के लिए क्या विकल्प रखा गया है;
- (ग) क्या मोबाइल डिस्पेंसरी एक विकल्य हो सकती है। यदि हाँ तो क्या संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में कोई मोबाइल डिस्पेंसरी खोली गई है और
- (घ) क्या यह सत्य है कि सरकार ने देवली अस्पताल की योजना पहले बनाई थी, यदि हाँ, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

#### स्वास्थ्य मंत्रीः

- (क) अनेक अनिधिकृत कालोनियों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सीड पी यू एच सी व दिल्ली सरकार के औषद्यालय कार्यरत है जिनकी पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ख) उपरोक्त के अतिरिक्त मोबाईल औषद्यालय भी इन स्थानों पर चलाए जा रहे हैं
- (ग) जी हाँ इस निदेशालय द्वारा संगम विहार विधानसभा के निम्नलिखित क्षेत्र में मोबाइल डिस्पेंसरियाँ चलाई जा रही हैं:
  - 1. संगम विहार ए ब्लॉक दिन बुधवार और शनिवार एन एस मैमोरियल एन जी ओ
  - 2. संगम विहार सी ब्लॉक दिन बुधवार और शानिवार एन एस मैमोरियल एन जी ओ
- (घ) देवली विधानसभा क्षेत्र में संगम विहार पहाड़ी क्षेत्र में एक 200 बिस्तरों का अस्पताल बनाने की योजना विचाराधीन थी परन्तु उपयुक्त भूमि न मिलने के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी।

# अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

# 148. श्री साहब सिंह चौहान: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) वर्ष 2002 से अब तक क्या दिल्ली सरकार के द्वारा बिजली की निजी कम्पनियों को ऑडिट किया गया है,
- (ख) यदि हाँ, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो क्यों नहीं किया गया है,

- (ग) इन निजी कम्पनियों ने बिजली के इन्फास्ट्राक्चर को मजबूत करने के लिए उक्त वर्षों में क्या-क्या कार्य किये हैं उनका ब्यौरा क्या है.
- (घ) क्या यह सत्य नहीं है कि बिजली की निजी कम्पनियाँ सामान की खरीददारी के लिये सार्वजानिक निविदायें आमंत्रित नहीं करती हैं और अपने सिस्टर कन्सर्न से ही मनमाने रेट पर सामान खरीदती हैं। इस संदर्भ में सरकार का क्या नियंत्रण है,
- (ड़) बिजली के निजीकरण के बाद दिल्ली सरकार की क्या भूमिका है,
- (च) बिजली के मीटर बदलने, मीटरों की चैंकिंग, मिस्यूज आदि लगाने आदि के संबंध में निजी कम्पनियों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं,
- (छ) दिल्ली में बिजली को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए सरकार ने निजी कम्पनियों को क्या कोई समय-समय पर आदेश दिये हैं, यदि हाँ, तो उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है.
- (ज) निजी कम्पनियाँ किन-किन राज्यों से किन-किन संस्थानों से बिजली किन-किन दरों पर खरीदती हैं?

# ऊर्जा मंत्रीः वितरण कम्पनियों से प्राप्त सूचना के अनुसारः-

- (क) जी नहीं।
- (ख) निजी वितरण कम्पनियाँ सरकारी ऑडिट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं हालांकि वितरण कम्पनियाँ कानूनी उपबन्ध (Statutory Provision) के अनुसार ऑडिट करवाती हैं।
- (ग) वितरण कम्पनियों द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उक्त वर्षों में किए गए पूंजीगत व्यय का ब्यौरा पुस्तकालय में उपलब्ध है।

- (घ) इस प्रकार के खर्चे और आपूर्ति दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के दिशानिर्देशानुसार किए जाते हैं जिसका निरीक्षण तथा अनुमोदन आयोग द्वारा किया जाता है।
- (ड़) विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार सरकार की भूमिका नीति निर्धारण तथा जन हित में दिशानिर्देश जारी करने तक सीमित है।
- (च) इस संदर्भ में दिल्ली विद्युत निनियामक आयोग द्वारा सप्लाई कोड तथा परफॉरमेंस स्टेंडर्डस अधिनियम 2007 जारी किये गये थे जिनका समय समय पर आयोग द्वारा पुर्नावलोकन किया जाता है।
- (छ) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वितरण कम्पनियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं तथा वितरण कम्पनियों के लक्ष्य प्राप्ति का अवलोकन आयोग द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक राजस्व आवश्यकता के आंकलन के समय किया जाता है।
- (ज) निजी कम्पनियों द्वारा विभिन्न राज्य तथा संस्थाओं से बिजली की खरीद फरोक्त का ब्यौरा ख, ग, घ पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

## 149. श्री साहब सिंह चौहान: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) विद्युत के निजीकरण की शर्ते क्या थी और किन-किन कम्पनियों को कब-कब बिजली के किस-किस कार्य को निजी हार्थों में कब-कब सौंपा गया है, इसका विस्तृत ब्योरा क्या है,
- (ख) वर्ष 2012 से अब तक दिल्ली में कब-कब और कितनी-कितनी तथा किस-किस श्रेणी की बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं और उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा इनकी दरें बढ़ाने का आधार क्या है,
- (ग) इन कम्पनियों ने बिजली की दरें बढ़ाने के लिए किनसे अनुमित ली है?

#### ऊर्जा मंत्री:

- (क) निजीकरण की मुख्य शर्त ए.टी एण्ड सी घाटे को कम करने की थी। दिल्ली में बिजली का निजीकरण दिनांक 01.07.2002 को निम्न कम्पनियों को सौंपा गया:-
  - 1. बीएसईएस राजधानी पावर कम्पनी लिमिटेड
  - 2. बीएसईएस यमुना पावर कम्पनी लिमिटेड
  - 3. एनडीपीएल
- (ख) दिल्ली में बढ़ाई गई बिजली की दरों का विवरण अनुलग्नक 'क' पुस्तकालय में उपलब्ध है। वितरण कम्पनियों की ARR Petitions जिसमें कम्पनियों की ऊर्जा खरीद, परिचालन व रख-रखाव के खर्चे, मूल्यह्मस, निश्चित आय आदि का लेखाजोखा होता है, के आधार पर दरों का निर्धारण दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है।
- (ग) वितरण कम्पनियों के लिए दिलली विद्युत विनियामक आयोग के टेरिफ आदेश के तहत बिजली की दरों की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की।

# 150 श्री कुलवन्त राणाः क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में कई कॉलोनियों के मकानों के ऊपर से हाईटेंशन लाइनें गुजर रही हैं,
- (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि इन हाईटेंशन लाइनों की की वजह से दुर्घटनाएँ घटती रहती हैं,

- (ग) यदि हाँ, तो इस प्रकार की कौन-कौन सी कॉलोनियों को सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है, उनका पूर्ण विवरण दिया जाए, चिहिन्त की गई कॉलोनियों के बावजूद भी डीडीए व राजस्व विभाग के अन्तर्गत आने वाली कॉलोनियों में इन हाईटेंशन लाइन के नीचे मकानों का निर्माण किया जा रहा है.
- (घ) क्या सरकार की हाईटेंशन तारों के नीचे बने हुए मकानों को किसी अन्य स्थान पर बसाने की कोई योजना है, पूर्ण विवरण दें, और
- (ड़) जो मकान हाईटेंशन तारों के नीचे बने हुए हैं क्या सरकार उन मकान मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी?

#### ऊर्जा मंत्री:

- (क) जी हाँ।
- (ख) जी नहीं। हालांकि वर्तमान में कुछ दुर्घटनाओं की जानकारी दिल्ली पुलिस से प्राप्त हुई है, जो पुस्तकालय में उपलब्ध है। जहाँ कहीं भी भारतीय विद्युत नियम 1956 तथा केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण द्वारा जारी एचटी/एलटी लाइनों से उचित दूरी के नियमों का उल्लंघन करते हुए आवासीय कालोनी बना ली गई हैं, वहाँ दुर्घटना की संभावना है।
- (ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
- (घ) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
- (ड़) उपरोक्त 'ख' के अनुसार लागू नहीं होता। हालांकि एचटी/एलटी लाईनें बिछाने से पहले उपयुक्त राईट ऑफ वे प्रदान किया गया था एवं अन्य सम्बन्धित स्थानीय

निकायों द्वारा अनुमित प्रदान की गई थी। लेकिन समय के साथ दिल्ली की आबादी बढ़ती गयी एवं लोगों ने इन लाइनों के नीचे एवं आपपास में केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण द्वारा एचटी/एलटी लाइनों से उचित दूरी के नियमों का उल्लंघन करते हुए आवासीय कालोनी का निर्माण कर लिया। इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा आम जनता को आगाह किया जाता है कि इस प्रकार के सभी निर्माण जोकि नियमानुसार न्यूनतम दूरी के अनुरुप नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं।

# 151. श्री कुलवन्त राणाः क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र की अनिधकृत कॉलोनी विजय विहार में एन.डी.पी.एल. द्वारा स्ट्रीट लाईटें लगाने कार्य प्रारम्भ किया गया था,
- (ख) यदि हाँ, तो इस कार्य को प्रारम्भ करने के बाद बंद क्यों कर दिया गया है, इस कार्य को बंद करने के क्या कारण हैं, और
- (ग) इस कार्य को पुन: प्रारंभ करके लाईटें लगाने का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा, पूर्ण विवरण दें?

#### ऊर्जा मंत्री:

#### (क) जी हाँ।

(ख एवं ग) मई, 2008 में विजय विहार कालोनी में स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए अनुमानित लागत फोज-1 के लिए 2927836/- रुपये एवं फोस-2 के लिए 3860975/-रुपये एनडीपीएल द्वारा तैयार की गई थी तथा उसे दिल्ली नगर निगम/दिल्ली सरकार को भेजा गया था। जिसके तहत 70 वाट की 834, 150 वाट की 278 लाईट तथा 9 मीटर के 101 खम्भे लगाए जाने थे। उपरोक्त कार्य के लिए अप्रैल 2009 में एनडीपीएल को फण्ड उपलब्ध कराए गए थे। इस दौरान जमीनी हकीकत में बदलाव आए जोकि डीएसआईडीसी, एमसीडी, फल्ड कन्ट्रोल द्वारा विस्तृत जमीनी भराव तथा वहाँ के निवासियों द्वारा छज्जों के विस्तारे के कारण उचित जमीनी दूरी उपलब्ध नहीं रही। इस कारण वांछित विधायी दूरी उपलब्ध नहीं ने के कारण यह परियोजना तकनीकी तौर पर मानव सुरक्षा के मद्देनजर संभवप नहीं रही। जमीनी हकीकत में उपरोक्त बदलाव के कारण नेटवर्क के प्रति संशोधन के रुप में अनुमानित लागत के तहत दिल्ली नगर निगम से अतिरिक्त धान के आवंटन की आवश्यकता होगी। हालांकि जहाँ भी उचित जगह मिली वहाँ कुल 78 लाईट तथा 23 खम्भे लगा दिए गये।

# 152. चौधरी सुरेन्द्र कुमारः क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी गल्ले की करीब 5 दुकाने कैंसिल है,
- (ख) यदि हाँ तो गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र में नये गल्ले की दुकानें खोलने की कोई योजना है, तो
- (ग) यदि हाँ तो कब तक ये दुकानें खोली जाएगीं। विकास मंत्रीः
- (क) जी नहीं। केवल दो राशन की दुकाने ही कैंसिल हैं।
- (ख) मंडल संख्या 68 (गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र) में फिलहाल नई राशन की दुकान खोलने की योजना विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपरोक्त ''ख'' के अनुसार लागू नहीं।

### 153. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि अनाधिकृत/अधिकृत/अधिकृत कॉलोनियों में विद्युतीकरण करने के पश्चात् विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा अनापित्त प्रमाण पत्र जारी किया जाता है,
- (ख) यदि हाँ, तो दिल्ली की कुल कितनी अनाधिकृत/अधिकृत कॉलोनियों को इस तरह के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उनका विवरण दें,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि विद्युतीकरण किए जाने से पहले विभाग (दिल्ली विद्युत बोर्ड) द्वारा ट्रांसफार्मर व स्वीच रुप आदि बनाने के लिए वहाँ के निवासियों से प्लॉट लिए गए थे, और
- (घ) यदि हाँ, तो करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे प्लॉटों की कुल संख्या कितनी है, पूर्ण विवरण दें?

#### ऊर्जा मंत्री:

(क) विद्युत निरीक्षक, श्रम विभाग, दिल्ली सरकार के द्वारा केवल 650 वोल्ट से अधिक क्षमता वाले विद्युत प्रतिष्ठानों और उपकरणों के लिए सुरक्षा संबंधी उपबंध 43 (केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय विनियम, 2010) के अंतर्गत निरीक्षण किया जाता है एवम् तत्पश्चात सुरक्षित पाए जाने पर सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्युत प्रतिष्ठानों के अधिकृत अथवा अनाधिकृत कालोनियों में लगे होने से इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का कोई संबंध नहीं है।

- (ख) वर्ष 2011 में विद्युत निरीक्षण द्वारा कुल 2577 अनापित प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। उपरोक्त अनापित प्रमाण पत्र अधिकतर विद्युत निरीक्षक द्वारा कुल 2577 अनापित प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। उपरोक्त अनापित प्रमाण पत्र अधिकतर विद्युत वितरण कम्पनियों एवं दिल्ली ट्रांस्कों लिमिटेड को जारी किये गये थे न कि कालोनियों को।
- (ग) जी हाँ। जहाँ कहीं भी भूमि उपलब्ध होती है।
- (घ) करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे प्लाटों की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

## 154. श्री एस.सी.एल. गुप्ताः क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) मेरे विधानसभा क्षेत्र संगम विहार में जो फारेस्ट और ए एस आई की भूमि पर बसी है, उसके उपर से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइन की हटवाने की क्या योजना है,
- (ख) क्या इस हाईटेंशन को हटाने के लिए पूरा व्यय निजी कम्पनी द्वारा किया जायेगा या विधायक कोष की राशि भी इसमें प्रयोग की जा सकती हैं?

## ऊर्जा मंत्री: बीएसईएस राजधानी पावर लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार:-

(क एवं ख) दिल्ली सरकार की दिनांक 27.11.2009 को जारी एचटी/एलटी लाइनों के स्थानान्तरण हेतु निर्धारित नीति के अनुसार नियमित हो चुकी अनिधकृत कालोनियों में लाइन स्थानान्तरण का प्रावधान है, ऊर्जा विभाग तथा विधायक निधि से निर्धारित राशि का 50-50 प्रतिशत राशि जारी की जाती है।

### 155. श्री ओ.पी. बब्बर: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतों को दूर करने व बिजली आपूर्ति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं,
- (ख) ब्लॉक ए-1, विकासपुरी, नई दिल्ली-18 के ट्रांसफार्मर (66 केवी) को 1000 केवी में बदलने एवं एच-3, ब्लॉक विकासपुरी में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगवाने की व्यवस्था में कितना समय लगेगा?
- (ग) तिकोना पार्क, सनातन धर्म मन्दिर के पास, तिलक नगर, नई दिल्ली-18 के ट्रांसफार्मर जो सड़कों के बीच स्थित हैं, को वहाँ से हटाने में कितना समय व खर्च लगेगा?
- (घ) हिमगिरी अपार्टमेंट के फीडर पिर्ल्स, सोनिया पीवीआर काम्पलेक्स, जे-ब्लॉक, विकासपुरी आदि के कमिशयल कॉम्पलैक्स की मरम्मत में कितना समय लगेगा?

#### ऊर्जा मंत्री:

- (क) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए किये गये कार्यों का विवरण अनुलगनक 'क' में संलग्न है।
- (ख) वितरण कम्पनी बीआरपीएल के अनुसार इस क्षेत्र में एए-1 ब्लॉक अनुरेखणीय (Traceable) नहीं है। हालांकि एच-3 ब्लॉक में अतिरिक्त 400 केवीए ट्रांसफार्मर की स्थापना हो चुकी है।
- (ग) उचित भूमि की उपलब्धता के पश्चात् ही, तिकोना पार्क, सनातन धर्म मन्दिर के पास, के ट्रांसफार्मर को स्थानान्तरित करने हेत अनुमान तैयार किए जा सकेंगे।

(घ) हिमगिरी अपार्टमेंट के फीडर पिर्ल्स, सोनिया पीवीआर कमर्शियल काम्पलेक्स, जे-ब्लॉक तथा एच ब्लॉक विकासपुरी में मीटर बोर्ड में सुधार का कार्य किया जा चुका है।

#### **ANNEXURE**

#### Sub: Vidhan Sabha Unstarred Question Dy. No. 155.

Following action has been taken for improvement of power supply in Tilak Nagar constituency:

- \* Replacement of old Service cables have been completed in 1 BIK to 8 BIK Tilak Nagar, 11 BIK to 17 BIK Tilak Nagar, MBS Nagar and A&B BIK Ganesh Nagar.
- \* O/H Bare conductor has been replaced with AB Conductor in all Tilak Nagar area, KG-1 and KG-11 block Vikaspuri.
- \* Capacity of Transformer has been increased from 630 KVA to 990 KVA at B BIK Ganesh Nagar, 630 to 990 KVA at 70 BIK Ashok Nagar, 630 to 990 KVA at Ashok Nagar main park, 400 KVA to 630 KVA at O BIK Mahabir Nagar & Mangla and in few location work is under progress i.e. 630 KVA to 990 KVA at C BIK Vikaspuri, 400 KVA to 630 KVA at GG-1 Vikaspuri, 400 to 630 KVA at Manav Vihar, 630 to 990 at Ashok Park.
- \* Additional Transformer has been installed at many location i.e. 400 KVA at Subji Mandi, 400 KVA at J Block Vikaspuri, 400 KVA at H-3 Block Vikaspuri. In many location installation of additional transformer is in progress i.e. 400 KVA at 21 BIK Tilak Nagar.

## 156. श्री सत प्रकाश राणाः क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि ऊर्जा विभाग वर्ष 2008-2009 में अनाधिकृत कालोनियों में स्ट्रीट लाईट लगाने के लिए 50 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया था,

- (ख) बिजवासन विधान सभा क्षेत्र की कालोनी 740, 1515, 887, 309, 1229, 500, 1239, ई.एल.डी.-115, 1278 कापसहेडा, 1132 समालका, 939 समालका, रंगपुरी, 1130 रंगपुरी, 515, 605, 321, 1140, 1130, 1131, 62 में कहाँ-कहाँ पर कितनी-कितनी स्ट्रीट लाईट लगाई गई हैं,
- (ग) इस विधान सभा क्षेत्र की पूरी कॉलोनियों का ब्यौरा क्या है, कुल कितनी स्ट्रीय लाईट इस विधान सभा क्षेत्र में लगाई गई है, और
- (घ) जिन कालोनियों में अभी तक लाईट नहीं लगी है, वहाँ पर वर्तमान में क्या और लाईट लगाई जा सकती हैं?

#### ऊर्जा मंत्री:

- (क) जी नहीं।
- (ख) बिजवासन विधान सभा क्षेत्र में लगाई गई स्ट्रीट लाईटों का ब्यौरा अनुलग्नक 'क' में संलग्न है।
- (ग) इस विधान सभा क्षेत्र में कुल 24 अनाधिकृत कालोनियों में 2319 स्ट्रीट लाईटें लगाई गई हैं जिनकी अनुमानित लागत 154.92 लाख रुपये है।
- (घ) इस क्षेत्र की सभी कालोनियों में स्ट्रीट लाईटें लगाई जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त बढ़े हुए क्षेत्र में अथवा जो क्षेत्र रह गये हैं उनमें माननीय विधायक जी के अनुरोध पर तथा अनुमानित लागत का भुगतान होने के बाद स्ट्रीट लाईटें लगाई जा सकती हैं।

अतः 50 संख्या 156 का अनु. 'क'.

## **ANNEXURE-1**

# Sub: Vidhan Sabha Unstarred Question Dy. No.156.

Registration No. of Colony	No. of Street Lights points installed from UD Fund
740	18
1515	Already Exist
887	Already Exist
1229	77
500	185
1229	137
ELD 115	30
1278 Kapasera	160
1132 Samalka	165
939 Samalka	20
1130 Rangpuri	187
515	132
605	90
321	19
1140	210
1130	187
1131	105
62	77

### 157. श्री जय भगवान अग्रवाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशन ट्रस्ट बनाने का उद्देश्य क्या था और क्या ट्रस्ट deed and Indian Trust Act व डी.ई.आर.सी. एवं अन्य सरकारी नियमों के अनुरुप ठीक कार्य कर रहा है, यदि हाँ तो पिछले तीन वर्षों में इस ट्रस्ट का ऑडिट कब-कब किया गया,
- (ख) क्या ट्रस्ट द्वारा रिटायर व स्वेच्छा रिटायर कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन व अन्य भत्ते निर्धारित समय पर भुगतान किया जाता है,
- (ग) क्या यह सत्य है कि कुछ रिटायर कर्मचारियों को पेंशन व भत्ते प्राप्त हो रहे हैं और कुछ कर्मचारियों को आज तक किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया है.
- (घ) क्या जिन कर्मचारियों का समय पर भुगतान नहीं किया जाता उन कर्मचारियों को देरी होने के कारण सरकार द्वारा ब्याज दिया ता है, यदि हाँ, तो इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है और उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है, और
- (ड़) इन कर्मचारियों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

# उद्योग मंत्री: डी.वी.बी.एफ. 2002 विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार:-

(क) पेंशन ट्रस्ट की स्थापना पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों व पेंशनर्स को पेंशन व अन्य सेवा निवृति भत्तों के भुगतान करने के उद्देश्य से की गई थी। पेंशन ट्रस्ट सभी नियमों का पालन करता है। ट्रस्ट का ऑडिट 2005-06 तक पूर्ण हो चुका है। 2006-07 से 2009-10 तक ट्रस्ट द्वारा नियुक्त ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है।

- (ख) पेंशन ट्रस्ट सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन आदि जारी करता है तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को पेंशन आदि का भुगतान वितरण कम्पनियों से धनराशि प्राप्त होने के बाद किया जा सकता है।
- (ग) यह सत्य नहीं है, सभी पेंशन जो कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत आते हैं उनको एक समान देय भत्तों व पेंशन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में कर दिया जाता है।

(घ एवं ड़ं) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

## GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT LEVEL-II, A-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.18/25/VSQ/2012/GAD/Admn./3170-71

Dated 03 Sep/2012

To

The Deputy Secretary (DLA) Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi-110054

Sub: Reply of Vidhan Sabha Unstarred Question no. 158 raised by Sh. Srikrishan Tyagi due for reply on 06.09.2012.

Sir,

Please find enclosed herewith the 25 copies of reply of Vidhan Sabha Un-Starred Question no. 158 raised by Sh. Srikrishan Tyagi for further necessary action at your end.

Yours faithfully

(KRISHAN LAL)

DY. SECRETARY (GAD)

No.F.16/25/VSQ/2012/GAD/Admn./3170-71

Dated 03/Sep/2012

Copy to:

1. Director (DIP) Directorate of Information & Publicity, Old Secretariat, Delhi-110054 along with the 70 copies of reply of VSQ Un-Starred Question No. 158 raised by Sh. Srikrishan Tyagi.

(KRISHAN LAL) DY. SECRETARY (GAD)

### 158. श्री श्रीकृष्ण त्यागी: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) दिल्ली सरकार के कार्यालयों और अधीनस्थ विभागों के लिए सभी ईमेल पढना व इसका जवाब देना कब तक अनिवार्य कर दिया जायेगा,
- (ख) किसी भी विधायक द्वारा मंत्री जी को लिखे पत्रों को सम्बन्धित विभागों को भेजने के बाद उन पर कार्यवाई क्यों नहीं होती हैं, और
- (ग) सम्बन्धित विभागों द्वारा विधायक के पत्र का क्यों जवाब नहीं दिया जाता है और क्यों उस पर की जा रही कार्यवाई से अवगत करवाया जाता है?

#### ऊर्जा मंत्री:

(क, ख एवं ग) कार्यालय प्रक्रिया नियमावली एवं कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार विधायक व जनप्रतिनिधि से प्राप्त पत्र, ईमेल को पूर्ण वरीयता देते हुए उन पर उचित कार्यवाई के पश्चात यथाशीघ्र उत्तर दिया जाता है।

## GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT LEVEL-II, A-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.18/25/VSQ/2012/GAD/Admn./3172-73

Dated 03 Sep/2012

To

The Deputy Secretary (DLA) Delhi legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi-110054

Sub: Reply of Vidhan Sabha Unstarred Question no. 159 raised by Sh. Srikrishan Tyagi due for reply on 06.09.2012.

Sir,

Please find enclosed herewith the 25 copies of reply of Vidhan Sabha Un-Starred Question no. 159 raised by Sh. Srikrishan Tyagi for further necessary action at your end.

Yours faithfully

(KRISHAN LAL) DY. SECRETARY (GAD)

No.F.16/25/VSQ/2012/GAD/Admn./3172-73

Dated 03/Sep/2012

Copy to:-

1. Director (DIP) Directorate of Information & Publicity, Old Secretariat, Delhi-110054 along with the 70 copies of reply of VSQ Un-Starred Question No. 159 raised by Sh. Srikrishan Tyagi.

(KRISHAN LAL) DY. SECRETARY (GAD)

### 159. श्री श्रीकृष्ण त्यागी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या विधायक के पत्र वी.आई.पी. श्रेणी में नहीं आते हैं,
- (ख) दिल्ली सरकार के कार्यालयों में किसी भी विधायक या किसी जनप्रतिनिधि के ईमेल को न तो पढ़ा जाता हैं और न ही इसका जवाब दिया जाता हैं, ऐसा क्यों, और
- (ग) वी.आई.पी. पत्रों का उत्तर देने की समय सीमा क्या हैं?

#### ऊर्जा मंत्री:

- (क) विधायकों के पत्रों के सम्बन्ध में कोई श्रेणी परिभाषित नहीं हैं। यद्यपि इन पत्रों को वरीयता प्रदान करते हुए इनका यथाशीघ्र दिया जाता है।
- (ख) विधायक या जनप्रतिनिधि के ईमेल या पत्रों पर उचित कार्यवाही के पश्चात उसका यथाशीघ्र उत्तर विभाग द्वारा दिया जाता है।
- (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों के पत्रों का यथाशीघ्र उत्तर दिया जाना चाहिए।

# 160. श्री ओ.पी बब्बर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों जिनमें मेंडिकल काउंसिल व नर्सिंग स्कूल भी शामिल हैं, के लिए गुरु गोबिन्द सिंह अस्पताल रघुवीर नगर नई दिल्ली-27 के सामने इमारत के निर्माण हेतू पी.डबल्यू.डी द्वारा सलाहकार आर्किटेक्ट नियुक्त किया जा चुका है।

- (ख) क्या इस कार्य के लिए डी.डी.ए. द्वारा इस प्लाट का लैड यूज कनवर्जन किया जा चुका है यदि हाँ तो इस योजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा।
- (ग) कालोनी अस्पताल तिलक नगर के भवन निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है
- (घ) क्या यह सत्य है कि कालोनी अस्पताल तिलक नगर नई दिल्ली 18 की चारदीवारी को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड दिया गया है जिससे कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है यदि हाँ तो दीवारों की मरम्मत व चौकीदार तैनाव करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

#### स्वास्थ्य मंत्री:

- (क) जी हाँ।
- (ख) जी नहीं।
- (ग) यह अस्पताल दिल्ली नगर निगम (दक्षिण) के अर्न्तगात है। दिल्ली नगर निगम (दक्षिण) के अर्न्तगत है। दिल्ली नगर निगम (दक्षिण) से प्राप्त सूचनानुसार इस अस्पताल का निर्माण कार्य पेड़ों की कटाई की अनुमित वन विभाग से प्राप्त होने के पश्चात प्रारम्भ होगा।
- (घ) जी हाँ। दिल्ली नगर निगम के अभियांत्रित विभाग के कर्मचारियों द्वारा चारदीवारी क मरम्मत करवाई जा रही है।

## 161. श्री ओ.पी. बब्बर: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्या गुरु गोविन्व सिंह अस्पताल रघुवीर नगर में 150 बिस्तर का प्रसूति व शिशू
 ब्लाक के निर्माण के लिए स्वीकृत भवन नक्शा प्राप्त किया जा चुका है

- (ख) यदि हाँ, तो इस योजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा?
- (ग) इस परियोजना में देरी के लिए कौन जिम्मेदार है तथा इसे शीघ्रता से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

#### स्वास्थ्य मंत्री:

- (क एवं ख) जी नहीं, गुरु गोबिन्द सिंह अस्पताल में 150 बिस्तर का प्रसूति व शिशु ब्लाक के निर्माण के लिए ले-आउट प्लान को डी.एफ.एस/डी.यू.ए.सी. द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है और वर्तमान में पी डब्ल्यू डी द्वारा एम सी डी में ले-आउट प्लान इत्यादि अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजे जा चुके हैं जो कि एम.सी.डी. की स्टैंडिंग कमेटी के अनुमोदन के लिए लम्बित हैं और पी डब्ल्यू डी द्वारा गई जानकारी के अनुसार शीघ्र ही स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होगी।
- (ग) विभिन्न संस्थाओं से अनुमोदन की प्रकिया में ज्यादा समय लगता है तथापि इसे शीघ्रता से पूरा कराने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जा रही हैं।

# 162. श्री मनोज कुमार : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि अपंगता प्रमाण बनाने हेतु पाँच से छ: माह का समय लगता है?
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि प्रमाण पत्र बनवाने वाले व्यक्ति को क्षेत्रीय सीमा विवाद का हवाला देकर एक से दूसरे अस्पताल में बिना वजह घुमाया जाता है और

(ग) जैसा कि मुण्डका विधानसभा क्षेत्र में एक भी बड़ा अस्पताल नहीं है तो क्या सरकार तत्संबंधी नियमों में कोई सुधार करेगी तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रानुसार अस्पतालों की सूची एवं मौजूदा नियमों का विवरण क्या है।

### स्वास्थ्य मंत्री:

- (क) जी नहीं, अपंगता प्रमाणपत्र औसतन 2 से 6 सप्ताह में बना दिये जाते हैं।
- (ख) जी नहीं, अपंगता प्रमाणपत्र के लिए जिलेवार अस्पताल अधिसूचित किये गये हैं, यह अधिसूचना समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाती हैं।
- (ग) अपंगता प्रमाणपत्र के लिए अधिसूचना विधानसभा वार न होकर जिलेवार है विवरण पुस्तकालय में उपलब्ध है।

## 163. श्री मनोज कुमार : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या मास्टर प्लान 2021 की जनगणना के अनुसार सरकार द्वारा प्रसूति गृह खोलने की कोई योजना है,
- (ख) यदि हाँ तो कुल कितनी आबादी पर प्रसूति गृह खोले जाएँगे,
- (ग) दिल्ली में कुल कितने प्रसूति गृह सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनका नाम एवं पता विवरण क्या है और?
- (घ) क्या मुण्डका विधानसभा क्षेत्र में प्रसूति गृह खोलने की सरकार की कोई योजना है, यि हाँ तो कब तक और यि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, क्या मुण्डका विधानसभा क्षेत्र में कोई अस्पताल बनाने की कोई योजना है, यि हाँ तो कब तक और यि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

### स्वास्थ्य मंत्री:

- (क एवं ख) प्रसूति गृह खोलने का कार्य दिल्ली नगर निगम के अर्न्तगत आता है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 02 लाख या उससे अधिक आबादी पर प्रसूति गृह खोले जा सकते हैं।
- (ग) विवरण सलंग्न है।
- (घ) दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना अनुसार मुण्डका विधानसभा में प्रसूति गृह का निर्माण कार्य चल रहा है। मुण्डका विधानसभा क्षेत्र में गाँव जोन्ती में एक मातृत्व एवं शिशु असपताल तथा गाँव लाडपुर, टिकरीकॅला, सावदा घेवरा फेस-3 में अस्पताल निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता की कार्यवाही की जा रही हैं।

### प्रश्न संख्या 163 सलंग्नक

## उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अर्न्तगत कार्यरत प्रसूति गृहों की सूची-

- 1. कमला नेहरु मैटरनिटी होम, अवसेजिट विवेकानंद पुरी, किशनगंज, दिल्ली-110007
- 2. नारायणा मैटरनिटी होम, माता मन्दिर के नजदीक, नारायणा, दिल्ली-28
- 3. रैगपुरा मैटरनिटी होम, रैगरपुरा गली नं. 59, दिल्ली-28
- 4. भाई परमानन्द मैटरनिटी होम, बी.पी.एन.,अस्पताल, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली-8
- गुलाबी बाग मैटरिनटी होम, नियर-एम.सी.डी. चैस्ट क्लीनिक, गुलाबी बाग, दिल्ली-8
- 6. जवाहर नगर मैटरनिटी होम, एम.सी.डी. चैस्ट क्लीनिक, गुलाबी बाग, दिल्ली-07
- 7. राणा प्रताप बाग मैटरनिटी होम, एम.सी.डी.-7/2, आर.पी. बाग, दिल्ली-07
- 8. शक्ति नगर मैटरनिटी होम, शक्ति नगर, दिल्ली
- 9. मंगोलपूरी मैअरनिटी होम, मंगोलपुरी ए ब्लॉक, दिल्ली
- 10. रोहिणी सेक्टर-3 मैटनिटी होम. रोहिणी सेक्टर-3. दिल्ली
- शक्र्रबस्ती मैटरिनटी होम, नियर कम्युनिटी सेन्टर सन्त नगर रोड़, रानी बाग,
   दिल्ली-54
- 12. शकूरपुर मैटरनिटी होम, जी ब्लॉक शकूरपुर, दिल्ली
- 13. त्रीनगर मैटरनिटी होम, 973 गली नं. 60, लेखु नगर, त्रीनगर, दिल्ली-35

- 14. नेरला मैटरनिटी होम, प्रीमिसिस ऑफ पी.एच.सी. नरेला, दिल्ली-40
- 15. बख्तावरपुर मैटरनिटी होम, बख्तावरपुर गाँव, दिल्ली
- 16. मैटरनिटी होम ज्वालापुरी, ज्वालापुरी, दिल्ली
- 17. मैटरनिटी होम शाहबाद, शाहबाद दौलतपुर, शाहबाद, दिल्ली
- 18. मैटरनिटी होम हैदरपुर, हैदरपुर, दिल्ली

# दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अर्न्तगत कार्यरत प्रसूतिगृहों की सूची-

- 1. मैटरनिटी होम सुभाष नगर
- 2. मैटरनिटी होम श्रीनिवासपुरी
- 3. मैटरनिटी होम विष्णु गार्डन
- 4. मैटरनिटी होम जंगपुरा
- 5. मैअरनिटी होम बदरपुर
- 6. मैटरनिटी होम मादीपुर
- 7. मैटरनिटी होम डिफैन्स कालोनी

# पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अर्न्तगत कार्यरत प्रसूतिगृहों की सूची-

1. प्रसूति गृह चाँदी वाला, रेलवे रोड, शाहदरा

- 2. प्रसूति गृह करावलनगर, नियर चेस्ट क्लिनिक, शाहदरा
- 3. प्रसूति गृह, बी ब्लॉक यमुना विहार
- 4. यमुना विहार जे.वी. 6, सीलमपुर
- यमुना विहार, गली नं. 8, गीता कालोनी
- 6. यमुना विहार खिचडीपुर, नियर पुलिस स्टेशन
- 7. यमुना विहार, पटपडगंज, अपोजिट पाडंवनगर
- 8. यमुना विहार, जी-ब्लॉक, दिलशाद गार्डन।

## 164. श्री साहब सिंह चौहान : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार कुछ सरकारी अस्पतालों को पूर्णत: व अंशत निजी हाथों में सौपने जा रही है;
- (ख) यदि हाँ, तो उसका विस्तत व्यौरा क्या है

### स्वास्थ्य मंत्रीः

- (क) जी नहीं
- (ख) उपरोक्तानुसार।

## 165. चौधरी सुरेन्द्र कुमार : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा कहाँ कहाँ डिस्पेंसरी खोलने की योजना है: और
- (ख) गोकुलपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग को जमीन दी गई थी वहाँ कब तक स्वास्थ्य कोन्द्र बनाया जाएगा।

### स्वास्थ्य मंत्री:

- (क) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में नई डिस्पेंसरी खोलने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से उपयुक्त भूमि प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही हैं।
- (ख) गोकुलपुर गाँव में स्वास्थ्य विभाग को अभी तक कोई भूमि आबंटित नहीं की गई हैं। किन्तु उप- निदेशक आई.एल. को दिनांक 26/7/2012 को एक पत्र गोकुलपुर गाँव में एक 750 स्केवयर मीटर प्लाट जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा

डिस्पेंसरी हेतु चिन्हित किया गया है, के संयुक्त निरीक्षण करने हेतु निवेदन किया है, किन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस बाबत अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

## 166. श्री जगदीश मुखी: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) जनकपुरी में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया।
- (ख) इसको बनाने में कुल कितने वर्ष लगे इस अस्पताल का उदघाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कब किया,
- (ग) उदघाटन के चार वर्ष बाद भी आज तक यह अस्पताल चालू क्यों नहीं हो सका इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) यह अस्पताल कब तक चालू कर दिया जाएगा?

### स्वास्थ्य मंत्री:

- (क) इस अस्पताल का निर्माण कार्य दिनांक 27.06.2003 को प्रारंभ किया गया,
- (ख) इस अस्पताल को बनाने में कुल 4 वर्ष लगे और इस अस्पताल का उदघाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2008 को किया गया,
- (ग) इस अस्पताल में वर्तमान में ओ.पी.डी. की सुविधाएँ जैसे कार्डियोलोजी न्यूरोलोजी नेफरोलोजी और ऑकोलोजी की सुविधाओं के साथ डे-क्यर आग्जर्वेशन की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं एवं इसके अतिरिक्त सर्पोटिव सर्विस जैसे-स्पीच थैरेपी फिजियोथैरेपी एक्युपेशनल थैरेपी रेडियोलोजी और लैब की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। हालांकि इस अस्पताल में उपरोक्त लिखित सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं

यद्यपि पूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली सरकार की पहले इस अस्पताल को पी.पी.पी मोड माध्यम से चालू करने में सफलता नहीं मिली। परन्तु अब दिल्ली सरकार ने इस अस्पताल को सरकार द्वारा ऑटोनॉमस मोड के द्वारा चलाने का निर्णय लिया है।

(घ) सरकार का पूरा प्रयास है कि अस्पताल को पूर्णत: शीघ्र आरम्भ कर दिया जाए। अस्पताल के निदेशक के चयन के लिए विज्ञापन दिया जा चुका है तथा विभिन्न विभागों, जिनकी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जानी हैं को चिन्हित कर लिया गया हैं। डॉक्टरों के चयन एवं अन्य सेवाओं के आरम्भ की प्रक्रिया जारी हैं।

### 167. श्री मालाराम गंगवालः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) मादीपुर में एक 200 बिस्तरों का अस्पताल बनना था इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं,
- (ख) सरकार ने दस संबंध में बिल्डिंग का नक्शा बनवा लिया है क्या इसे पास कर दिया है,
- (ग) सरकार ने अस्पताल में आने जाने के रास्ते की पहचान कर ली है क्या अवरोध कों को हटाया जायेगा,
- (घ) अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा या शुरु होगा?

### स्वास्थ्य मंत्री:

(क) कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण विभाग के अनुसार मादीपुर में 200 बिस्तरों का अस्पताल बनाने हेतु दिनांक 02.07.2010 को भूमि का कब्जा लिया गया था। इस भूमि का भू उपयोग एम.पी.डी 2021 के अनुसार आवासीय था जिसे भारत का राजपत्र दिनांक 12.10.2011 द्वारा सार्वजिनक एवं अर्द्ध सार्वजिनक उपयोग अस्पताल में परिवर्तित किया गया। इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ हैं, आगे की कार्यवाही जारी हैं।

- (ख) इस निदेशालय द्वारा इस भूमि का भू उपयोग के निर्माण हेतु प्रारंभिक नक्शा दिनांक 18.06.2012 को स्वीकृत करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोक निर्माण विभाग बी-232 को सौप दिया गया है। कार्यपालका अभियंता लोक निर्माण विभाग के अनुसार यह नक्शा दिनांक 28.08.2012 को एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया के कार्यालयों में अनुमोदन हेतु भेजा जा चुका है। इसके उपरान्त नक्शे को दिल्ली अर्बन आर्ट किमशन द्वारा दिल्ली नगर निगम के कार्यालयों में अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।
- (ग) कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण विभाग के अनुसार इस अस्पताल का मुख्य द्वार रामदेव मार्ग की और से शिकारी कुंज के साथ से निकलेगा जिसके लिए दिल्ली अर्बन शैल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड ने 1-18 एकड जमीन देने की सैद्वांतिक रुप से स्वीकृति दे दी हैं।
- (घ) प्राप्त सूचना के अनुसार इस अस्पताल का निर्माण कार्य मार्च 2013 में आरम्भ होने
   की संभावना है तथा कार्य लगभग 30 माह में पूरा किया जाएगा।

## 168. श्री विपिन शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र संख्या 64 में सीलमपुर फेस 3 में स्थित फोटा चौक स्लम की लगभग 1500 गज भूमि खाली पड़ी है जिस पर पहले स्लम विभाग का शौचालय था जो अब प्रयोग में नहीं आ रहा हैं,
- (ख) यदि हाँ तो क्या सरकार इस भूमि का प्रयोग जनिहत में क्षेत्र वासियों के लिए डिस्पेंसरी बनाकर कर सकती है यदि हाँ तो इस भूमि पर डिस्पेंसरी का निर्माण कब तक करा दिया जाएँगा?

### स्वास्थ्य मंत्रीः

(क एवं ख) वर्णित भूमि मिलने पर भूमि उपयोग, एरिया, पहुँच मार्ग एवं उस क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में डिस्पेंसरी खोली जा सकेगी। वर्तमान स्थिति में समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

## 169. श्री कुलवन्त राणा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल सैक्टर 6 रोहिणी दिल्ली को वर्ष 2009-10 में मेडिकल कालेज बनाने का निर्णय लिया गया था।
- (ख) यदि हाँ तो क्या इसको मेडिकल कालेज बनाने की सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं या अभी कुछ शेष हैं,
- (ग) क्या इसके नये भवन निर्माण के लिए अस्पताल परिसर में पर्याप्त स्थान है यदि नहीं तो दिल्ली सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए क्या योजना बना रही है पूर्ण विवरण दें,
- (घ) इसके भवन निर्माण का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा और यह कब तक अस्तित्व में आ जाएगा और,
- (ड़) क्या अगले वर्ष से इसमें मेडिकल की शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी यदि नहीं तो क्यों नहीं?

### स्वास्थ्य मंत्रीः

- (क) जी हाँ।
- (ख) कंसलटेंट नियुक्ति की प्रक्रिया जारी हैं।

- (ग) जी हाँ,
- (घ) निर्माण कार्य के लिए प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति होने के बाद 30 माह में।
- (ड) यह बताना अभी सम्भव नहीं हैं।

### 170. श्री प्रहलाद सिंह साहनी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मजनूं का टीला डिस्पेंसरी का सुधार होने के बावजूद भी उसको प्रयोग में नहीं लाया जा रहा हैं,
- (ख) यदि हाँ, तो ऐसा क्यों,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि नवाबगंज डिस्पेंसरी के सुधार हेतु दिल्ली सरकार ने डी. एस.आई.डी.सी. विभाग को तकरीबन पैंसठ लाख रुपया दिया था,
- (घ) यदि हाँ तो अब भी उस डिस्पेंसरी का कार्य अधूरा क्यों पड़ा हुआ है और
- (ड़) नवाबगंज डिस्पेंसरी का काम कब तक पूरा किया जा सकेगा? स्वास्थ्य मंत्री:
- (क) चांदनी चौक विधान सभा के अर्न्तगत स्थित मजनू का टीला डिस्पेंसरी सुधार होने के बाद अप्रैल, 2012 से बस्ती विकास केन्द्र, एस. ब्लॉक, मजनू का टीला, दिल्ली 110054 में कार्यरत हैं।
- (ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
- (ग) जी हाँ।

- (घ) डी.एस.आई.डी.सी. द्वारा उक्त भवन के सुधार हेतु बाद में अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई थीह जिसके लिए उक्त धनराशि को डी.एस.आई.डी.सी. को उपलब्ध कराने का कार्य अंतिम चरण पर हैं।
- (ड़) वर्तमान स्थिति में समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं हैं।

  171. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) सरकार आने वाले समय में किस किस जगह नए अस्पताल खोल रही है.
- (ख) सैक्टर 9 द्वारका में जो अस्पताल खोला जाना था उसका कार्य कब तक शुरु होगा
- (ग) अगर अभी शुरु नहीं होगा तो कारणो का विवरण दें और,
- (घ) पहले तय हुई धनराशि की जगह इस पर अब कितनी ज्यादा धनराशि खर्च होगी? स्वास्थ्य मंत्री:
- (क) आने वोल समय में सरकार द्वारा अस्पताल खोले जाने की सूची संलग्न है।
- (ख) लोक निर्माण विभाग द्वारा दिये गये प्रारम्भिक एस्टीमेट की कैबिनेट द्वारा स्वीकृति के बाद, निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी।
- (ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
- (घ) पिछली धनराशि जो कि 350 करोड़ रुपये अनुमोदित हैं उसकी जगह लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमानित राशि 607.23 करोड़ कैबिनेट द्वारा मंजूर होना प्रस्तावित हैं। बिस्तरों की संख्या में बढोत्तरी तथा इस अस्पताल से मेडिकल कालेज सम्बद्ध होने के प्रस्ताव के कारण इसके अनुमानित राशि में बढोत्तरी हुई हैं।

### प्रशन संख्या 171

# निर्माणाधीन/प्रस्तावित अस्पतालों की सूची-

- 1. 200 बिस्तरों का अस्पताल, कोकीवाला बाग, अशोक विहार
- 2. 200 बिस्तरों का अस्पताल, बुरारी
- 3. 750 बिस्तरों का अस्पताल, द्वारका
- 4. 100 बिस्तरों का अस्पताल, सरिता विहार
- 5. 200 बिस्तरों का अस्पताल, मादीपुर
- 6. 200 बिस्तरों का अस्पताल, सिरसपुर
- 7. 225 बिस्तरों का अस्पताल, छत्तरपुर
- 8. 200 बिस्तरों का अस्पताल, ज्वालापुरी
- 9. 60 बिस्तरों का अस्पताल, मोलबंद
- 10. 200 बिस्तरों का अस्पताल, विकासपुरी (हस्तसाल)
- 11. 100 बिस्तरों का अस्पताल बापरोला
- 12. 200 बिस्तरों का अस्पताल, केशवपुरम
- 13. 200 बिस्तरों का अस्पताल, अम्बेडकर नगर

## 172. श्री जय भगवान अग्रवाल: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में ओथ किमश्नर की नियुक्ति हेतु जिन आवेदन कर्ताओं का साक्षात्कार सितम्बर 2011 में हुआ था, क्या यह भी सत्य है कि साक्षात्कार के उपरांत साक्षात्कार सिमिति की सिफारिशें सरकार के अनुमोदन के लिए भेजी गई थी।

- (ख) यदि हाँ, तो साक्षात्कार सिमिति की सिफारिशों पर आज तक क्या कार्यवाही हुई है, नहीं तो कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं.
- (ग) सरकारी गाईड लाईन के अनुसार कितने दिनों में अनुमोदन कर लिया जाता हैं, और,
- (घ) ओथ किमश्नर की नियुक्ति कितने दिनों के अंदर कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री:
- (क) हाँ।
- (ख) साक्षात्कार सिमति की सिफारिशें अनुमोदनार्थ हेतु भेजी गई है।
- (ग) इस संबंध में कोई सरकारी गाईड लाईन नहीं है।
- (घ) ओथ कमिश्नर की नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं हैं।
- 173. श्री जय भगवान अग्रवाल : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) गाँव नाहरपुर के सिजरे अनुसार खसरा नं. 184 कितने साईड़ ओपन था? सिजरे सिहत जानकाकारी उपलब्ध करवाये? (सिजरा भी उपलब्ध करवायें),
- (ख) गाँव नाहरपुर खसरा नं. 184 का दिल्ली सरकार ने कब अधिग्रहण किया था? और अब तक इस खसरे की जमीन का कब्जा क्यों नहीं लिया गया?
- (ग) क्या खसरा नं. 184 में कोई मन्दिर बना हुआ है, यदि हाँ तो यहाँ कब से पूजा-पाठ व अन्य धार्मिक गतिविधियाँ चल रही है,

(घ) राजस्व विभाग किसके नाम है और नाहरपुर के खसरा नं. 184 की जमीन पर कौन काबिज है?

#### स्वास्थ्य मंत्री:

- (क) मुताबिक शिजरा साल 1938-39 गाँव नाहरपुर खसरा नं. 184 रकबा (0-13) Biswa दो तरफ से ओपन है नक्ल अक्ल रिपोर्ट के साथ पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ख) इस खसरा नं. को अवार्ड नं. 35/78-79 के द्वारा अधिग्रहित किया गया था। कब्जा कार्यवाही दिनांक 15.02.79 के अनुसार Built up होने के कारण इसका कब्जा नहीं लिया गया।
- (ग) मुताबिक मौका खसरा नं. 184 रकबा (0-13) गाँव नाहरपुर दिल्ली की भूमि पर चार दीवारी के अंदर विशाल वात्सालय मंदिर, यात्री निवास, पंचायत महाजन गाँव नाहर पुर का ऑफिस, सत्संग हाल (टीन रोड़) कुऑ, खुला बरामदा, जीना (सीढ़ियों) ग्राउंड फ्लोर पर स्टोर रुम, पहली मंजिल पर कमरे शौचालय आदि बने हुए हैं। चार दीवारी के अंदर दो पीपल के पेड़ एवं नीम का पेड़, एक बरगद का पेड है। पूजा-पाठ व अन्य धार्मिक गतिविधियों का रिकॉर्ड दर्ज नहीं है।
- (घ) नथल खतौरी साल 1994-95 रिपोर्ट के साथ पुस्तकालय में उपलब्ध है जिसके अनुसार खसरा नं. 184 (गेर मुमिकन चाह आवनेशी) का दिखल खारिज पंचायत महातम, ग्राम नाहरपुर के नाम दर्ज है। काबिज का कोई रिकार्ड है।
- 174. श्री जय भगवान अग्रवाल : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) क्या यह सत्य है कि रोहिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सूरजपार्क,

समयपुर नामक अनिधकृत कालोनी समयपुर की बढ़ी हुई आबादी के रुप में विकसित हुई है जो 13 जुलाई 1987 के गजट नोटिफिकेशन अनुसार डी-नोटिफाईड हो चुकी हैं,

- (ख) क्या यह भी सत्य है कि राजस्व गांव समयपुर के खसरा नं. 38/16 एवं 36/17 की सूरज पार्क कालोनी का ही भाग हैं, यदि हाँ, तो कब से है,
- (ग) राजस्व गांव समयपुर के खसरा नं. 36/16 एवं 36/17 का दिल्ली सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जारी किया था और उस समय उक्त खसरा नम्बरों के भूमि स्वामियों (किसानों) का क्या नाम था,
- (घ) राजस्व गांव समयपुर के खसरा नं. 36/16 एवं 36/17 का दिल्ली सरकार ने फिजिकल पोजिशन कब लिया था और फिजिकल पोजिशन लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण को कब दिया था, यदि नहीं तो दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा फिजिकल पोजिशन न लेने और दिल्ली विकास प्राधिकरण को फिजिकल पोजिशन न देने के क्या कारण हैं.
- (इ) क्या राजस्व गांव समयपुर के खसरा नं. 36/16 एवं 36/17 का किसी भी भूमि अधिग्रहण अवार्ड का मुआवजा भूमि स्वामियों (किसानों) ने लिया था,
- (च) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की 48 अनाधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के लिये 15.12.90 में जारी की गई अधिसूचना में सूरज पार्क कालोनी का भी नाम था. और
- (छ) टाउन प्लानर यू.डी. विभाग दिल्ली सरकार द्वारा मार्च 1993 में करवाये गये हवाई सर्वे के अनुसार राजस्व गांव समयपुर के खसरा नं. 36/17 (सुरजपार्क, समयपुर कालोनी के भाग) पर भवन आदि बने हुए थे और उनका प्रतिशत कितना था?

#### स्वास्थ्य मंत्री:

- (क) राजस्व विभाग में इस से संबधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं।
- (ख) जी हाँ, 2007 की सर्वे लिस्ट के अनुसार ख, नं. 36/16,17 सूरज पार्क कलोनी का हिस्सा है।
- (ग) अवार्ड संख्या 19/83-84, समयपुर का नक्शा मुतजिकन शुमार संख्या 85 के अनुसार खसरा नं. 36/16 की मिल्कियत मेद सिंह व छज्जू पुत्र मेहर सिंह एवं शुमार संख्या 84 के अनुसार खसरा नं. 36/17 की मिल्कियत किशनलाल पुत्र खडक सिंह की है।
- (घ) अवार्ड फाईल के रिकार्ड अनुसार उपरोक्त नम्बरान खसरा का फिजिकल कब्जा

  DDA को कोर्ट केस करण नहीं दिया गया था।
- (ड़) उपरोक्त नम्बरान खसरा का कब्जा न लेने के कारण भूमिधारन को उसका मुआवजा नहीं दिया गया।
- (च) शहरी विकास विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार जी नहीं।
- (छ) सूचना एत्रित की जा रही है।

## 175. श्री श्रीकृष्ण: क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछडा़ वर्ग के सिर्टिफिकेट बनाने के लिए 1993 का दिल्ली में रहने का निवास-प्रूफ क्यों आवश्यक हैं,
- (ख) क्या 1993 के बाद दिल्ली का निवासी दिल्ली का नागरिक नहीं माना जाएगा.
- (ग) क्या दिल्ली में स्कूल सर्टिफिट दिल्ली का निवास प्रूफ माना जाएगा,

- (घ) क्या दिल्ली सरकार 1993 की समय सीमा में कोई परिवर्तन करेगी,
- (ड़) क्या जाति प्रमाण-पत्र के आवेदन फार्म आवश्यक दस्तावेजों की जाँच के बाद ही जमा किए जाते हैं, और
- (च) यदि हाँ, तो उन आवेदन फार्मो को जमा करने की रसीद देने के बाद रद्द क्यों किया जाता हैं?

### विकास मंत्री:

- (क) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए राष्ट्रपित द्वारा जारी किये सवैधानिक आदेशों की तिथियों को मूल निवास स्थान निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 8 सितम्बर 1993 तथा 15 नवम्बर 1993 के कार्यालय के ज्ञापन के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रवधान किया गया था। इस के उपरान्त 8 अप्रैल 1994 के पत्र द्वारा सामाज कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा 15 नवम्बर 1993 के आदेशों को और अधिक पूर्णयता प्रदान करते हुए किसी भी राज्य में अन्य राज्यों से आए प्रवासियों के लिए पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया था। क,ख,ग पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।
- (ख) भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है।
- (ग) यह मूल निवास का प्रमाण नहीं माना जाएगा।
- (घ) इस संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
- (ड़) जी हाँ।

(च) आवेदन फार्मो को जमा करने के बाद उन फार्मो में संलग्न दस्तावेजों के अपूर्ण होने, शपथ पत्र अहस्ताक्षरित होने के कारण, कागजात सहीं न होने के कारण, सही प्राधिकारी द्वारा सत्यापन न होने के कारण, जाली दस्तावेज होने के कारण आवेदन फार्म में दिये गए पते पर न रहता हुआ पाया जाये या आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र किसी दूसरे राज्य से जारी किए जाति प्रमाण-पत्र जाँच के लिए उस राज्य में भेजने पर उनका जवाब नहीं आने पर या उसके फर्जी होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवेदन फार्म रद्द कर दिया जाता है।

## 176. श्री श्रीकृष्ण त्यागी : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या दिल्ली सरकार की पुराने मकानों को बनाने में दिल्ली पुलिस के हस्तक्षेप रोकने हेतु जल्दी ही एक नोटिफिकेशन जारी करने की योजना है,
- (ख) जब दिल्ली सरकार अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने जा रही है तो लोगों को मकान बनाने में क्यों परेशान किया जा रहा है,
- (ग) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जहाँ-जहाँ भी ग्रामसभा की जमीन हैं, वहाँ पर सरकार ने अभी तक चेतावनी के बोर्ड क्यों नहीं लगाए हैं,
- (घ) ग्रामसभा जमीन को बचाने के लिए सरकार कब तक चेतावनी के बोर्ड लगा देगी,
- (ड्) इन ग्रामसभा जमीनों में कौन-कौन सी सरकारी सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं, और
- (च) बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत ग्रामसभा 81 में कितनी भूमि को मलिकयत में बदला गया और बी.डी.ओ. ने कितने केस में अपील की, और नहीं की, तो क्यों नहीं?

### विकास मंत्री:

- (क) विचाराधीन है।
- (ख) शहरी विकास विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है तथा लोगों को कानून अनुसार मकान बनाने के लिए परेशान नहीं किया जा रहा है।
- (ग व घ) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सभा की दो जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाये गये है। ग्राम सभा की शेष भूमि पर चेतावनी बोर्ड लगाने की कार्यवाही जारी है।
  - (ड़) ग्राम सभा की भूमि को किसी सरकारी विभाग द्वारा मांगे जाने पर माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली की अनुमित के पश्चात आवंटित कर दिया जाता है जिसमें संबंधित कार्योलय अपने विभाग के अनुसार सुविधाएँ उपलब्ध करा सकता है।
- (च) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आने वाली सिविल लाइन उपमण्डल क्षेत्र में ग्राम सभा 81 की भूमि को मलिकयत में नहीं बदला गया। अत: अपील का प्रश्न ही नहीं उठता।

## 177. श्री कृष्ण त्यागी : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन सी जगह ग्रामसभा की जमीन है संपूर्ण खसरा नंम्बर का विवरण दें,
- (ख) उपरोक्त ग्रामसभा जमीन में खाली पड़ी व आबादी वाली जमीन के खसरा नंम्बर दें,
- (ग) अनाधिकृत कॉलोनियों में जो मकान पुराने व नीचे चले गए हैं उनको दोबारा तोड़कर बनाने में दिल्ली पुलिस द्वारा हस्तक्षेप क्यों किया जाता हैं।

(घ) पुलिस द्वारा पुराने मकानों को बनाने में जनता को क्यों परेशान किया जाता हैं तथा काम रोक कर उनको बेघर कर दिया जाता है?

## विकास मंत्रीः

- (क) पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।
- (ख) उपरोक्त।
- (ग) इस विभाग से संबंधित नहीं है।
- (घ) उपरोक्त।

सेवा मे.

श्री डी.के.सैनी एस.डी.एम.-3 (मुख्या), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, राजस्व विभाग, पार्लियामेन्ट सैल, 5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

विषय:- विधान सभी प्रश्न संख्या 177, दिनांक 6.9.2012 बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन सी जगह ग्राम सभा की जमीन है, संपूर्ण खसरा नम्बर के विवरण के बारे में।

महादेय,

कृपया आपके कार्यालय पत्र संख्या एफ.11/96/डीसी/पीसी/वीएस/12/258 दिनांक 29.8.2012 के संदर्भ में उपरोक्त विषय पर मुझे उत्तर देने का निर्देश हुआ है जो कि निम्नलिखित है:-

- (क) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंत कौन-कौन सी जगह ग्राम सभा की जमीन है, संपूर्ण खसरा नम्बर का विवरण दें,
- (ख) उपरोक्त ग्रामसभा जमीन मे खाली पड़ी व आबादी वाली जमीन के खसरा नम्बर दें,
- (ग) अनाधिकृत कॉलोनियों में जो मकान पुराने व नीचे चले गए हैं उनको दोबारा तोडकर बनाने में दिल्ली पुलिस द्वारा हस्तक्षेप क्यों किया जाता है, और
- (घ) पुलिस द्वारा पुराने मकानों को बनाने में जनता को क्यों परेशान किया जाता है तथा काम रोक कर उनको बेघर दिया जाता है?

### विकास मंत्री:

दिल्ली सरकार जवाब दें। दिल्ली पुलिस अपने आप से निर्माण कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। सिर्फ डीएमसी एक्ट की धारा 475 के तहत किसी भी अनाधिकृत निर्माण के संबंध में सूचना भू-स्वामित्व विभागों को देती है। इसके अलावा डीएमसी एक्ट की धारा 344(2) के तहत जब एमसीडी के द्वारा नोटिस देकर पुलिस को कपतमबजपवद दी जाती है तभी पुलिस निर्माण कार्य रूकवाती है और जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्य सामग्री जब्त भी करती है।

## 178. श्री सत प्रकाश राणाः क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि विभिन्न कालोनियों मे धारा 81 के तहत नोटिस जारी कर प्लाटों को ग्राम सभा में वैस्ट किया जा रहा है, यदि हाँ तो इस संबंध में सरकार क्या योजना बना रही है, और
- (ख) यदि सरकार द्वारा इन कालोनियों को अथौराइज किया जाना है तो इन कालोनियों
   में जो प्लाट हैं, उनको ग्राम सभा में वैस्ट करने का क्या औचित्य है।

### विकास मंत्री:

(क,ख) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 195 की धारा 81 के अन्तर्गत कार्यवाही केवल कृषि भूमि पर की जाती है।

## 179. श्री सतप्रकाश राणाः क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या दिल्ली में किसान अपने खेत की सुरक्षा के लिये चार दीवारी कर सकते हैं, यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार के क्या नियम हैं,

- (ख) क्या किसान को चार दीवारी करने के लिये संबंधित एस.डी.एम. से अनुमित लेनी होगी.
- (ग) वर्तमान में किस-किस एस.डी.एम. के पास किसानों के चार दीवारी करने के लिये कुल कितने आवेदन लिम्बत हैं और पिछले 3 वर्षों में कुल कितने किसानों को किस-किस एस.डी.एम. कार्यालय द्वारा दीवार बनाने की अनुमित दी गई,
- (घ) दिल्ली के ग्रामीणी गांव पंचायत घरो के निर्माण के लिये पिछले 3 वर्षों मे वर्षों अनुसार कितनी-कितनी राशि का आवंटन किया गया है, और
- (ड़) वर्तमान में किस-किस गांव की पंचायत घरों के निर्माण की कितनी फाईल विभाग के पास लम्बित है और इन्हें कब तक पैसे का आवंटन कर दिया जाएगा।

### विकास मंत्री:

- (क) जी हाँ, Delhi Holding Rule-6 के अनुसार दिल्ली के किसान सुरक्षा के लिए चार दिवारी कर सकते हैं।
- (ख) जी हाँ, तो किसान को चार दीवाी करने के लिए संबंधित एस.डी.एम. से अनुमित लेनी होती है।
- (ग) पिछले तीन वर्षो मे कुल 51 किसानों का चार दीवारी करने की अनुमित दी गई तथा 21 आवेदन लम्बित हैं।
- (घ) पिछले 3 वर्षो के लिए आवंटित राशि निम्न प्रकार है:-

क्रस.	वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट
1.	2009-10	₹. 1650
2.	2010-11	₹. 1500
3.	2011-12	<b>হ্ন.</b> 1000 লাভ্ৰ

वर्तमान में पंचायत विभाग के पास पंचायत घरों के निर्माण व पुन: निर्माण संबधित 9 प्रस्ताव लॉम्बत है जिनमें गांव नॉगल टाकरान (उ.प.जिला) में एक गांव प्रहलाद पुर (उ.प. जिला) में एक, पंडवाला खुर्द (द.प.जिला) में एक, गांव खेड़ा डाबर (द.प.जिला) में एक, गांव जौनपुर (द.प.जिला) मं एक,गांव पंजाब खोड मं एक (उ.प.जिला), गांव कुतुबगढ (उ.प.जिला) में एक, गांव मुंगेशपुर (उ.प.जिला) में एक व काजीपुर (द.प. जिला) में एक प्रस्ताव शामिल है। निश्चित प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इनका पैसा जारी कर दिया जायेगा।

## 180. श्री सतप्रकाश राणाः क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) दिल्ली राज्य मे कितने विकास खण्ड हैं
- (ख) प्रत्येक विकास खण्ड में कितन पंचायत सचिवों के कुल कितने पद हैं।
- (ग) पंचायत सिचवों के कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने खाली हैं सिचव के रिक्त पद कितने दिनों से खाली हैं
- (घ) पंचायत सचिव के रिक्त पदो पर किस पदके कर्मचारी से कार्य लिया जा रहा है उस पद का नाम तथा कर्मचारी का नाम सिहत ब्यौरा दें।
- (ड़) अभी तक पंचायत सिचवों के रिक्त पदों को भरने के लिये कोई कार्यावहीं क्यों नहीं की गई।

(च) भविष्य में पंचायत सिचवों के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा और क्या पदों को भरने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित हैं?

### विकास मंत्री:

- (क) दिल्ली राज्य में पांच विकास खंड हैं।
- (ख) सूची पुस्तकालय मे उपलब्ध है।
- (ग) उपरोक्त।
- (घ) उपरोक्त।
- (ड) कार्यवाही जारी है।
- (च) उपरोक्त।

## 181. श्री अनिल झाः क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) किराड़ी विधान सभा के जितने भी तलाबों पर कब्जा हुआ है, उन कब्जों से तलाबों को मुक्त क्यों नहीं करवाया गया,
- (ख) चार विधानसभा सत्रों में यही उत्तर दिया गया कि कब्जों को मुक्त कराने की कार्यवाही चल रही है। इस पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्या हुई है,
- (ग) खसरा न. 61.1 खसरा न. 600, खसरा न. 567 पर जो अवैध कब्जे हुए उन्हें आज तक क्यों नहीं हटाया गया, कब तक कार्यवाही की जाएगी,

(घ) किराड़ी विधानसभा में कितनी ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध कब्जा है, कितने तलाब पर अवैध कब्जा है उसका विवरण दें और इन पर कब तक कार्यवाही की जायेगी?

### विकास मंत्रीः

- (क) तालाबों पर कब्जे हटाने के लिए तहसीलदार कार्यालय को निशान देही हेतु लिखा जा चुका है तथा किराड़ी गांव के दो तालाबों की निशान देही की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तथा अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही जारी है।
- (ख) उपरोक्तानुसार।
- (ग) खसरा न. 61 पर Heavy Builtup है। तथा निशान देही हेतु तहसीलदार कार्यालय को लिखा जा चुका है। खसरा न. 600 सामुदायिक भवन बनाने हेतु सिंचाई एव बाढ़ नियंत्रण विभाग को सौंपा जा चुका है। खसरा न.567 रास्ते का नम्बर है निशान देही की रिपोर्ट आ गई है तथा कब्जा हटाने की प्रक्रिया जारी है।
- (घ) किराड़ी विधानसभा की भूमि क्षेत्र 113-114 बीघा पर अवैध कब्जा है तथा यह भूमि अवैध नियमित किए जाने वाली कालोनियों की सूची में पड़ती है इसके अलावा इस विधानसभा क्षेत्र के पांच तालाबों पर अवैध कब्जा है जिसे हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

## 182. श्री धर्मदेव सोलंकी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 में लाल डोरा एक्सटेंड करने का समय 2007 की

आबादी को आधार मानकर रखा गया था क्या उस पीरियड को बढा़ने की योजना है; और

(ख) दिल्ली देहात गांवो डोरा एक्सटेंड करने के लिये मास्टर प्लान रिव्यू जो कि 2012 में रखा है उसमें क्या आज तक की आबादी को सरकार एक्सटेंडिड लालडोरा मानने के लिये शहरी विकास प्राधिकरण को सुझाव भेजरही है यदि हाँ तो कब तक भेज दिया जायेगा?

### विकास मंत्री :

(क,ख) राजस्व विभाग की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। बढ़ी हुई आबादी को Extended आबादी Area चकबन्दी की प्रक्रिया के दौरान तय किया जाता है।

## 183. श्री वीर सिंह धिंगान: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि सरकार को जिला उत्तरी पूर्वी से कुछ राजस्व की प्राप्ती होती है;
- (ख) यदि हाँ, तो सरकार को जिला उत्तर पूर्वी से कुल कितना राजस्व प्रतिमाह प्राप्त होता है;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि राजस्व की प्राप्ती अलग-अलग संसाधनों द्वारा प्राप्त होती है;
- (घ) यदि हाँ, तो उक्त जिलों में राजस्व प्राप्ती के क्या-क्या स्त्रोत हैं;
- (ड़) क्या यह भी सत्य है कि उक्त जिले में राजस्व की चोरी भी हो रही है; और
- (च) यदि हाँ, तो यह चोरी कहां-कहां की जा रही है तथा इसे रोकने के प्रयास किय जा रहे हैं?

### विकास मंत्री:

- (क) जी हाँ।
- (ख) जिला उत्तर-पूर्व से औसतन रू. 6,59,04,824/-प्रतिमाह राजस्व प्राप्त होता है।
- (ग) जी हाँ।
- (घ) राजस्व प्रप्ति के निम्नलिखित श्रोत है स्टाम्प डयूटी, रिजस्ट्रेशन फीस, सर्टिफाईड कॉपी, रिकार्ड निरीक्षण, मिजस्टेट द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड, बारात घर/चौपाल/पंचायत घर की बुिकंगा।
- (ड़) ऐसी कोई शिकायत या जानकारी इस कार्यालय में नही है।
- (च) उपरोक्तानुसार।

## 184. श्री सुरेन्द्र कुमार: क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र मे कहां-कहां डी.डी.ए. की भूमि है।
- (ख) कहां-कहां ग्राम पंचायत की भूमि हैं।
- (ग) कहां-कहां ग्राम सभा की भूमि हैं।
- (घ) सभी को चिन्हित करके सूची उपलब्ध कराई जाये?

### विकास मंत्री:

- (क) इस विभाग से संबधित नहीं है।
- (ख) जौहरीपुर, गोकलपुर एवं मंडोली।

- (ग) जौहरीपुर, गोकुलपुर एवं मंडोली।
- (घ) सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

### 185. श्री जसवंत सिंह राणाः क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि मेरे नरेला विधानसभा क्षेत्र के गांव हमीदपुर व ताजपुर कला
   दोनो गांवों की चौपालो की फाईले राजस्व विभाग के पास लंबित पडी हैं।
- (ख) यदि हां तो ये फाईले किस की कमी से लंबित पडी हैं।
- (ग) और इनका पैसा कब तक जारी कर दिया जायेगा?

### विकास मंत्रीः

- (क) हाँ। यह सत्य है।
- (ख) दोनों गांवों की चौपालो के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव प्रक्रिया अधीन है।
- (ग) निश्चित प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इनका पैसा जारी कर दिया जायेगा।

## 186. श्री जसवंत सिंह राणाः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:

- (क) क्या यह सत्य है कि सन् 1998 व 2000 के बीच में नरेला क्षेत्र के गांवों (ताजपुर कंला, बख्तावरपुर, अकबरपुर आदि गांवों) में चकबंदी हेतु कमेटियों का गठन किया गया था? परन्तु क्षेत्र के गांवो कीचकबन्दी का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है;
- (ख) यदि हाँ, तो इन गांवो की चकबन्दी का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा;

- (ग) और कितने दिनों में कर दिया जायेगा:
- (घ) पिछले बजट सत्र में मुझे जवाब दिया गया था कि सूचना एकत्र की जा रही है, क्या इस संबंध में सूचनाएं एकत्र हो चुकी है; और
- (ड़) यदि नहीं तो अब तक सूचनांए एकत्र क्यों नहीं की गई?

### स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।
- (ग) उपरोक्त (क) और (ख) में दी गई सूचना के अनुसार
- (ड्) उपरोक्त सूचनानुसार।

### 187. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव बदरपुर खादर जो कि काफी समय पहले बाढ़ की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सीमा में बस गया था;
- (ख) यदि हाँ, तो क्या सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली और उत्तर प्रदेश सीमा के बीचों-बीच जो बन्द लगाया गया है:
- (ग) यिद हाँ, तो क्या यह सत्य है कि गांव का अधिकांश भाग आज भी उत्तार प्रदेश
   सीमामे बसा हुआ है तथा कुछ ही भाग दिल्ली की सीमा पें पड़ता है;
- (घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा दिल्ली और उत्तर प्रदेश सीमा के निर्धारण हेतु निशानदेही किए जाने के क्या कारण है; और

(इ) सीमा संबंधित निशानदेही का काम कब तक कर दिया जाएगा?

### स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी नहीं।
- (ख) जी नहीं।
- (ग) जी नहीं।
- (घ) दिल्ली या उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा इस गांव के निकट निशान देही का कोई भी प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।
- (ड़) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

## 188. श्री मालाराम गंगवाल: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दिल्ली में 1984 के दंगों के शिकार हुए सिक्खों को सरकार ने प्लाट या फ्लैट दिये थे?
- (ख) यदि हाँ, तो यह कौन-कौन सी जागह पर दिये गये, इनही संख्या कितनी है?
- (ग) कितने और फ्लैट दिये जाना बाकी है, क्या अभी भी कुछ सिक्ख पिरवार इ स सहायता से वंचित हैं, उनकी संख्या क्या है?
- (घ) दो वर्षो पहले बलवीर सिंह सुपुत्र दिलबाग सिंह को, बी-77-ए, इन्द्र लोक फलैट मिला था, पर अभी तक कब्जा नहीं मिल है, क्या कारण है।
- (घ) सभी दंगा पीड़ितों को कब तक फ्लैट दिये जायेंगे?

### स्वास्थ्य मंत्रीः

- (क) जी हाँ, तो यह सत्य है।
- (ख) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार फ्लैट केवल निम्न स्थानों पर दिये गए थे: (1) मादीपुर (2) जहाँगीपुरी (3) रघुवीर नगर (4) कालकाजी (5) इन्द्रलोक (6) गढ़ी (7) तिलक विहार (8) शाहदरा (9)संगम पार्क (10) रणजीत नगर इत्यदि । इन फलैटो की कुल संख्या लगभग 2200 है।
- (ग) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह संख्या लगभग 60-70 है।
- (घ) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार दो वर्षों पहले बलवीर सिंह सुपुत्र लिबाग सिंह को बी-77-ए फलैट, इन्द्रलोक में नहीं मिला था बिल्क फलैट संख्या बी-55/53 मिला जिसका आवंटन रद्द कर दिया था क्योंकि यह फ्लैट पहले किसी और को आवंटित है। यह केस अभी विचारधीन है।
- (ड) इसकी समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

## 189. श्री विपिन शर्मा: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न अनाधिकृत तथा अधिकृत कालोनियों में भूमि एवं मकानों की खरीद-फरोख्त जी.पी.ए. अथवा पावर आफ आटार्नी द्वारा की जाती रही है.
- (ख) यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि वर्तमान मं अब मकानों एवं जमीनों का क्रय-विक्रय जी.पी.ए. अथवा पावर आफ अटानीं द्वारा किया जाना बन्द है, इसके क्या कारण हैं,

- (ग) क्या यह सत्य है कि आज भी कुछ जगह ऐसा जहा देखने में आया है कि एक मकान को बेचने में तो कोई आपत्ति नहीं होती परन्तु उसी को छोड़करस्थिति प्लाट के क्रय-विक्रय का किया जाना सम्भव नहीं है ऐसा क्यों है,
- (घ) आज मकानों की खरीद-फरोख्त बन्द होना सरकार के राजस्व की हानि का मुख्य कारण नहीं है, यदि हो, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजना है, और
- (ड़) क्या सरकार भविष्य में अनिधकृत कालोनियों के मकानों अथवा जमीनो की खरीद-फरोखत को पुन: रिजस्ट्री द्वारा खरीदने व बेचने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु निर्णय लेगी, यदि हा 0161, तो यह कब तक सम्भव होगा?

### स्वास्थ्य मंत्री:

- (क) जी.पी.ए अथवा पावर आफ अटार्नी द्वारा नियमानुसार अनिधकृत तथा अधिकृत कालोनियों मं भूमि एवं मकानों की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। अधिकृत कालोनियों में स्थित भूमि एवं मकानों की खरीद-फरोख्त के सन्लेखों (instruments) का पंजीकरण सेलडीड द्वारा किया जाता है।
- (ख) जी हाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.10.2011 जो कि विषय संख्या 18917/2009 मे पारित है, के अनुसार जी.पी.ए. (सेल से मकानों एवं भूमि का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता। उपरोक्त ओदशों को लागू करने के लिए माननीय इंस्पेक्टर जनरल आफ रिजस्ट्रेशन/मंडलीय आयुक्त के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.4.2012 के बाद से जी.पी.ए. का दुरूपयोग पूरी तरह बन्द कर दिया गया है।
- (ग) जी नहीं।

- (घ) अब भी Sale deed द्वारा मकानो की खरीद-फरोख्त हो रही है। अत: राजस्व की है का प्रश्न उठता है।
- (ड्) उपरोक्तानुसार।

## 190. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के ढक्का गांव में स्थित जर्जर पटवार घर की जगह नया बहु-उपयोगी भवन बनाये जाने की अनुमित प्रदान कर दी गई;
- (ख) यदि हाँ, तो इस विषय पर आगे की जाने वाली कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करवायें ओर यह भी स्पष्ठ करें कि यह उपरोक्त भवन कब तक बनना आरंभ हो जायेगा?

### स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) अभी तक इस विषय में आगे की कार्यवाही नहीं हुई है। एस.डी.एम. (माडल टाउन) का कार्यालय अजादपुर मे चला जाने के बाद आगे की कार्यवाही सम्भव है।

# 191. श्री मनोज कुमारः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) मुण्डका विधानसभा क्षेत्र के अंतगर्त ऐसी कौन-कौन सी ग्रामसभा की जमीन है जहां पर सरकारी स्कूल, सामुदियक केन्द्र, बारात घर, व्यवसियक केन्द्र तथा स्वरोजगार योजना के तहत सरकार के राजगारोन्मुख ट्रेनिंग सेंटर खोले जा सकें
- (ख) इसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाए?

### स्वास्थ्य मंत्री

- (क) गांव हिरण कूदना और राण्होला
- (ख) सूची संलग्न है।

### VACANT GRAM SABHA LAND IN DISTRICT WEST MUNDKA VIDHAN SABHA

S.No.	Name of Village	Khasra No. (Area)
1.	Hiran Kudna	565 (2-16), 136 (2-14) Total (5-10) all in small chunks
2.	Ranhola	15/20/3(0-11), 5/16/2(1-0), 48/19/4 (1-0) Total (2-11)

**DIRECTOR (PANCHAYAT)** 

## 192. श्री करण सिंह तंवर: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दिल्ली में पिछले दस वर्षों के दौरान अभी तक कुल कितने खाद्य अपिमश्रण के मामले पकड़े गये इसमे कौन-कौन से लोग शामिल थे तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है, नाम, पता, टेलीफोन नं. सहित सम्पूर्ण विवरण दें,
- (ख) इस घोर अपराध में किन-किन लागों को किन-किन आरोपों मे सजा हुई और कितने बरी हुए,
- (ग) ऐसे घोर खाद्य अपिमश्रण मामले की रोकथाम के लिये सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है,
- (घ) खाद्य अपिमश्रण रोकथाम हेतु क्या सरकार एक निश्चित किलोमीटर के क्षेत्र में

ऐसी लैब की स्थापना पर विचार करेगी जिससे कि आम आदमी बिना किसी असुविधा के वहां जाकर खाद्य पदार्थों कि जांच कर सकें,

- (इ) पिछले दस वर्षों के दौरान मिलावट के कितने मामले पूरी दिल्ली में पकड़े गये हैं तथा हमारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पकड़े गये हैं तथा उन मामलों में से कितनो का निस्तारण किया जा चुका है तथा कितने अभी भी लम्बित पड़े हुए है। मिलावट के मामले में पिछले दस वर्षों के दौरान कितने लोगों को क्या क्या दंड दिया गया है.
- (च) क्या इस कानून और अधिक प्रभावी सुगम बनाने की आवश्यकता नहीं है जिससे मिलावटकर्ता किसी भी स्थिति में दंड से बच न सके।

- (क) दिल्ली में पिछले दस वर्षों के दौरान उठाये गये नमूनों में कुल 2261 मामले खाद्य अपिमश्रण के पाये गये। जिनका विस्तृत ब्यौरा संलग्न सूची 'क' में दर्शाया गया है अपिमश्रित पाये गये नमूनों में विभागीय जांच कार्य पूर्ण होने के बाद यह मामले संबंधित अदालत में दर्ज कर दिये गये हैं।
- (ख) उपरोक्त अविध में अदालत द्वारा 628 मामलों में धारा 7/16 खाद्य अपिमश्रण अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत सजा सुनाई गई और 943 मामले बरी हुए।
- (ग) विभाग द्वारा वर्ष भर नियमित रूप से विभिन्न खाद्य पदार्थों मे नमूने उनके निर्माताओं, वितरकों एवं थोक/खुरदरा व्यपारिक संस्थाओं से दिल्ली के सभी उपमण्डलों से जांच हेतु उठाये जाते हैं व नमूना अपिमश्रित पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों/व्यापारिक संस्थानों के विरूद्ध अदालत में मुकदमे दायर किये जाते हैं।

उपभोक्ताओं को मिलावट के विरूद्ध जागरूक एवं समर्थ करने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यशालांए आयोजित की जाती हैं। विक्रेता भी अधिसूचित प्रयोगशाला से खाद्य पदार्थ का विश्लेषण करवा सकता है।

- (घ) वर्तमान में खाद्य सुरक्षा विभाग की नई प्रयोगशाला खोलने की ऐसी कोई योजना नहीं है।
- (इ) दिल्ली में पिछले दस वर्षों के दौरान उठाये गये नमूने में कुल 2261 मिलावट के मामले पकड़े गये। दिल्ली कैन्ट विधानसभा के क्षेत्र में पकड़े गये मिलावटी मामलों का विस्तृत ब्यौरा भी संलग्न सूची 'क' में दर्शाया गया है। दिल्ली मे पकड़े गये मिलावटी मामलों में आदलत द्वारा गत दस वर्षों में 1571 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है तथा अभी वर्तमान में निचली अदालत में कुल 1284 मामले लिम्बत हैं। गत दस वर्षों में अदालत द्वारा दोषी पाये गये लोगों को माह से 3 वर्ष का कारावास एवं/अथवा 500 रूपये से 50,000 रूपयों का जर्माना लगाया गया।
- (च) खाद्य अपिमश्रण निवारण अिधनियम/नियम को और प्रभावी व सुगम बनाने हेतु भारत सरकार ने नया खाद्य सुरक्षा अिधनियम 2006, खाद्य सुरक्षा िमयम 2011, को पारित किया जिसे दिल्ली सरकार ने 5.8.2011 को लागू कर दिया है।

### 193. श्री जसवंत सिंह राणाः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का मण्डल-6 मेरे विधान सभा क्षेत्र मे कार्य कर रहा है.
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि इस मण्डल द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिये जा रहे विकास कार्य की सूची यमुना के कार्यो सहित मुझे अभी तक नहीं दी गई है,

- (ग) क्या यह भी सत्य है कि इस बात की शिकायत मैं माननीय मंत्री महोदय को दिनांक 06.07.12 को पत्र के माध्यम से कर चुका हूँ और इसके बावजूद आज तक मुझे सी.डी.-6 को कार्यों की सूची मुहैया नहीं कराई गई है,
- (घ) यदि हाँ, तो मुझे सूची मुहैया क्यों नही कराई जा रही है, और
- (ड़) विकास कार्यों की सूची यमुना के कार्यो सिहत मुझे कब तक मुहैया करा दी जायेगी?

#### स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) जी हाँ। ऐसी किसी सूची की मांग माननीय विधायक द्वारा दिनांक 02.09.2012 तक इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई।
- (ग) इस सूची से संबंधित मांग पत्र इस कार्यालय में दिनांक 03.09.2012 को सचिव, माननीय स्वास्थ्य तथा सिंचाई एवं बाढ मंत्री के कार्यालय से प्राप्त होने पर दिनांक 04.09.2012 को सूची माननीय विधायक जी को उपलब्ध करा दी गई है जिसकी पावती संलग्न है।
- (घ) उपरोक्तनुसार।
- (ड़) उपरोक्तानुसार।

# 194. श्री जसवंत सिंह राणाः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि ड्रेन न.-6 मेरे नरेला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है,

- (ख) क्या यह भी सत्य है कि इस ड्रेन की सफाई व ड्रेन को चौड़ा कर इसके उपर एक रोड़ बनाया जाना है,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि इस ड्रेन पर स्पलैश वाटर पार्क के पास पुल बनाये जाने का प्रस्ताव मेरे द्वारा दिया जा चुका है,
- (घ) यदि हाँ, तो आज तक इस ड्रेन की सफाई, ड्रेन के उपर रोड व पुल बनाने का कार्य अभी तक शुरू क्यों नहीं किया गया, और
- (इ) ये उपरोक्त कार्य कब तक शुरू करा दिये जायेगें?

#### स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) जी हाँ।
- (ग) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव इस विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।
- (घ) इस ड्रेन की सफाई प्रस्ताव इस विभागीय मशीन द्वारा निरंतर कराई जा रही है परंतु रोड बनाने का कार्य इस ड्रेन की चौड़ाई बढ़ाने के बाद किया जाएगा। प्रस्तावित पुल का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सर्विस रोड के अन्तर्गत आता है। अत: इस विभाग द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।
- (ड्) उपरोक्तानुसार ।

# 195. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत आने वाले नालों की सफाई के लिये वर्ष 2010-2011 व 2012 में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है,

- (ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा इतनी अधिक धनराशि खर्च किये जाने के बावजूद इन नालों की सफाई ठीक ढंग से नहीं की जाती है,
- (ग) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सिचाई एंव बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत आने वाले नालों की सफाई के लिए वर्ष 2011-12 में कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है,
- (घ) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नालों की ठीक ढंग से सफाई न कराये जाने के क्या कारण हैं ताकि इन्हें कब तक ठीक ढंग से साफ कर दिया जायेगा।

- (क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अन्तर्गत आने वाले नालों की सफाई के लिए वर्ष 2010-11 में रू 637.10 लाख एवं वर्ष 2011-12 में रू 883.17 लाख की धनराशि खर्च की गई है।
- (ख) जी नहीं, यह सत्य है।
- (ग) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में करावल नगर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नालों की सफाई पर कुल रू 51.48 लाख खर्च किए गए।
- (घ) जी नहीं यह सत्य नहीं है। करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी नालों की सफाई करवा दी गयी है तथा समय-समय पर नालों में सभी रुकावटों को दूर करने के लिए आवश्यकतानुसार रख-रखाव अनुबंध किए गए है। जिससे कि नालों में पानी का प्रवाह सुचारू रूप से बना रहे।

### 186. श्री मालाराम गंगवाल: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) रोड नं. 33 से लेकर नजफगढ़ नाल के उपर एक पुल बनना था, यह पुल कब तक बन जायेगा.
- (ख) पुल बनने में देरी का कारण क्या है,
- (ग) क्या टैक्नीकल कमेटी ने इसे पास कर दिया है,
- (घ) विभाग द्वारा इस संबंध मे टेंडर दे दिये गये है,
- (इ) संबंधित विभाग ने अभी तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

- (क) जी हाँ, पर पुल के दिसम्बर 2013 तक बनने की संभावना है।
- (ख) पुल पर मिट्टी की जांच एवं विस्तृत स्ट्रक्चरल डिजाइन ड्राइंग और दूसरे प्राक्कलन बनाने मे विलम्ब हुआ।
- (ग) जी हाँ।
- (घ) जी नहीं।
- (इ) सिंचाई एवं बाढ़ निंयत्रण विभाग को इस पुल के लिए रू 5.14 लाख की आंशिक वित्तीय स्वीकृति मिली है, उसके अनुसार इस पुल के लिए भूमि की जांच तथा इ्राइंग व डिजाइन तैयार करने के पश्चात उसका विस्तृत प्राक्कलन रू. 508.86 लाख बनाया गया है जोकि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रक्रिया में है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिलने के पश्चात टेंडर आमंत्रित किए जाएगें।

### 197. श्री मालाराम गंगवाल: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार ने मादीपुर विधान सभा में त्यागी बाल्मीकी, बघेल, तंवर, जाटव चौपाल पर सिंचाई एवं बाढ़ विभाग द्वारा अतिरिक्त कार्य किया जाना था इसके विलम्ब के क्या कारण है?
- (ख) गांव वाले चौक पर बाल्मीकी चौपाल, जाटव चोपाल का कार्य शुरू व समाप्त किया जाना था, इसमे विलम्ब के क्या कारण है?
- (ग) विभाग द्वारा और कौन-कौन सी चौपालों का निर्माण कार्य बाकी है?
- (घ) क्या विभाग द्वारा इनके टेंडर कर दिए गये है?

- (क) सिंचाई एवं बाढ़ विभाग द्वारा बाल्मीकी, व जाटव चौपाल पर अतिरिक्त कार्य के लिए योजना बनाकर स्वीकृति क लिए उप-निदेशक (SCP)/अतसूचित जाति/जनजाति विभाग को क्रमश: दिनांक 13.07.2012, 24.05.2012 को भेज दी गई है। त्यागी चौपाल व तंवर चौपाल की योजना बनाकर स्वीकृति के लिए उप निदेशक, (शहरी विकास) को दिनांक 13.07.2012 को भेज दी गई है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नक मिलने के कारण कार्यों में विलम्ब हो रहा है। वघेल चौपाल में अतिरिक्त कार्य के होने की संभावना (feasibilty) का अध्ययन किया जा रहा है।
- (ख) ऐसी कोई योजना सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीन नहीं है।
- (ग) प्रश्न के उत्तर में दर्शायी गई चौपालों के अतिरिक्त कार्यों के अलावा अन्य कोई चौपाल का कार्य विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपरोक्त 'ग' के उत्तर के अनुसार लागू नहीं होता।

### 198. श्री ओ.पी.बब्बर: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि रघुवीर नगर ब्रिज से बाहरी रिंग रोड, जोकि नजफगढ़ नालें के दाहिनी ओर स्थित है, को जाने वाले मार्ग के सुदृढीकरण का ठेका ठेकेदार को दिया जा चुका है।,
- (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि यह कार्य अगस्त, 2012 तक पूरा किया जाना था.
- (ग) इस सड़क के निर्माण में कितना समय लगेगा,
- (घ) क्या इस मार्ग जो कि पश्चिम विहार, रघुवीर नगर, विष्णु नगर, चाँद नगर और बाहरी रिंग रोड के आसपास के इलाकों को जोड़ता है, की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर रोड लाईट लगवाने का कोई प्रस्ताव है?

#### स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) जी हाँ।
- (ग) इस कार्य को पूरा होने में लगभग चार माह का समय और लगेगा।
- (घ) जी नहीं।

# 199. श्री मनोज कुमारः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुण्डका विधानसभा क्षेत्र की अनाधिकृत कालोनियों मे वर्ष 2009 से अब तक

कुल कितने विकास कार्य, कौन-कौन सी कालोनी में बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा करवाए जा चुके है, इनका पूर्ण विवरण क्या है,

- (ख) कितने एस्टीमेट वित्त विभाग, सचिव, बाढ़ नियंत्रण विभाग, चीफ इंजीनियर, बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास कितने दिनों से लंबित पड़े हैं, उसका विवरण क्या है,
- (ग) बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा जितने भी कार्य चल रहे हैं क्या वह समयानुसार कार्य पूरे हो रहे हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, जो ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं कर पा रहे है, उन पर विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है?

- (क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा मुण्डका विधानसभा क्षेत्र की अनाधिकृत कालोनियों मे वर्ष 2009-10 से अब तक करवाए जा चुके विकास कार्यो का विवरण सूची 'क' मे पुस्तकालय में उपलब्ध है तथा जो कार्य प्रगति पर है उनका विवरण सूची 'ख' पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ख) मुंण्डका विधानसभा क्षेत्र का कोई भी एस्टीमेट वित्त विभाग,प्रधान सचिव (सिंचाई एवं बाढ़) या मुख्य अभियंता (सिंचाई एवं बाढ़) के स्तर पर लंबित नहीं है जो योजनाएं प्रशसनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु जांच में हैं। उनका विवरण सूची 'ग' में सलंग्न है।
- (ग) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत मुंडका विधानसभा क्षेत्र में जो अनिधकृति कालोनियों के विकास कार्य चल रहे हैं, उनमें से अधिकतर कार्य निम्नलिखित विभिन्न कारणों से समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं: (1) कालोनि की गिलयों में घरों के आगे कालोनियों द्वारा सैप्टीक टैंक बनाये होने के कारण तोड़ने नहीं दिया जाता और काम मे बाधा उत्पन्न की जाती है। (2) कालोनियों द्वारा प्राईवेट सीवर

डालने के कारण कार्य में बाधा आ जाती है। (3) घरों के आगे सीढ़ियों/रैम्प इत्यदि आगे तक बढ़ाए गए हैं, जिनके तोड़ने पर कालोनिवासियों द्वारा आपित की जाती हैं। (4) गिलयों के स्तर को स्थापित करने में सब लोगों का एक मत न होने के कारण भी काम में बाधा उत्पन्न होती है। (5) कुछ गिलयां संकरी होने के कारण निर्माण सामग्री की ढुलाई इत्यदि मे समय अधिक लगता है। (6) लोगों द्वारा उनके अपने मकानों इत्यदि की निर्माण सामग्री गिलयों में पड़े होने के कारण काम में बाधा उत्पन्न होती है। जिन कार्यों में उपरोक्त बाधाएं नहीं है और ठेकदारों की वजह से कार्यों के पूरा होने में देर होती है, उन कार्यों में अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकदार के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है।

(घ) सूची क, ख, ग, पुस्तकालय में उपलब्ध है।

### 200. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग द्वारा दिल्ली के कितने नालों की सफाई की गई है,
- (ख) पूरी दिल्ली में किस किस नाले की सफाई की गई और उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई. और
- (ग) विभाग द्वारा किस क्षेत्र में कितने-कितने नाले साफ करने की योजना थी, और
- (घ) कितने नाले बरसात से पहले साफ नहीं हो पाए?

#### स्वास्थ्य मंत्री

(क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा 43 नालों की सफाई का कार्य किया गया है विभाग के 07 बड़े नालों पर विभागीय मशीनों द्वारा नालों की सफाई का कार्य आवश्यकतानुसार पूरे वर्ष किया जाता है।

- (ख) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा विभिन्न नालों की सफाई पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा सूची 'क' में सलंग्न है।
- (ग) नालों के क्षेत्र का ब्यौरा भी सूची 'क' में दिया गया है।
- (घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा सूची 'क' में दर्शाए सभी नालों की सफाई बरसात से पहले की गयी तथा 07 नालों पर विभागीय मशीनों द्वारा सफाई का कार्य आवश्यकतानुसार पूरे वर्ष किया जाता है।

# अनुबंध एवं विभागीय मशीनों द्वारा वर्ष 2012-13 में जिन नालों की सफाई की गई, अगस्त माह तक का खर्च सहित विवरण (लाख रू में):

S.No.	Name of Drain	Expenditure on Cleaning /desiting during 2012-13 (Rs.in lacs)	Likey Expenditure to be incurred oncleaning / desilting during 2012-13 (Rs.in lacs)
1.	Trunk Drain No.1	230.05	2.00
2.	Trunk Drain No.2		2.00
3.	KarawalNagar Drain	14.36	
4.	Escape Drain No.1	45.86	
5.	Bund Drain	21.45	
6.	Biharipur Drain	4.89	
7.	Relief Drain	1.41	
8.	Shahadara outfall Drain	27.00	
9.	Shahadara Link Drain	13.12	
10.	Ghazi pur Drain		6.00
11.	Karari Suleman Nagar Drain	0.78	
12.	ASola Nallah	1.25	
13.	Drain No.6	2.20	
14.	Bawana Escape	13.83	
15.	Link DRain No.2	3.58	
16.	Burari Drain		7.25
17.	Burari Creek		11.25
18.	New Drain		12.00
19.	Toe Drain	2.25	

अतारांवि	कत प्रश्नों के लिखित उत्तर	121	भाद्रपद 15, 1934 (शक)
20.	Najfgarh pond drain	1.68	
21.	Palam Drain	4.01	3.25
22.	Nasir pur drain		5.50
23.	Palam Link Drain	7.48	2.00
24.	Pankha raod drain	2.98	3.00
25.	Bijwasan drain		4.50
26.	Najfgard drain	110.47	
27.	Bawana Drain	0.16	
28	Ladpur Link Drain	2.48	
29.	Madanpur Drain	0.87	
30.	jat Khore drain	0.88	
31.	Jahangirpuri drain	7.02	
32.	Nangloi Drain	3.55	
33.	Choga drain	3.60	
34.	Naya Bans drain	2.95	
35.	Bankner Drain	4.66	
36.	Sannoth Drain	1.57	
37.	Tikri khurd link Drain	2.91	
38.	Rasul pur drain	0.49	
39.	Suplementary drain	21.31	
40.	Sultan pur drain	0.15	
41.	Mungeshpur drain	2.78	
42.	Nangloi drain	3.55	
43.	Kherakhurd Link drain	2.75	
	Total Expenditure	455.93	62.68

उपरोक्त विभागीय नालों के अतिरिक्त एम.सी.डी के निम्नलिखित पांच नालों की यमुना नदी के खादर वाले भाग में विभाग द्वारा की गई सफाई पर किए गए खर्च का विवरण निम्न प्रकार है।

S.No.	Name of Drain	Expenditure on clearing / deselting during 2012-13 (Rs. in lacs)	
1.	Nala No.14	065	
2.	Nala No.12	054	
3.	Nala No. 12A	0.43	
4.	Civil Militry Nala	2.39	
5.	Delhi Gate Nala	0.30	
	Total Expenditure	4.31	

### 201. श्री कुलवंत सिंह राणाः क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने वर्ष 2003 में पत्र सं. 24(372) 2000-CND दिनांक 24.06.2003 द्वारा लीज होल्ड प्रोपर्टी का फ्री होल्ड करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे,
- (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने का प्रावधान रखा था,
- (ग) यदि हाँ, तो क्या सत्य है कि बवाना औधोगिक क्षेत्र के उद्यमी लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने के लिए बार-बार अनुरोध कर रहे हैं,
- (घ) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य हैं कि बवाना के औधोगिक प्लॉट लीज होल्ड पर हैं. और

(ड़) यदि हाँ, तो क्या सरकार इन प्लॉटों को फ्री होल्ड करने की कोई योजना बना रही हैं? यदि हाँ, तो यह योजना कब तक लागू हो जाएगी और यदि नहीं, तो क्या नहीं, क्या कारण हैं?

#### उद्योग मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) यह प्रश्न दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र के अतंर्गत नहीं आता। दिल्ली सरकार कोई चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं करती।
- (ग) जी हाँ, यह सत्य है कि बवाना औद्योगिक क्षेत्र क उद्यमियों की वैलफेयर एसोसिएशन के द्वारा बवाना में आबंटित लीज होल्ड भूखण्डों को फ्री होल्ड करने हेतु अनुरोध किया गया है।
- (घ) जी हाँ, यह भी सत्य है कि बवाना औद्योगिक क्षेत्र मे पुर्नस्थापना योजना के अंतर्गतभूखण्ड केवल लीज होल्ड के आधार पर आबंटित किए गए है।
- (ड्) अभी इस प्रकार की योजना नहीं बनी हैं।

# 202. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दिल्ली में सरकार द्वारा कोई नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना हैं,
- (ख) यदि हाँ, तो अब तक उस पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं?

#### उद्योग मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए 920 एकड़ जमीन का अधिकरण कंझावला कराला, पूठखुर्द, सुलतान पुर, डवास में कर लिया गया हैं इसकी चार दीवारी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वास्तुविद के चयन हेतु निविदाये आमंत्रित कर ली गई है। बपरोला मे 63.09 एकड़ जमीन DSHDC के पास हैं। यहां ज्ञान आधारित औद्योगिक पार्क (के.बी.आई) बनाने की योजना है। इसके लिए सलाहकार नियुक्त है। इसकी भूमि उपयोग के बदलाव की प्रक्रिया चल रही हैं आशा है कि यहा कार्य 2013 मे शुरू हो सकता है। रानीखेड़ा में 147 एकड़ जमीन DSHDC के पास है। जिसमें चारदीवारी बनी हुई है। इस कार्य के लिए सलाकार अभी नियुक्त नहीं हुआ है जिसके चयन की प्रक्रिया चल रही हैं। इस भूमि पर लाईट एवं सेवा उद्योग के लिए बहुस्तरीय निर्माण केन्द्र (मल्टी लेवल मैन्यूफैक्चिरिंग हब बनना प्रस्तावित है।

### 203. श्री सुरेन्द्र कुमार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में मण्डोली इंडस्ट्रियल एरिया, सबोली, जवाहर नगर एवं गोकुलपुर गांव में बिना लाइसेंस की बहुत सारी फैक्ट्रीयां चल रही है।
- (ख) यदि हाँ, तो क्या इनको बंद करने की कोई योजना हैं, और
- (ग) यदि हाँ, तो ये कब तक बंद कर दी जायेगी: और
- (घ) अन-ऑथोराइज फैक्ट्रीयों की सूची देने की कृपा करें?

- (क) जी हाँ। 10 जनवरी 2011 को जारी किये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के अनुसार गैर नियोजित क्षेत्रों में अवैध अद्योगों को बंद करने का कार्य MCD व DDA को उपने अधिनियमो कें तहत सत्त करना हैं।
- (ख) हाँ सभी Non Confirming क्षेत्रों मे नियमानुसार इस सम्बधं मे कार्यवाई की योजना है।
- (ग) कुछ अन्य क्षेत्रों में यह कार्यवाही शुरू कर दी गई हैं। निकट भाविष्य में इन क्षेत्रों
   मे सीलिंग की प्रक्रिया नियमानुसार की जाएंगी।
- (घ) इस प्रकार की सूची उपलब्ध नहीं है।

### 204. श्री कुलवंत सिंह राणाः क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र का चुनाव कार्यालय बवाना विधान सभा क्षेत्र के प्रहलाद पुर बांगर गांव में चलाया जा रहा है, यदि हाँ, तो ऐसा क्यों,
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि विधानसभा चुनाव के लगभग 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी चुनाव कार्यालय क्षेत्र के आन्दर खोलने में सरकार नाकाम रही है, इसके क्या कारण है।
- (ग) इसको रिठाला विधानसभा क्षेत्र में खोलने/स्थांनातरण करने के लिए सरकार ने आज तक क्या कदम उठाए हैं और उसका क्या नतीजा निकला है, और
- (घ) इस कार्यालय को रिठाला विधानसभा में कब तक स्थानांतरित कर दिया जाएगा?

- (क) जी हाँ। उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण यह कार्यालय प्रहलादपुर बांगर गांव में चलाया जा रहा है।
- (ख) संबधित विभाग से उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण चुनाव कार्यालय नहीं बन पाया है।
- (ग) इस संबंध में उप क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली नगर निगम, सैक्टर 17 रोहिणी के भूतल भवन तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय में खाली स्थान की पहचान की गई थी तथा दिल्ली नगर निगम से वे स्थान प्राप्त करने के लिये काफी प्रयास किये गए परन्तु उपरोक्त में से कोई भी स्थान दिल्ली नगर निगम से नहीं मिल पाया अब यह मामला दिल्ली विकास प्रधिकरण में विचारधीन है।
- (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थान उपलब्ध कराने तथा लोक निर्माण विभाग को भवन निर्माण हेतु ओदश देने के बाद कार्य पूरा होने पर यह कार्यालय रिठाला विधानसभा क्षेत्र में स्थानातंरित कर दिया जायेगा।

# 205. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि चुनाव आयोग द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूचियों का पुर्निनरीक्षण किया जा रहा है।
- (ख) यदि हाँ, तो यह भी सत्य है कि पिछली मतदाता सूची के अन्दर बहुत सी त्रुटियाँ पाई गई थी।
- (ग) यदि हाँ, तो पुरानी मतदाता सुचियों मे पाई जाने वाली त्रुटियों को ध्यान मे रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा नई मतदाता सूची बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है।

- (घ) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई पेलिंग बूथों की दूरी मतदान केन्द्रों से बहुत अधिक है अथवा कुछ पोलिंग बूथों की दूरी मतदान केन्द्रों से बहुत अधिक है अथवा कुछ पोलिंग बूथों को नजदीकी पेलिंग स्टेशनों के साथ न जोड़कर अन्यत्र जोड़ा गया है, और
- (ड़) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में भी कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा?

- (क) जी हाँ। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार घर-घर जाकर मतदाता सूचियों का सत्यापन किया जा रहा है।
- (ख) मतदाता सूची में त्रुटि का कोई मामला सामने नहीं आया है। मतदाता सूचियों का सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर किया जा रहा है।
- (ग) नई मतदाता सूची बनाने का कोई विचार नहीं है। घर-घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन के दौरान जी भी त्रुटियां सामने आयेंगी उसके अनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।
- (घ) जी नहीं। करावल नगर विधानसभा क्षेत्रों में सभी पोलिंग बूथों की दूरी मतदाताओं के निवास स्थान से विधीरित 2 किलोमीटर की दायरे में है।
- (ड़) यद्यपि सभी पोलिंग बूथों की दूरी मतदाताओं के निवास स्थान से निर्धारित 2 किलोमीटर की दायरें में है तथापि भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव से पूर्व सभी पोलिंग स्टेशनों को Rationalization (सुव्यवस्थित) किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किये जाते हैं और यह प्रयास किया जाता है कि

मतदाता के निवास से पोलिंग स्टेशन की दूरी कम से कम हो ताकि उसको वोट डालने में कोई असुविधा न हो।

### 206. श्री प्रहलाद सिंह साहनी: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि एक पोलिंग स्टेशन पर दो सौ या ढाई सौ वोट स्टेशनों पर बारह सौ से चौदह सौ तक वोट होते हैं,
- (ख) क्या यह सत्य है कि एक ही पोलिंग स्टेशन पर एक जगह पर दूर-दूर से लोगों का लाकर पोलिंग स्टेशन बनाये हुए है, जबिक उन लोगों के पास में ही सरकारी स्कूल, बारातघर, समुदाय भवन एवं सरकारी आफिस उपलब्ध होते हैं?
- (ग) क्या सभी अलग-अलग जगहों पर उनके घर के पास ही चार सौ से पाँच सौ वोट तक के नये पोलिंग स्टेशन बन सकते है क्या ऐसा करने से वोट प्रतिशत बढ़ेगा?
- (घ) अगर अलग-अलग जगहों पर नये पोलिंग स्टेशन बनाये जाने से वोट प्रतिशत बढ़ता है, तो सरकार इस तरह की सुविधा कब तक कर सकती है? कृप्या मंत्री महोदय समय सीमा निर्धारित करके बताएं।

#### उद्योग मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) सामान्य: ऐसा नहीं है जिन क्षेत्रों मे पोलिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त बिल्डिंग नहीं होती है, वहीं पर यह स्थिति उत्पन्न होती है और जिसको दूर करने के लिए क्षेत्रीय जिला चुनाव अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

- (ग) पोलिंग स्टेशनों की स्थापना भारत चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत की जाती है जिसमें मतदाताओं की अधिकतम संख्या सामान्यत: 1200 और मतदाताओं के निवास स्थान से पोलिंग स्टेशन तक तय की गई अधिकतम दूरी सामान्यत: 2 किलोमीटर आदि निर्धारित मानदंडो को ध्यान में रखकर की जाती है।
- (घ) वोट प्रतिशत बढ़ने के सम्बंध में कुछ नहीं कहा जा सकता तथापि भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव से पूर्व सभी पोलिंग स्टेशनों का Rationalization (सुव्यवस्थित) किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार परिर्वतन भी किये जाते हैं ओर यह प्रयास किया जाता है कि मदाताओं के निवास से पोलिंग स्टेशन की दूरी कम से कम हो ताकि उसको वोट स्टेशन की दूरी कम से कम हो ताकि उसको वोट डालने में कोई असुविधा न हो।

### 207. श्री प्रहलाद सिंह साहनी: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि बेसहारी झुग्गी वाले जिनके पास किसी भी किस्म का कोई प्रूफ बनेगा? या नहीं।
- (ख) अगर बनेगा तो कब तक बनेगा?
- (ग) क्या यह भी ठीक है कि बेसहारा झुग्गी वाले अगर कार्यालय में फार्म जमा कराने जाते हैं, तो उनका डॉक्टर भगा दिया जाता है?
- (घ) क्या यह उचित होगा कि उन लोगों के फार्म ले लिये जायें तथा सरकारी बी.एल.ओ. उनकी जांच करें, अगर वह वहां रहते हों, तो उनके वोटर कार्ड बनाये जायें।

- (क) दिल्ली में अधिकार झुग्गी निवासियों के मतदाता पहचान पत्र बने हुए हैं और अभी भी बनाए जा रहे हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज करने व मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक भारत का नागरिक हो, (18) वर्ष से कम उम्र का न हो व दिए गए पत पर सामान्य तौर पर निवासी हो।इसके लिए निर्वाक अधिकारी आवश्यक जांच पड़ताल करता है। इस संबंध मे दी गई जानकारी से यदिवह सन्तुष्ट हो जाता है तो आवेदक का नाम मतदाता सूची मे दर्ज कर दिया जाता है।
- (ख) उपरोक्तानुसार।
- (ग) जी नहीं।
- (घ) वोटर कार्ड इसी प्रक्रिया के तहत बनाए जा रहे हैं।

### 208. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ग्रामीण गांव के लिए बोर्ड द्वारा विकास हेतु कहाँ-कहाँ योजना बनाई गई है,
- (ख) पिछले वित्तीय वर्ष में कहाँ-कहाँ विकास हुआ कितनी धनराशि खर्च हुई,
- (ग) गांवों के विकास की भाविष्य में क्या योजनाएँ हैं और इन पर कितनी धनराशि खर्च होगी?

#### उद्योग मंत्री

(क) दिनांक 23.05.12 को वर्ष 2012-13 के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा 679 कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए जिनकी विवरण सूची 'क' पुस्तकालय में है।

- (ख) पिछले वित्तीय वर्ष में किए गये कार्यों की विवरण सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है। विभाग द्वारा पिछले वित्तिय वर्ष 140.55 करोड़ रूपये की धनराशि ग्रामीण विकास कार्यों पर खर्च की गई।
- (ग) दिनांक 23.05.12 को ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा 679 कार्यों की योजनाएँ पारित की गई, जिनकी अनुमाति लागत रू. 695.17 करोड़ है। इन योजनाओं को विभिन्न विभागों द्वारा जाँच में सही पाए जाने पर इनकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जायेगा। वर्तमान वित्तिय वर्ष (2012-13) में ग्रामीण विकास कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए रूपये 150 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है।

### 209. श्री वीर सिंह धिगांन: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि सरकार दिल्ली मे विकास की कुछ और बड़ी योजनायें बना रही है,
- (ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा दिल्ली में विकास की किन-किन योजनाओं को अंजाम दिया जा रहा है,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि जिला उत्तरी पूर्वी में भी विकास की किसी बड़ी योजना को अंजाम दिया जायेगा, और
- (घ) यदि हाँ, तो उक्त जिले में किन-किन योजनाओं पर कार्यवाही की जा रही है? उद्योग मंत्री
- (क) जी हाँ।

- (ख) दिल्ली सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली नई परियोजनायें/योजनायें अनुसंलग्नक-1 मे उल्लिखित हैं।
- (ग) जी हाँ।
- (घ) जिला उत्तरी-पूर्वी में नई परियोजनायें/योजनाये अनुसंलग्नक-2 में उल्लिखित हैं।
  - (1) दिल्ली अन्नश्री कार्यक्रम
  - (2) करोसिन मुक्त शहर।
  - (3) दिल्ली स्वरोगार योजना।
  - (4) बक्करवाला में एक शैक्षिक केन्द्र।
  - (5) माडल आंगनवाड़ी कम हब सेन्टर।
  - (6) जे.जे.पुनर्वास कालोनियों में मूल आवांटियों को मालिकाना अधिकार।
  - (7) ट्रांस यमुना क्षेत्र में पहली मोनो रेल।
  - (8) जौनपुर में कौशल उन्नयन केन्द्र।
  - (9) दिल्ली सरकारी की वित्तिय सहायता से चल रह कालेज के लिए नये भवनों का निर्माण।
  - (10) गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के दूसरे कैम्पस का निर्माण कार्य।
  - (11) दिल्ली सरकार के स्कूलों के विद्यार्थियों को लेखन सामग्री, स्टेशनरी के लिए नकद प्रोत्साहन राशि।

- (12) दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान का दूसरा चरण।
- (13) 100 डायलिसिस मशीनों को स्थापित करना।
- (14) सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों का आधुनिकीकरण।
- (15) 'मेरी दिल्ली मैं ही सॅवारू' कोष कार्यक्रम को बेहतर बनाना।
- (16) तीन नए जल सीवेज शोधन संयंत्र चालू किए जाएंगे।
- (17) तीन प्रमुख नालों के साथ इन्टरसेप्टर सीवर स्थापित करना।
- (18) आनंद विहार और सराय काले खाँ में आई.एस.बी.टी. काम्पलैक्स का विकास।
- (19) 'सिग्नल मुक्त' बाहरी रिंग रोड।
- (20) पुरानी डीटीसी बसों को बदलना।

# उत्तर पूर्वी जिले के लिए विकास की नई परियोजनाएं योजनाएं स्वास्थ्य क्षेत्र

- 1. दिलशाद गार्डन में दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान के दूसरे चरण का निर्माण।
- 2. ताहिरपुर मे राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को एक स्वायत्त चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित करना।
- बुलन्द मस्जिद, शिव विहार, जियाउदी्नपुर एवं झिलमिल में नई डिस्पेंसरीयों के भवन का निर्माण किया जाएगा।

### शहरी विकास

1. सीबीडी शाहदरा मे समाजिक-सांस्कृतिक काम्पलैक्स का विकास।

# जलापूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र

- 1. कोन्डली में 45 एमजीडी क्षमता के नये सीवेज शोधन संयंत्र को चालू करना।
- 2. यमुना विहार में 25 एमजीडी क्षमता के नये सीवेज शोधन संयंत्र को चालू करना।
- 3. शाहदरा नाले के साथ इंटरसेप्टर सीवर स्थापित करना।
- 4. वजीराबाद रोड के साथ नई ट्रंक सीवर लाईन डालने का कार्य।

#### श्रम

1. जाफराबाद, सुन्दरनगरी, सीलमपुर एवं लोनी रोड-गांव जौहरीपुर में नये स्कूल भवनों का निर्माण कार्य।

# महिला एवं बाल विकास

उत्तर पूर्वी जिले मे आठ मॉडल ऑगनवाड़ी कम हब सेन्टर स्थापित करना।

- 210. श्री वीर सिंह धिगांनः क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:
- (क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा जिला उत्तरी पूर्वी में कुछ मनोरंजन उपलब्ध करवाये गये हैं?

- (ख) यदि हाँ, तो सरकार ने मनोरंजन के क्षेत्र मे जिला उत्तरी पूर्वी में क्या साधन जुटाये है?
- (ग) क्या यह सत्य है कि सरकार भविष्य में उक्त जिलों में कुछ मनोरंजन के साधन उपलब्ध करायेगी, और
- (घ) यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं?

#### समाज कल्याण मंत्री

- (क) समाज कल्याण मंत्री विभाग स्वयं में किसी प्रकार के मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं करवाता मगर विरष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केन्द्र योजना के अंतर्गत विरष्ठ नागरिक संस्था/आवासीय कल्याण संस्था अथवा वे एन जी ओ जो केवल वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत है को मनोरंजन केन्द्र चलाने हेतु अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
- (ख) उत्तरी पूर्वी जिला में 13 विरष्ठ नागिरक के लिए मनोरंजन केन्द्र चलाये जा रहे है। और सीमापुरी विधान सभा में पाँच ऐसे केन्द्र चल रहे है। सूची पुस्तकलय में उपलब्ध है।
- (ग) भविष्य में ऐसी कोई योजना नहीं है।
- (घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार लागू नहीं होती है।
- 211. श्री साहब सिंह चौहानः क्या शहरी विकस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों के अन्तर्गत जारी किए गए कार्यों में से बहुत से कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए है?

(ख) यदि हाँ, तो वे कौन से कार्य हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, पूरे न होने के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है, इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

#### शहरी विकास मंत्री

- (क) राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं सिर्फ नीचे दिए गए दो एफओबी के कार्य को छोड़कर।
- (ख) जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के नजदीक सिर्फ दो फुट ओवर ब्रिज का काम बाकी है। जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के नजदीक एक फुट ओवर ब्रिज बनाते समय ढह जाने के कारण कार्य रूक गया था, जिसकी वजह से इसे दोबारा शुरू किया गया है। दोंनो फुट ओवर ब्रिज नवंबर तक पूरे हो जाएंगे।

### 212. श्री जगदीश मुखी: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वैट दाताओं द्वारा रिफंड की मांग किए जाने पर कितने दिनों मे रिफंड कर दिया जाना चाहिए:
- (ख) वर्ष 2011-12 में कितने वैट दाताओं ने वैट विभाग से वैट रिफंड के लिए आवेदन किया है तथा आवेदकों द्वारा रिफंड के लिए कुल कितनी राशि की मांग की गई है;
- (ग) वर्ष 2011-12 में वैट दाताओं को रिफंड की गई राशि का ब्यौरा वार्ड एवं नाम साहित देने कष्ट करें; और
- (घ) वैट दाताओं को समय पर रिफंड न मिलने के क्या कारण हैं और सरकार ने इस निमित्व क्या कदम उठाए हैं?

- (क) दिल्ली मूल्य संबंधित कर अधिनियम-2004 की धारा 38 के अनुसार, यदि कोई डीलर उपरोक्त धारा के सभी प्रावधानों का अनुपालन करता है तो उसका रिफंड निम्न समय सीमा में दिया जाना चाहिए:
- (1) यदि व्यापारी की कर-रिटर्न भरने के एक महीने के भीतर
- (2) यदि व्यापारी की कर अविध तिमाही है-रिटर्न भरने के दो महीने के भीतर यदि व्यापारी उक्त धारा में दिए गए प्रावधानुसार मागें गए विवरण प्रस्तुत नहीं करता है तो उक्त समय सीमा का बंधन नहीं होता है।
- (ख) वर्ष 2011-12 मे 12,843 वैट दाताओं ने वैट विभाग से वैट रिफंड के लिए आवेदन किया है तथा आवेदकों द्वारा 560.69 करोड़ रूपये की राशि की मांग की गई है।
- (ग) वर्ष 2011-12 में कुल 22.891 रिफंड मामलों का निपटारा किया गया जिनकी कुल राशि 360.44 करोड़ रूपये है, राशि का ब्यौरा वार्ड एवं नाम सहित संलग्न में इंगित है।
- (घ) सामान्य: किसी भी कर दाता का रिफंड उसी अवस्था में लंबित होता है, जब वह धारा 38 के उप-धारा (7) का पालन नहीं करता। उक्त उप-धारा के अंतर्गत व्यापारी से मांगी गई अतिरिक्त सूचनाएं अथवा उसे द्वारा विवरण, प्रपत्र या सिक्योरिटी प्रस्तुत किए जाने तक रिफंड दावे का निपटान नहीं किया जा सकता। विभाग प्रत्येक व्यापारी द्वारा अपने रिटर्न के साथ संलग्नक 2 (क) एवं (ख) में दिए गए क्रय-विक्रय के ब्यौरे का कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा मिलान करने की प्रणाली लागू कर रहा है ताकि वैट दाताओं को समय पर रिफंड दिया जा सके।

### 213. श्री वीर सिंह धिगांन: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि सरकार कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये कोई प्रयास कर रही है;
- (ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उक्त क्षेत्र मे क्या-क्या प्रयास किये हैं;
- (ग) क्या यह सत्य है कि सरकार ने युवा वर्ग के लिये कला एवं संस्कृति की शिक्षा एवं प्रदर्शन के लिये कुछ बहुउद्देश्य कला केन्द्र बनवाये हैं;
- (घ) यदि हाँ, तो दिल्ली में पिछले 14 वर्षों में कहाँ-कहाँ, कुल कितने कला केन्द्र बनवाये हैं;
- (ड़) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली की अत्याधिक आबादी वाले क्षेत्र जिला उत्तरी पूर्वी मे एक भी कला केन्द्र नहीं है; और
- (च) यदि हाँ, तो क्या सरकार जिला उत्तरी पूर्वी के युवाओं की प्रतिभा का प्रोत्साहन देने व कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये इस जिले में कोई बहुउद्देश्य कला केन्द्र बनायेगी. यदि हाँ. तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं?

### मुख्यमंत्री

- (क) जी हाँ, यह सत्य है कि साहित्य कला परिषद, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तरह-तरह के सांस्कृति कार्यक्रमों का आयोजन करती है।
- (ख) इस क्षेत्र मे साहित्य कल परिषद् विभिन्न सांस्कृतिक योजनाओ के तहत दिल्ली के सभी इलाकों मे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

- (ग) साहित्य कला पिरषद द्वारा कोई शिक्षा केन्द्र नहीं खोला गया है, परन्तु युवा वर्ग के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं जैसे कि संगीत एवं नृत्य में युवाओं को छात्रवृति प्रदान करना तथा युवा महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन।
- (घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
- (ड) जी हाँ।
- (च) समुचित भूमि उपलब्ध न होने के कारण अब तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।

### 214. श्री करण सिंह तंवर: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

- (क) छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कौन-कौन से विशेष भत्ते कर्मचारियों
   को कार्य की परिस्थितियों के अनुसार देय है।
- (ख) उपरोक्त के सन्दर्भ में इन भत्तों को देने के वास्तविक आधार क्या है तथा ग्रेड़वेतन के अनुसार कितना-कितना भत्ता देय है, पूरा विवरण दें।
- (ग) डाइर्वेड कैपसिटी से क्या तात्पर्य है तथा क्या दिल्ली सरकार एवं भारत सरकार के सेवा नियमों के नियमानुसार किसी कर्मचारी को डाईवर्टेड कैपसिटी पर पदापित किया जा सकता है।
- (घ) यदि हाँ, तो कर्मचारी की वेतन, भत्ते, विशेष भत्ते इत्यादि की देयता किस विभाग के आधार पर तय की जायेगी।

### मुख्यमंत्री

- (क) (1) Cash Allowance (2) Care taking Allowance (3) Patient Care Allowance (PCA) (4) विभाग की विशेष कार्य प्रणाली के अनुसार कोई अन्य भत्ता।
- (ख) बुनियादी नियमों और पूरक नियमावली (FRSR) के अन्तर्गत लागू नियम, विनियमन एवं दर के अनुसार।
- (ग) डाइवर्टेड कैपिसटी से तात्पर्य किसी मूल विभाग के कर्मचारी को अन्य किसी विभाग में कुछ समय के लिए पदापित करने से है। सेवा नियमों के अनुसार किसी कर्मचारी को डाइवर्टेड कैपिसटी पर पदापित किया जा सकता है।
- (घ) सरकारी अस्पतालों में पदापित कर्मचारियों को छोड़कर, इस प्रकार पदापित अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, विशेष भत्तें इत्यादि कि देयता कर्मचारी के कार्यक्षेत्र से सम्बधित विभाग द्वारा उन कर्मचारी के समक्ष अन्य कर्मचारियों को दिये जा रहे वेतन, भत्ते, विशेष भत्ते इत्यादि के आधार पर मूल विभाग द्वारा तय की जायेगी। सरकारी अस्पतालों मे कार्यरत सभी कर्मचारियों चाहें वों भौतिक रूप से वह कार्य नहीं कर रहा है, मरीज देखभाल भत्ते (PCA) का भुगतान मूल विभाग द्वारा ही किया जाता है।

# 215. श्री करण सिंह तंवर: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है, िक डाईवर्टेड कैपिसटी पर कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ता (यिद कोई देय नहीं) कर्मचारी को उस विभाग से दिया जाना चाहिए जहाँ से वह वेतन का आहरण कर रहा है.

- (ख) क्या यह भी सत्य है िक उपरोक्त (क) के अनुसार कर्मचारी को इस आधार पर विशेष भत्ता (यिद उस विभाग द्धारा उस पद से अटैच कोई भत्ता दिया जाना नियमानुसार पहले से तया हो) को दिये जाने से मना नहीं िकया जा सकता िक कर्मचारी वास्तव में इस विभाग में भैतिक रूप से काम नहीं कर रहा है.
- (ग) यदि नहीं, तो िकन नियमों-उपिनयमों के तहत वह भत्ते का आहरण नहीं कर सकता है जबिक कर्मचारी के डाईवर्टेंड पोस्टिंग में उसकी अपनी कोई व्यक्गित भूमिका नहीं होती है,
- (घ) क्या यह सत्य है कि डाईवर्टेड पोस्टिंग के संन्दर्भ में भौतिक रूप से काम करने वाले विभाग मे यदि कोई विशेष भत्ता देय हो तो क्या वास्तव में डाईवर्टेड कैपसिटी पर काम करने वाले कर्मचारी को भी अन्य (उसी के समकक्ष तथा मूल रूप से वहीं पर कार्य करने तथा वहीं पर पाकस्टेड) कर्मचारियों की भॉति ही वह विशेष भत्ता मिलना चाहिए,
- (ड़) यदि नहीं तो वास्तव में डाईवर्टेंड पोस्टिंग के संदर्भ में कर्मचारी को वास्तव में अपने वेतन, भत्ते एवं अन्य विशेष भत्ते (यदि कोई देय हो) की देयता किस विभाग के नियमानुसार तय किये जाने चाहिए तथा उसकी देयता किस प्रकार तय होनी चाहिए।

### मुख्यमंत्री

- (क) जीहाँ।
- (ख) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पदापित कर्मचारियों को छोड़कर विशेष भत्ता तभी दिया जाता है यदि कोई कर्मचारी भौतिक रूप से उस पद पर कार्य कर रहा

है जिस पद के साथ विशेष भत्ता जुड़ा है। सरकारी अस्पतालों में कार्यरत सभी कर्मचारियों, चाहें वो भौतिक रूप से वहाँ कार्य नहीं कर रहा है, मरीज देखभाल भत्ते (PCA) का भुगतान किया जाता है।

# (ग,घ) उपरोक्तानुसार लागू नही होता।

(ड़) सरकारी अस्पतालों में पदापित कर्मचारियों को छोड़कर डाईवर्टेड पोस्टिंग के सन्दर्भ में कर्मचारियों को अपने भत्ते, वेतन की देयता उस विभाग के नियमानुसार तय किये जाने चाहिए जहाँ पर कर्मचारी भौतिक रूप से पदापित हों।

### 216. श्री नसीब सिंह: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार में कार्यरत वरिष्ठ निजी सहायक (Sr. PA) व ग्रेड-1 दास को पूर्व संशोधित वेतनमान 6500-200-10500 प्रदान किया जा रहा है जिसके अनुसार ग्रेड-पे 4600 निर्धारित किया गया है,
- (ख) संशोधित वेतनमान दिल्ली सरकार द्वारा लागू न करने के क्या कारण है और कब तक संशोधित वेतनमान लागू कर दिये जायेंगे,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि छठा वेतन आयोग लागू होने के पश्चात दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों मे Sr.PA व ग्रेड-1 को अलग-अलग ग्रेड-पे दिया जा रहा है, पूर्ण विवरण सिंहत सूची दें,
- (घ) यदि हाँ, तो ऐसी विसंगतियों के क्या कारण है, और
- (ड़) इन विसंगतियों को कब तक दूर कर दिया जायेगा।

### मुख्यमंत्री

(क से ड़) आवश्यक जानकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के सभी विभागों से एकत्रित की जा रही है।

# नियम-280 के अतर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : क्वश्चन ऑवर समाप्त। अब 280 के अंतर्गत सब से पहले श्री बलराम तँवर जी।

श्री बलराम तँवर : अध्यक्ष जी, मेरा छोटा सा क्वश्चन है। अभी मंत्री जीने यह कहा। उन्होंनें नगर निगम के चुनाव की बात की। मंत्री जी अभी वोटों के साथ साथ आज कल आप लोगो ने नगर निगम के चुनाव में पहली बार दफा वोटर्स लिस्ट घरों में भेजी थी। उस पर्ची से इतना बोगस वोट हुआ है। मैं तो आपके नेटिस के लिए कहना चाहता हूँ कि अब की बार जो वोटर्स लिस्ट की पर्ची घरों में गई हुई थी।जब पहले वोटर डालने के लिए आता था अध्यक्ष जी, उसके पास आईडेन्टी कार्ड, राशन कार्ड या कोई भी प्रुफ वो लेकर आता था। जब उसकी वोट डलती थी। अब की बार क्या हुआ है कि उनके घर स्लिप पहुँचा दी गई, जिसके पास स्लिप थी। वो चाहे बोगस वोट है या वो ऐसी ही वोट है। वो सीधे वोट डल गई। मेरी आपसे यह प्रार्थना है। मैं पहले क्वश्चन में यह कहना चाहता हूँ कि जब तक सारे आप हर चीज में आई.टी.प्रुफ से वोट बनायें। उसमे भी चाहिए। आप यह भी मत कहिए कि हम बगैर प्रुफ के ही वोट बना देंगे। फिर तो दिल्ली मे बहुत वोट बन जायेगी। हम वोट डालने के लिए भी आई डी प्रुफ चाहिए और वोट बनवाने के लिए भी आई. डी प्रुफ चाहिए। तब ही उसका वोट बनेगा।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया है मैं बोलना चाहता था। अभी इस पर कह देता हूँ। हमारे विपक्ष के साथी तो यहाँपर नहीं हैं। सब से पहले तो मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्रीमित शीला दीक्षित जी का, केन्द्र के शहरी विकास मंत्री श्री कमल नाथ जी का और दिल्ली के यू.डी. मिनिस्टर दोनों वालिया जी का और लवली जी का दोनों का धन्यवाद करता हूँ। ये जो कालोनी पास हुई। यह वो काम किया गया है जिसकी दिल्ली की जनता को बहुत ज्यादा जरूरत थी। इंसानियत यह कहती है कि जहाँ परलोग बस गए। उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, वो भी पूरी हों और उसका जो घर है, वो भी सुरक्षित हो। इस पर भववान भी प्रसन्न होता हैं जहाँ तक हमारे विपक्ष के साथी हैं। आपने देखा होगा कि उनका एक ही नजरिया रहता है कि शीला दीक्षित जी को कैसे अटैक किया जाए। उनको भी मालूम है कि शीला जी ने दिल्ली में बहुत काम किए हैं। उनको भी मालुम है कि दिल्ली मे बिजली अच्छी हुई है, पानी अच्छा हुआ है, रोड अच्छे हुए हैं। उनको हर चीज मालुम है। वो यह चाहते है कि जब तक शीला जी रहेंगी, तब तक इनका नंबर लगने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी, अभी बीच में एक बात आई थी कि शीला जी को तो गृह मंत्री बनाया जा रहा है। हमारे लोगो ने कुछ नहीं कहा। भा.ज.पा के लोगों के टेलीफोन आए कि बहुत मौज हो रही है क्योंकि अब तो हमारी सरकार बन जायेगी। मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि अब शीला जी तो दिल्ली से गई और अब भी सरकार बन जायेगी। ये लोग शीला जी से दुखी हैं। जो कालोनियाँ पास की हैं। उससे पूरी दिल्ली खुश है। जहाँ तक हमारा सवाल है। हमारे क्षेत्र को कह दिया जाता है कि वन विभाग आज मैं उसके लिए खड़ा हूँ कि कोई वन विभाग नहीं है छतरपुर, महरौली, देवली, बिजवासन इसके आसपास जो कालोनियाँ हैं वो दिल्ली की सब से पुरानी कालोनियाँ हैं। वहाँ लोग 1990 से पहले के बसे हुए हैं और वन विभाग कब हुआ है, यह 1996 या 1994 का है। अब बसे हुए लोगों को, अगर उस टाइम की सरकार वन विभाग करती है तो गलती उस सरकार की है। उन लोगों की तो कोई गलती नहीं है। आप हवाई सर्वे देख लीजिए। आप किसी भी रिकॉर्ड मे

देख लीजिए। जो छतरपुर, महरौली या उसके आसपास की कालोनियाँ हैं। उन कालोनियों का बहुत पुराना इतिहास है। लेकिन हमारे ऊपर एतराज लगा दिया जाता है कि ये वन विभाग कि कालोनियाँ हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1993 से 1998 तक बनी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। उस टाइम पर इन कालोनियों को इनके द्वारा वन विभाग का एरिया दर्शाया गया था। हमारी कोई कालोनी वन विभाग में नहीं हैं और मैं तो सरकार से यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारी कालोनी वन विभाग में नहीं है और मैं तो सरकार से यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारी कालोनी में यदि कहीं पर वन विभाग है तो आप उसको अलग कर दीजिए। हमें तो वो काम कराना है जहाँ पर हमारी कॉलोनी में वन विभाग नहीं है । हम कोई यह नहीं कहते । हमारी कोई कॉलोनी वन विभाग में नही है। हमारे ऊपर त्पकहम लगा दिया गया है। जिसमें राष्ट्रपति भवन भी है। पता नहीं कौन-कौन सी चीजें उसमें हैं। उसके नाम पर हमारी कॉलोनियों के डवलपमेंट रोके गए हैं। हमारी सरकार से यह प्रार्थना है कि डवलेपमेंट की जरूरत हर कॉलोनी को है। आज हम हैं। ये दिल्ली के जो कॉलोनी वाले हैं ये तो शीला जा पर विश्वास करते हैं वरना वो अभी तक हमारे कपड़े फाड़ देते । वो कहते कि सब की हो गई, तुम किस बात के एम.एल.ए हो क्योंकि तुम्हारी कॉलोनी पास नहीं हुई। लेकिन उन लोगों को भरोसा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उनसे कह दिया है। हम यह चाहते है कि दिल्ली की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं। उनमें डवलपमेंट बहुत जल्दी से खोल दिया जाए ताकि उनके रोडस् पानी। आज बहुत सी कॉलोनियों को पानी मिल गया है। बहुत सी कॉलोनियों में रोड्स बन गए हैं। हमारी जो कॉलोनियाँ रहती हैं। उनमे ये काम हो जाए। यह मैं प्रार्थना सरकार से करना चाहता हूँ और एक बार फिर अपनी मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये दिल्ली की 40-50 लाख लोगों के बीच में जो सोचा है। इससे यह होगा कि आने वाले टाइम में हम तो 2003 में शीला जी की मेहनत से जीते थे। हम तो 2008 में भी शीला जी की मेहनत से जीते थे। कोई भाई एम.एल.ए यह कहे कि हम अपनी मेहनत से जीत गए थे। मैं तो इस चीज को मानता नहीं हूँ हम तो शीला जी के काम और उनका दिल्ली की जनता के साथ जो लगाव है। उसकी वजह से दो बार जीते हैं और मुझे अब लग गया हैं कि शीला जी हम सब को जिताने जा रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: चौ. बिजेन्द्र सिंह जी। चौधरी आप भी और आपके बाद में जो सदस्य बोलने वाले है। वो कृपा करके जो कुछ लिखकर दिया है, उसे ही पढ़ दें। अन्यथा समय बहुत लगेगा। इसलिए उस तक ही रैस्ट्रिक्ट रहें।

डॉ. बिजेन्द्र सिंह: अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। सर मैं उतना ही बोलूंगा। आपका धन्यवाद सर मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर एक Right of Way में road ऊपर तकरीबन 35 वर्ष पहले का एक जे.जे. क्लस्टर है। वहाँ से 2004 में कुछ झुग्गियाँ उठाई गई थीं जिनको होलम्बी कलाँ में rehabilitate किया गया। एक सोसाइटी ने कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि इनको rehabilitate करों और इनका रास्ता साफ कराओं। मैं उसके लिए आदरणीय मंत्री जी के यहाँ पर भी मीटिंग की। मैंनें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर भी मीटिंग की। लेकिन सर सच्चाई यह है कि अधिकारीयों ने जायज बात को भी मान कोर्टस के ऑर्डर्स को भी नहीं माना। और तीन दफा इसमें एलजी साहब ने भी आर्डर किये हैं। तीनों लेटर भी मैं रिकार्ड पर रख दूंगा। मुख्यमंत्री जीने भी चीफ सेक्रेटरी और सबकी मीटिंग लेने के बाद कहा मेरा कहना है कि 2004 में उसी रोड पर रहने वालों को rehabilitate किया जा सकता है, जो 35 साल पहले थे, दिल्ली के अधिकारी कहते हैं कि हमारी पॉलीसी है, यह तो इन्होंने बनाई है 2009 में that cannot be implemented with retrospective effect और सबसे बड़ी बात जो दिल्ली स्पेशल लॉ पार्लियामेंट में पास किया है, जिसके अंदर प्रोटैक्शन दी है 31 दिसम्बर, 2014 तक। मैं उसकी एक लाइन पढ़ देता हूँ। "The encroachment by slum

dwellers, jhuggi-jhopri cluster, hawkers, urban street vendors." इनको नीचे लिखा हैं Provision contained Sub-section (1): "not with standing any judgement, decree or order of any court" उनको किसी भी तरीके से किसी कोर्ट के आदेश से हटाया नहीं जा सकता। दिल्ली सरकार यह कहती है कि right of way जो है उनको alternative पेज नहीं दी जायेगी, उनको हटाया जा सकता है। यह रिकार्ड मैं टेबल पर रख रहा हूँ there is no provision as such. और मैं कहना चाहूँगा, बड़े दुख की बात है, एक हटाने का है तो उसमे एक लाइन यह लिखा है कि हटाया जा सकता है तो किस हालात में "in accordance with the relevant policies approved by the Central Government for clearance of the land required for a specific public project." वहां पर कोई पब्लिक प्रोजैक्ट नहीं है। They were there on the road, they are there on the road, they will remain on the road. पब्लिक प्रोजेक्ट तो कुछ नहीं बनने जा रहा, कोई पावर प्लांट नहीं लगा रहे हैं।

मुख्य मंत्री: राइट आफ वे भी तो पब्लिक हो गया ना any way आप दिखा दीजिए।

**डॉ. बिजेन्द्र सिंह**: इसमें प्रोजेक्ट का लिखा हैं There is no project as such. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूँगा कि ये उस special provision की और यह मेरे यहाँ ही नहीं बहुत से एमएलएज के यहाँ right of way पर है और मैं यह कहना चाहता हूँ कि यही नहीं जो दिल्ली सरकार ने पॉलिसी बनाई है 2009 में, उसमें कोर्ट के आदेश हैं कि इनको rehabilitate करो। They are the poorest of the poor. Unfortunately अधिकारियों को मैं चाहता हूँ They are not bothering about the interests of the politician वो राजनीतिज्ञों को अनपढ़ मानते हैं वे यह मानते हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ये सभी एमएलएज को कहीं न कहीं affect होता है अगर दिल्ली सरकार की पॉलिसी बनी भी है और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद

unfortunately दिल्ली सरकार Ministery of Urban Development has gone in the Supreme Court also के right of ways वालों को जगह accommodate नहीं किया जायेगा। मेरा यह कहना है कि retrospetive effect applicable कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए । दूसरे, दिल्ली सरकार की पॉलिसी, दिल्ली के administrators के सामने Lt. Governor is the Administrator. उसके सामने दिल्ली सरकार की पॉलिसी prevail करेगी या Administrator's order करेंगे। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इन सबके क्लेरीफिकेशन करके और यह जो 563 झुग्गियां है। और भी एमएलएज के एरिया मे होंगी उनको relief दिलवाने का प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: अब साहब अपने कोओपरेटिव मंत्री राजकुमार जी से अलग से बैठकर के चर्चा कर ले और वो झुग्गियों यदि हटाई जा सकती हों तो वैसा फैसला कर लें। वीर सिंह धीगांन।

श्री वीर सिंह धीगांन: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एमसीडी में कार्यरत सफाई मजदूरों की ओर दिलाना चाहता हूँ इनको एमसीडी में पिछले 18-20 सालों से नियमित नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो योग्य डिप्लोमा होल्डर कर्मचारी हैं, जिनो प्रमोशन मिलना चाहिए था, उनको भी पिछले 10-12 वर्षो से प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इस तरह से ऐवजीदार सफाई मजदूर जो हैं, जिनको नियमित करना था। उनका भी नियमित नहीं किया जा रहा है। 1994 से 1996 तक के जो लोग सफाई मजदूर पक्के किये गए थे, उनको वेतन अंतर को जो भुगतान है, वो भी आज तक नहीं किया गया है। फैसले के अनुसार जो cartmen चालक है, जो भैंसागाड़ी पर कर्मचारी काम करते हैं, उनको भी नियमित करने का फैसला किया गया था, लेकिन उनकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों को Risk Allowance, वर्दी, आदि जो सुविधाएं हैं,

उनको नहीं मिल रही हैं। यह बात सही है कि पिछले दो टर्म से बीजेपी वालों का शासन वहां पर है लेकिन मैं जहां तक मानता हूँ हमारी का भी इस्तक्षेप वहां पर है। मेरा इन कर्मचारियों के बारे में जो कहना है कि वहाँ पर जो दूसरे विभाग मे कर्मचारी लगे हैं, जो सफाई मजदूरों से जूनियर हैं, उनको तो नियमित कर दिया गया है लेकिन सफाई मजदूरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गया है, यह पूरी तरह से इनके साथ भेद्भाव किया जा रहा है। जो गलत है। इस तरह से मजदूरों मे आक्रोश बढ रहा है। यह संगठन आंदोलन की राह पर औरमैं समझता हूँ कि यह आंदोलन जब होता है कि सरकार को और आम आदमी को दिक्कत होती है। मेरा सरकार व मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन है कि जो यह अत्याचार व शोषण किया जा रहा है। 18–18, 30–30 साल कुछ तो ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं।

श्री वीर सिंह धिगांन (जारी): उनको अगर नियमित नहीं किया जा रहा तो यह बहुत बड़ा अन्याय है, दिल्ली जो राजधानी है हमारी अगर वहाँ पर ऐसी हालत है सफाई मजदूरों की तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि और जगह क्या हाल हो सकता है अध्यक्ष जी। मैं ज्यादा न कहते हुए आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उन गरीब सफाई मजदूरों को जो 18-18, 20-20 साल से कर्मचारी हैं, सफाई का काम कर रहे हैं उनका नियमित होने का नंबर है तो उनको नियमित कराया जाये और अगर आंदोलन चलेगा तो फिर हम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सरकार इस तरफ जरूर ध्यान दे, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री तरविंदर सिंह मारवाह।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, आपने बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैंने पिछली बार भी 280 में तीन बार यह बात उठा चुका हूँ। कृपा करके या तो आप कोई आदेश दे यह मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, इन्होने दिल्ली बसाई, जिनकी जमीन पर हम बसे हैं और उनको थोड़ा-थोड़ा मुआवजा देकर करोड़ों की जमीन गवर्नमेंट ने ली है । आज उनके साथ अन्याय हो रहा है लगातार बार-बार मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो जमीन एक्वायर करती है गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार ने उनकी जो जमीन एक्वायर की, उनको जो चैक दे रहे हैं वो टीडीएस काटकर दे रहे हैं और मैंने पीछे इंकम टैक्स डिपार्टमेंट सेपता कराया आरटीआई लगाकर लोगों ने, उन्होंने कहा है कि टीडीए नहीं कटना चाहिये। वो बार-बार एसडीएम डीसी के यहाँ पर जा रहे है पीछे मंत्री वालिया जी थे, अब लवली जी है, तो मैंने डीसी को भी कहा उन्होंने भी यहाँ पर कहाँ, मंत्री जी ने भी कहा क्योंकि यह गरीब आदमी लगातार कई-कई साल हो गये टीडीएस को कटे हुए और उनको जो गरीब है वो इंकम टैक्स में फाइले नहीं भरते. अब वो वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से इंकम टैक्स डिपर्टमेंट से छूट मिली हुई है अध्यक्ष जी फिर यह क्यों हो रहा है और लगातार मतलब कि चार-चार बार यहाँ पर 280 में पूछने पर भी अगर कोई नीचे न कारवाई हो तो इसका जिम्मेदार कौन है अध्यक्ष जी, तो मैं आपसे बड़े प्यार से विनती कर रहा हूँ कि इस पर आप कोई निर्देश दे जिससे कि इन गरीब किसानों का और सबसे बड़ी बात है कि कानून के तहत आते है कोई डीसी या हमारी सरकार उन पर कोई मेहरबानी नहीं कर रही मतलब जो काम गलत हो रहा है वो रूक नहीं रहा अध्यक्ष जी। फिर तो हमारा यहाँ बोलने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है फिर तो हम 280 पर टाइम आप लोग जो देते हैं उस पर गौर करवाये और अध्यक्ष जी जुरा दिशा-निर्देश दें यां मंत्री जी जवाब दे कि इस पर कोई कार्रवाई हो।

अध्यक्ष महोदय : श्री नसीब सिंह।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, इस बात पर जवाब दिलवाये, आप भी वहीं से आ रहे हैं और ये सारे किसानों की बात है......(व्यवधान) श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नसीब जी, एक मिन्ट।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, यह तो कानून के तहत चीज है। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा। जो कानून सेंटर ने बना रखा है, हमारी सरकार उस पर भी अगर अनदेखी कर रही है, फिर तो कोई ऐसी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री, यदि जवाब देना चाहे।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: मंत्री, अभी आये हैं जवाब दें।

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है उसको बिल्कुल हम एग्जामिन करा लेते हैं और इनकी बात यह बिल्कुल सही है कि अगर कानून के तहत जो है इंकम टैक्स डिपार्टमेंट यह कह रहा है कि टीडीएस नहीं कटना चाहिए और कट रहा है तो वो निश्चित रूप से गलत है मैं इसको एगजामिन करा लेता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद मंत्री। नसीब सिंह।

श्री नसीब सिंह: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग मंत्री जी हैं नहीं, उनसे ही बात करना चाहता था, लेकिन क्या करें उनका मन ही नहीं है स्वास्थ्य विभाग में। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि दिल्ली को मान्यता प्राप्त कैमिस्टों के साथ जोड़ा जाये ताकि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को समय पर दवाइयाँ मिल सकें। अब आवश्यकता दवाइयाँ में एक महीने से ज़्यादा का समय लगता है तथा बिल का भुगतान होने में भी काफी समय लगता है।

भुगतान सचिव और स्वास्थ्य सचिव एवं शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ डॉ. वालिया जी के चैम्बर में डाक मीटिंग की गई थी और बिलों के भुगतान के लिए केन्द्रीय भुगतान व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया था परंन्तु बिल के टेक्नीकल प्रोसेसिंग के लिए इसकी अभी तक कोई सुविधा नहीं दी जा रही है क्योंकि यह योजना सभी दिल्ली सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है। यदि टेक्नीकल प्रोसोसिंग के स्टाफ उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं है तो टेक्नीकल प्रोसेसिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए ऐसा प्रावधान किया जाये जो कर्मचारियों सेवानिवृत के बाद अपने कार्यालय से दूर रहते हैं वे डिस्पेंसरी मे जाकर अपना बिल जमा करा सकें और जिला सीएएमओ टेक्नीकल प्रोसेसिंग के बाद उनके बिलो का भुगतान कर सकें।

सर, बहुत प्रोब्लम आ रही है, बेचारे जो बुजुर्ग हो चुके हैं खास तौर पर शिक्षा विभाग के जितने भी टीचर्स और प्रिंसिपल्स रिटायर हुए हैं, उनको इतनी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो एक बहुत बड़ी कालोनी टीचर्स की है सूरज मल विहार जिसमें लगभग 1200 तो मकान है और आस-पास पूर्वी दिल्ली में बहुत सारे, ऐसे, पूरी दिल्ली में ही इतने टीचर्स हैं जो कि अपने आप में एक रूतबा रखते हैं गुरू का मान देते हैं और आज वो धक्का खा रहे हैं, छोटे-छोटे बिलिंग के लिए। डिसिजन हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी डिसिजन लागू नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से क्योंकि मंत्री जी तो हैं नहीं मुख्यमंत्री लागू नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से क्योंकि मंत्री जी तो हैं नहीं मुख्यमंत्री जी के सामने इस प्रोब्लम को रख रहा हूँ कि वो इस पर ज़रा ध्यान दिलाने की कृपा करेंगे, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलेंगी क्या कुछ, नहीं। सुरेन्द्र कुमारी जी।

श्री सुरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान हमारे दिल्ली देहात में जो किसानों

की जमीन एक्वायर हुई थी और उसमें जो अल्टरनेटिव प्लॉट दिया जाता है उसक बारे में आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैंने सदन में भी इस बात को उठाया था। अध्यक्ष जी, जिसकी जमीना चली जाती है, आज रिकार्ड निकलवा कर देखो, 15-15, 20-20 साल से वो किसान जो हैं धक्के खा रहे हैं। मगर किसी को आज तक कोई प्लाट नहीं मिला। अध्यच जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठी हैं, होना तो यह चाहिए कि जो मुआवजा दिया जाता है तो उसके साथ उस प्लॉट की पर्ची दे देनी चाहिए। मगर 20-20 साल जिसको हो जाये और उसको प्लॉट न दिया जाये अध्यक्ष जी, जिसने प्लॉट के लिये अप्लाई किया है वो आदमी मर भी जाता है और फिर क्या करते हैं डीडीए वाले, अगर कोई प्लॉट दिया जाता है। तो वो कोई प्रोपर्टी डीलर ले जाता है उस प्लॉट को, आप रिकार्ड उठाकर के देखो कि 20-20 साल वो लोग धक्के खा रहे हैं। अभी मेरे यहाँ बरवाला गाँव में सालों से ऐजिटेशन चल रहा है, धरने-प्रदर्शन कर लिये, डीडीए का काम रूकवा देख लिया और डीडीए वालों मे किया क्या कि भई 37 सैक्टर में तुम्हारा जो है प्लाट रिजर्व कर दिये गये और उन्होंने बड़ी, सब ने इकट्ठे होकर के उनका काम चलवा दिया कि चलो हमारी डीडीए ने सुन ली और हमारे को प्लॉट मिल जायेंगे। हुआ क्या अध्यक्ष जी एक अधिकारी ने लिखकर के एक लैटर दे दिया कि हमारे पास जमीन ही नहीं है, हम देंगे कहाँ से आपको तो इतना बड़ा धोखा किया जाये और उनको यह कह दिया जायेंकि तुम्हारा 37 सैक्टर में जो है प्लॉट है ओर फिर दूसरा अधिकारी लिख दे की हमारे यहाँ कोई प्लॉट नहीं है तो मैं अध्यक्ष जी, यह बार-बार आपके सामने यह बात उठा रहा हूँ कि इतनी बड़ी ज्यादती जो है किसानों के साथ हो रही है या तो उनको एक जवाब दे दिया जाये और जहाँ भी कोई प्लॉट मिकलता है उस प्लॉट को प्रोपर्टी डीलर ले जाते हैं तो मैं बार-बारी इस मुद्दे को यहाँ उठाता हूँ। अध्यक्ष जी, कोइ न कोई तो कार्रवाई होनी चाहिये, यह पॉलिसी बननी चाहिये, कोई न कोई इसका इंतजाम होना चाहिये, सरकार बैठी है हमारी, उनकी जमीन चली जाती है, अध्यक्ष जी, आप तो गांव में रहे हैं आपको तो सारी बातों का पता है और यह भी कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, जब उसको प्लॉट दिया जाता है तो उसकी कीमत कितनी रख दी जाती है, जो मुआवजा उस बेचारे को सारा मिला है वो सारा मुआवजा भी इकट्ठा करकर अगर प्लाट लेना चाहे ता प्लॉट भी नहीं मिलता। यह कुछ ऐसे नियम, कायेद, कानून बनाने चाहिये, अभी अध्यक्ष जी, पीछे राजकुमार चौहान जीके यहाँ हमने मीटिंग करवाई कुछ किसानों को ले जाकर के, मैं इनसे मिला, इन्होंने पता किया कि 37 सैक्टर में कहाँ प्लॉट दिये गये हैं इनके सामने वो लैटर लाकर रख दिया कि वहाँ जमीन ही नहीं है फिर इन्होंने सख्ताई से कहा उन अधिकारीयों को जो कि बरवाला गांव का विशेष ध्यान रखा जाये और सबसे पहले चतपवतपजल पर इस बरवाला गांव की वो की जाए और मैं खाली, बरवाला गांव के लोगों ने आंदोलन किया है अध्यक्ष जी, उनका हक बनता है कि उनको प्लाट मिले मगर उसके साथ–साथ और भी गांव हैं, अभी भाई नसीब ने भी एक क्वेश्चन लगाया था मगर वो समय नहीं मिल पाया तो यह मेरी–मेरी बात नहीं है जितनी भी दिल्ली देहात के हमारे, जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं सारे के सारे दु:खी है।..... (व्यवधान)

श्री नसीब सिंह: अध्यक्ष जी, जब जमीन एक्वायर हो जाती है तब तो कुछ नहीं होता, जब कोई कागज नहीं माँगा जाता, उसके बाद उसे बोलते हैं कि अपना वो लाओ कागज जबिक सरकार के पास सारे कागज होते हैं, उनका रिकार्ड होता है फिर बार-बार उसके रिजेक्ट कर दिया जाता है कागज न देने पर .......(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष जी, आप इस बात को जानते हो कि मुआवजा दिया जाता है उसको सब कागजात वगैरह पूरे होते हैं तभी तो मुआवजा दिया जाता है और फिर उसको यह कह देते हैं कि तू एक साल बाद इसकी ऐप्लिकेशन डाल और फिर आपको यह प्लॉट मिलेगा और ऐप्लिकेशन भी अध्यक्ष जी बट्टे खाते चली जाती है, वह भी कूड़े में चली जाती है और फिर वो आदमी ही गुजर जाता है उसको प्लॉट कोई नहीं मिलता । अध्यक्ष जी, मैं

आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सरकार को यह आदेश दें यह जो मामला हो रहा है, यह ठीक नहीं है। जितने भी किसान हैं सब अब दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, इसकी कोई पालिसी बनाई जाए। अध्यक्ष जी, आज कम से कम 10 हजार प्लाट पैंडिंग पड़े होंगे। सरकार को सोचना चाहिए कि जो प्लाट पैंडिंग पड़े हुए हैं उन्हें जल्दी अलाट करें। जिसे प्लॉट मिलना है उस समय उस आदमी के पास पैसे भी नहीं रहते, कुछ तो मर भी जाते हैं, फिर वे उस प्लाट का क्या करेंगे, मेरी यही प्रार्थना है कि इन्हें जल्दी से जल्दी प्लाट दिलवाए जाए। एक बात कह कर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ मैं बार बार इसबात को उठाता रहा हूँ कि जिस गांव की जमीन एक्वायर होती है ओर उस गांव में जो भूमिहीन लोग होते हैं, मैं इस बात को भली प्रकार से जातना हूँ और भी हमारे सभी साथी जानते है जिनका सम्बन्ध गांव से है, गांव जो भूमिहीन हैं आज उनकी झुग्गी झोंपड़ी वालों से भी बुरी हालत है। उनकी सब रोजी रोटी छिन गई, मैं कहना चाहता हूँ कि कम सेकम जो उनकी ग्राम सभा कीजमीन पड़ी है उसमें वे अपनी छोटी मोटीदुकान या छोटी औद्योगिक इकाई के लिए कुछ मिल जाए जिससे उनका भी काम चल जाएमैं यह आपसे प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि वे इसपर जरूर जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, देखिए, भाई सुरेन्द्र जो सवाल उठाया है वह बहुत गंभीर है और अनेक बार ये इसको सदन में उठा चुके हैं। लैण्ड एंड बिलिडंग से लेकर जो प्लाट रिक्मैंड करते हैं और डीडीए तक किसानों का प्लाट मांगते जो बुरा हाल हो जाता है उससे हम छुटकारा दिलाना चाहिए। जल्दी से जल्दी आल्ट्रनेटिव प्लाट मिलें मैं समझता हूँ कि इसका एक ही समाधान है कि माननीय मुख्यमंत्री जीके यहां यदि मीटिंग हो जाए तभी इसका हल होगा नहींतो नहीं होगा। मैं आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसको प्रायर्टी पर लेकर किसानों के दु:ख दर्द को समझते हुए इस पर जल्दी जल्दी निर्णय करवाएं। मैंने यह देखा है कि माननीया मुख्यमंत्री जी के पास कोई

मैटर नहीं जाता है तो वे उसमे क्या करें पता ही जब न हो। लेकिन अगर कोई मैटर चला जाता है तो बहुत ही संवदेनशल तरीके से वो उसका समाधान निकालती हैं। मैं भाई सुरेन्द्र जी से भी और अपने मंत्री राजकुमार जी से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे मुख्यमंत्री साहिबा से समय लेकर एक मीटिंग रखवा लें, तभी इस ला-ईलाज बीमारी का निदान हो सकेगा। मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने किसानों कीजिस पीड़ा को यहा रंखा उन्होंने यह बिल्कुल सही कहा कि लोगों की जमीन ले ली जाती है और आल्ट्रनेटिव प्लाट देने में सालों साल लग जाते हैं और बहुत सालों से यह मामला पैंडिंग रहा है। हालंकि इसमे बहुत से किसानों की तरफ से भी कमी रह जाती है कि एप्लाई नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी अध्यक्ष जी से यह मामला मेरी जानकारी में आया है भाई सुरेन्द्र जीको भी पता है कि बरवाला का यहा जो मामला है इसमे मैंने डीडीए से अधिकारी बुलाए थे और जो वादा वहां के किसानों से डीडीए ने किया था वे उस पर खरे नहीं उतरे रहे थे 37 सैक्टर में उन्होंने कहा कि यहां हमारे पास प्लाट नहीं हैं। मैंने उनसे कहा कि जब आपके पास यहां 37 मे प्लाट ही नहीं थे तो आपने उनको वादा किया, लेकिन अब उस पर फैसला यह हुआ है कि एकदम से इकट्ठे प्लाट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जहां भी रोहिणी के अन्दर 24,25,27,28 जिन भी सैक्टर्स के अन्दर उनके पास जो उपलब्ध प्लाट्स हैं वे जल्द से जल्द बरवाला गांव वालों को दिए जायेगें। अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से ये जो केसिज हमारी तरफ लैंड एंड बिल्डिंग के पास पैंडिंग हैं। अध्यक्ष जी, हम लोगों मे 79 से 2000 तक के जा 1391 की जो सूची है वह हमने वेब पर डाल दी है और 2001 के बाद पास पेपर की कमी है उनकी एप्लीकेशन हमने मांगी हैं। किसान आ रहे हैं अपने पेपर भी लोगों ने बनाई जिसमें हमारे एडीशनल सेक्रेटरी उसके चेयरमैन हैं औरतीन सदस्य और भी उस कमेटी के मेम्बर हैं। ये महीने में तीन बैठकें इस वक्त कर

रहे हैं और करीब 75 से 80 केस एक मीटिंग में निपटा रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि ये जल्द से जल्द इस मामले को हम लोग खत्म कर दें, जिनका हक है उनको मिलना चाहिए, इस दिशा मे हम काम कर रहे हैं।

श्री नसीब सिंह: अध्यक्ष जी, मैं इसमे एक संशोधन कराने की मांग कर रहा हूँ कि हिरयाणा और यूपी में नई पालिसी आ गई है, यह दिल्ली में जो पालिसी चल रही है 1963 की पालिसी है, इसमें अमैंडमेंट करके नई पालिसी के तहत लाया जाये। यूपी जैसे प्रदेश के जहां पर एक्वीजिशन के लिए जगह ही जगह है यहां तो जगह भी नहीं है। एक्वीजिशन केलिए दिल्ली में, अध्यक्ष जी, इसमें कोई नई पालिसी का प्रावधान किया जाना चाहिए क्योंकि यह 1963 की पालिसी है जिससे किसान बहुत परेशान हैं। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूगा कि एक कमेटी बनाएं जो नई पालिसी तैयार करें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, पहले इन केसिज को हम लोग निपटा लें क्योंकि यह बड़ा सीरीयस मैटर है कई सालों से ये केस पैंडिंग पड़े हुए हैं इनको पहले कर लें। आप जो 1963 के एक्ट की बात कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग किस तरह से किसानों को जल्द से जल्द जगह दे सकें उस और भी काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: नसीब सिंह जी, मंत्री ने जैसा बतलाया है कमेटी इन्होंने पहले ही बना दी है और जहां तक यूपी हरियाणा राजस्थान के भूमि प्रबंधन का सवाल है उसमें यदि आपको कुछ विशेष लगता है तो आप उन्हें लिख करके दे दीजिए ये उस पर जरूर विचार करेंगे। अब चौ. मतीन अहमद जी आप बोलिए।

चौ. मतीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं दिल्ली सरकार का

ध्यान जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली को केरोसीन फ्री किया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ और दिल्ली के लोग भी उससे बहुत खुश हैं। लेकिन केरोसीन आयल के डिपो जो लोग चलाते थे और एफपीएस की दुकानें जो लोग चला रहे हैं, केरोसीन ऑयल वाले तो बेरोजगार हो गये और एफपीएस वाले भी बेरोजगार होने वाले हैं। दिल्ली में वह 7000 लोग हैं और बहुत से लोग करीब 30-40 साल से उन दुकानों को चला रहे हैं और आज वे 60-62 साल की उम्र के हो गये, एकदम से किसी का रोजगार छिन जाये तो उसे जिन्दगी गुजारने में परेशानी होती है। मेरी कई लोगों से बात हुई हन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत कमा लिया। अगर आप उसकी सच्चाई जानेंगे जो केरोसीन ऑयल और अनाज पर उनको कमीशन मिलता है, उसमें दिल्ली में कोई किराये की दुकान भी नहीं देगा। इतना उनको कमीशन मिलता था। अध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत हो तो मैं राजा वहां मैं कहना चाहुंगा कि बहुत गरीब लोग थे, बहुत परेशान लोग थे। राजा वहां गये और उन्होंने कहा कि तुम बहुत कहा कि ये अशर्फिया है, इनको सुखाने का काम आपको दिया जाता है। वे रोज अशर्फी छत पर ले जाते थे तोलकर और सुखाकर शाम को फिर नीचे लाते थे तो तोल कर फिर उतनी ही होती थी। उशर्फी कोई सूखती तो हैं नहीं। सोने की होती थी। तो एक हफ्ते बाद कहा कि तुम्हारी छुट्टी कर दी जायेगी तुम सुखाने नहीं हो, जितनी ले जाते हो, इतनी ही ले आते हो। तो उन्होंने कहा कि क्या करें। तो उन्होंने कहा कि कुछ कम कर लो इनको। तो उन्होंने दो-दो चार-चार तो उन्होंने कहा कि कुछ कम कर लो इनको। तो उन्होंने दो-दो, चार-चार जेब में डाल ली। जब शाम को तुलवाई तो पता लगा अशर्फी सूख गई। चोरी का भी उन्होंने उनको रास्ता बताया जो उनसे अशर्फी सुखवा रहे थे। ठीक है, उन्होंने जो कुछ किया है लेकिन उनके रोजगार का कोई न कोई साधन हैं। फूड सिक्योरिटी बिल जब आयेगा।... रास्ता कौन बताता है। रास्ता तो हमारे ही लोग बताते हैं। जुगाड़ कैसे होगा तो जब हम फूड सिक्योरिटी बिल की भी बात कर रहे हैं तो फूड सिक्योरिटी बिल का हम राशन

लेना चाहते हैं, मेरी तो इसमे मांग ये हैं कि इन लोगों का कोई रोजगार का रास्ता हमें निकालना चाहिए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री विपिन्न शर्मा जी।

श्री विपि शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय निवेदन करूँगा कि जो हमारी दिल्ली के अंदर मोबाइल टावर्स की स्थित है, जगह जगह मोबाइल टाॅवर दिल्ली मे किसी भी बिल्डिंग के ऊपर लगा दिये जाते हैं। क्या उसकी एन.ओ.सी. एमसीडी द्वारा दी जाती है या दिल्ली सरकार द्वारा दी जाती है क्योंकि अभी पीछे दो-तीन दिन पहले नवभारत टाइम्स के अदंर बहुत बड़ा आर्टिकल आया था। मेरे क्षेत्र दुर्गापुर की एक पुरी फेमिली की फोटो आयी थी, जिसमें दो सदस्यों की मौत भी हो चुकी है। उनका कहना है कि उनके आस-पास जो मोबाइलज टावर लगे हुए हैं, जिससे उनके एक 19 साल के बच्चे की और उनकी वाइफ की डेथ हो गयी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि मोबाइल टावर से जो रेज निकलती हैं, उससे कोई हानि होती है स्वास्थ्य लेकर और अगर उनको एमसीडी इनओसी दे रही है तो क्यों दे रही है, क्योंकि अगर आप दिल्ली सबसे ऊँची बिल्डिंग सिविक सैन्टर की छत पर जाकर देखेंगे तो पूरी दिल्ली मोबाइल के टावर्स से ढकी हुई है। तो मेरा आपसे विवेदन है कि इनके ऊपर छानबीन को जाये क्योंकि मोबाइल्स की भी सभी को आवश्यकता है। हम सभी के पास मोबाइल फोन्स हैं, अगर टाॅवर नहीं होंगे तो हमारे मोबाइल कैसे चलेंगे, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था की जाये कि हमारे स्वास्थ्य को भी हानि न हो और हमारे मोबाइल भी चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।

# सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

अध्यक्ष महोदय: अब मुख्यमंत्री जी अपने विभाग से सम्बद्ध पेपर्स करेंगी। मुख्यमंत्री।

मुख्यमंत्री: Hounable Speaker, Sir, I beg to lay the following papers on the Table of the House from notification (i) and (ii) both in English and in Hindi.

- (i) Notification No. F. 12/2./2004/AR/9178-9341/C dated 08.8.2012 regarding appointment of Mrs. Yasmin Khan as Part-time Member in PGC till she attains the age of 65 years i.e. upto 13.5.2012.
- (ii) Notification No.F.12/2/2004/AR/9343-9506/C dated 08.8.2012 regarding appointment of Sh. Dinesh Gupta as Part-time Member in PGC for a futher period of one year.

अध्यक्ष महोदय: अब श्री रमाकान्त गोस्वामी, चुनाव मंत्री अपने विभाग से सम्बद्ध कागजातों की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

चुनाव मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमित से चुनाव आयोग सें संबंधित निम्निलखित दस्तावेजों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ;

- (1) पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की तालिका में संशोधन करने के संबंध में जारी अधिसूचना सं. 6 (NCTD सं. 80) सीईओ/ईएलजी/102(8)201214930 दिनांक 2/7/2012
- (2) राष्ट्रीपित विर्वाचन, 2012 के लिए रिटर्निंग ऑफीसर, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर की नियुक्ति के संम्बंध में जारी अधिसूचना सं. 6 (एनसीटीडी सं. 61) सीईओ/ ईएलजी 102/3/20/12/13765 दिनांक 14/6/2012.
- (3) राष्ट्रीपित निर्वचन, 2012 के लिए चुनाव कार्यक्रम, तिथि एवं स्थान के संम्बंध में जारी अधिसूचना सं. 8 (एनसीटीडी 3 राष्ट्रपित निर्वाचन, 2012/13887 दिनांक 16/6/2012.

- (4) उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2012 के लिए रिटर्निंग ऑफीसर, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर की नियुक्ति के सम्बंध में जारी अधिसूचना सं. 9 (एनसीटीडी सं. 86), सीईओ/ ईएलजी/102/2012/15124 दिनांक 5/7/2012
- (5) उपराष्ट्रपति निर्वाचन, 2012 के लिए चुनाव कार्यक्रम, तिथि एवं स्थान के संबंध में जारी अधिसूचना स.10 (एनसीटीडी स. 88) सीईओ/ईएलजी/102/16)/2012/15210 दिनांक 6/7/2012
- (6) राष्ट्रपति निर्वाचन 2012 के लिए मतगणना के संबंध में जारी अधिसूचना सं. 11 (एनसीटीडी सं.91) सीईओ/ईएलजी/102(3)/2012/15387 दिनांक 10/722012

अध्यक्ष महोदय: मैडम, एक दस्तावेज प्रस्तुत होने से रह गया है वह मैं बोल रहा हूँ माननीया श्रीमित शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री अपने विभाग से कागजातो की प्रति सदन पटन पर प्रस्तुत करेंगी।

मुख्यमंत्री: Hon'ble Speaker, Sir, I beg to lay the following papers on the Table of the House both in English and in Hindi.

- (1) Notification No.F.3(3)/Fin(Rev-1) 23012-13/DSIII/452 dated 16.6.2012 regarding Central Sales Tax Delhi (Amendment) Rules, 2012
- (2) Notification No. F10(4)/Fin(Rev-1) 2012/DSIII/453 dated 16.6.2012 regarding Delhi Excise (Third Amendment) Rules, 2012.
- (3) Notification No.F.3(6)/Fin(Rev-1)2012-13/SSF/92 dated 16.6.2012 regarding commencement of date in r/o Delhi Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2012 & Notification No.F.14(6)/LA-2012/Cons2law/61 dated 15.6.2012 regarding Delhi Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2012.

- (4) Notification No.F.14(4)/LA-2012/Cons2law/71 dated 15.6.2012 regarding Delhi Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2012 & Notification No.F.(7)/Fin (Rev-1) 2012-13/SSF/93 dated 16.6.2012 regarding commencement of date in r/o Delhi Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2012
- (5) Notification No.F.3(4)/Fin(Rev-1)20120-13/DSIII/461-462 dated 21.6.2012 regarding amendments in the schedules append to the Delhi Value Added Tax, 2004
- (6) Notification No.F.10(9)/Fin(Rev-1)2012-13DSIII/490 dated 2.7.2012 regarding appointment of office for implementation of Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services Act, 2011 in r/o Excise deptt.
- (7) Notification No.F.10(1)/Fin(Rev-1) 2012-13DSIII/498 dated 04.7.2012 regarding Delhi Excise (Fourth Amendment) Rules, 2012
- (8) Notification No.F.10(5)/Fin(Rev-1) 2012-13/DSIII/499 dated 04.7.2012 regarding Delhi Excise (Fifth Amendment Rules, 2012)
- (9) Notification No.F12(4)/Fin(Rev-1) 2012-13/DSIII/531 dated 24.7.2012 regarding event titled 12th Asians Cinefan Film Festival to be held from 27.7.2012 to 05.8.2012 at Siri Fort Cultural Complex and the Kila Seven style mile Opposite Qutab Minar 23012 for exception from the liability to pay Entertainment Tax.
- (10) Notification No.F.12(1)/Fin(Rev-1) 2012-13/DSIII/545 dated 01.8.2012 regarding commencement of Delhi Tax on Luxuries Amendment Act, 2012 from 9th August, 2012
- (11) Notification No.F.12(3) Fin(Rev-1) 2012-13/DSIII/546 dated 01.8.2012 regarding rate of Tax to be levied on the turnover in respect of luxuries
- (12) Notification No.F.12(2)/Fin(Rev-1)2012-13/DSIII/551 dated 03.8.2012 regarding amendment in the Delhi Tax on Luxuries, Rules, 1966.

अध्यक्ष महोदयः अब श्री राजकुमार चौहान, विकास मंत्री, अपने विभाग से संबंधित दस्तावेज सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे:

श्री राजकुमार चौहान, विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमित से निम्नलिखित दस्तावेज सदन में प्रस्तुत करता हूँ:

- (1) कृषि उत्पाद विपणन सिमिति, राष्ट्रीय महत्व की मार्किट, आजाद पुर दिल्ली के संबंध में जारी अधिसूचना सं. एफ8 (36)/2010-एमएम/एमआर/478 दिनांक 16/6/2012
- (2) दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) सामान्य नियम, 2000 के नियम
   11 मे संशोधन करने के संबंध में जारी अधिसूचना सं. एफ8(1)2001
   डीएएम/एमआर/1162 दिनांक 24/4/2012

अध्यक्ष महोदय: अब माननीया मुख्यमंत्री श्री मित शीला दीक्षित प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 5 सितम्बर, 2012 को सदन में पुन:स्थापित दिल्ली मनोरंजन एवं बाजी कर (संशोधन) विधेयक,2012 (2012 का विधेयक संख्या-13) पर विचार किया जाये।

**Chief Minister :**Sir, I, hereby, beg to move that the Delhi Entertainment & Bettting Tax (Amendment) Bill, 2012 (Bill No.13 of 2012) introduced on 5th September, 2012 be taken into consideration.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष मे हैं, चे हाँ रहें जो इसक विरोध में हैं, वच न कहें (सदस्यों के हाँ कहने के बाद) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता) प्रस्ताव पारित हुआ।

अब मुख्यमंत्री बिल के संबंध मे सिक्षप्त वक्तव्य देंगी।

Chief Minister: Sir, under the existing provisions of the Delhi Entertainment & Betting Tax Act, 1996, the amount sponsorship is taxable and is taxed as per prevalent rate of Entertainment Tax i.e. 15% However, few instances have come to notice where people have interpreted the existing provision of the Act in such a manner that tax may be avoided. In once or two cases, they have also filed cases in court against the Department.

The proposed amendment in Clause M of Section 2 of the Delhi Entertainment & Betting Tax Act, 1996 has been proposed to remove possibilities of unwarranted litigating on the one hand and securing the source of taxation *viz*. sponsorship amount on the other. The instant proposal does not intend any fresh imposition of tax but only to clarify the existing provisions of the Act in such a manner that the same cannot interpreted to avoid Entertainment Tax to the disadvantage of the State and the Department.

This amendment is clarificatory in nature only and aims to rule to misinterpretation of the relevant sections of Delhi Entertainment & Betting Tax Act, 1996 and has been proposed in pursuance of legal opinion tendered by Government Counsel to remove difficulty in implementation.

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड-2 जिसमें धारा 2 संशोधन है,

विधेयक का अंग बनें। जो इसके पक्ष मे हैं, वे हाँ रहे। जो इसके विरोध में हें, वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खण्ड-2 जिसमें धारा 2 का संशोधन है.

विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक का अंग बनें।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें। जो इसके विरोध में हें, वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधयेक का अंग बन गए।

### विधेयक पर विचार एवं पारित करना

अब माननीय मुख्यंमत्री जी प्रस्ताव करेंगी कि दिल्ली मनोरंजन एवं बाजी कर संशोधन विधेयक 2012 का विधेयक संख्या-13 को पारित किया जाएं।

**Chief Minister:** Sir, I move that the Entertainment and Betting Tax (Amendment) Bill, 2012 may be passed.

अध्यक्ष महोदय: यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष मे हैं, वे हाँ कहें। जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें। हाँ, पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पास हुआ। विधेयक पारित हुआ।

अब डॉक्टर ए.के. वालिया, स्वास्थ्य मंत्री जी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2012 का विधेयक संख्या-14 को हाऊस में इन्ट्रोडयूस करने की पर्मीशन माँगेंगे।

**Health Minister:** Honourable Speaker Sir, I seek the permission of this August House to introduce the Delhi Technological University (Amendment) Bill, 2012

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें। जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

अब स्वास्थ्य मंत्री जी बिल को हाऊस में इन्ट्रोडयूस करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री: Honourable Speaker Sir, i introduc the Bill in House and also mvoe that the Delhi Technological University (Amendment) Bill, 2012 be taken into consideration.

**Health Minister:** Honourable Speaker Sir, the Delhi, College of Engineering was reconstituted the Delhi Technological University by a

Legislative Assembly of NCT of Delhi vide Act 6 of 2009 and incorporated it as a non-affiliating, teaching and research university. The DTUF gives immense autonomy to the institutions and the role of the Government is minimal. Wherever the Delhi University Act and the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act and Indira Gandhi Delhi Techological University for Women Act have provisions for due representations of elected and nominated numbers in the authorities of the universities and provides numerous safeguards to check against arbitrary powers, the DTU Act is totally silent on these matters and under such circumstances, all the powers have been concentrated at the level of the Vice Chancellor without making him accountable to an extensively represented authorities of the University. The Vice Chancellor has been appointed as chairman of not only the Academic Council but also of the Finance Committee and the Planning Board

There have been demands from the students bodies and the Teachers to make the Governing Body of the DTU more rational and check on the powers of the single individual. Therefore, a need has been felt to make some amendments in the Delhi Technological University Act, 2009 which are in line with the recommendations of the Narayan Murthy Committee and best practice is being followed by the premier institutes and the universities. The proposed amendments are likely to go a long way in accomplishment of the objectives of reconstituted Delhi College of Engineering and help a more democratic, transparent and participative operation of the institution.

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड-2 जिसमे धारा-22 को संशोधन है, विधेक का अंग बनें।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहे। जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ

विधेयक पारित हुआ।

खण्ड-2 जिसमे धारा-22 का संशोधन है,

विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न कि खण्ड-3 जिसमें नई धारा-53 जोड़ने के संबंध में संशोधन है, विधेयक का अंग बनें।

> यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हें, वे हाँ कहें। जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

खण्ड-3 जिसमें नई धारा-53 को जोड़ने के संबंध में संशोधन में संशाधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें। जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-3 जिसमे नई धारा-53 को जोड़ने के संबंध में संशोधन है,

विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड-1, प्रस्ताव एवं शीर्षक विधेयक का अंग बनें।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें। जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक का अंग बन गए।

# विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारित करना

अब स्वास्थ्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक 2012 का विधेयक-14 पारित किया जाए।

**Health Minister:** Honourable Speaker Sir, I move that the Delhi Technological University (Amendment) Bill, 2012 be passed.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव कदनके सामने है,

जो इसके पक्ष मे हैं हाँ कहें, जो इसके विरोध में हैं, न कहें, (सदस्यों के हाँ कहने पर) हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

शिक्षा मंत्री: एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आज सोमेश शौकीन जी का जन्मिदनहैं, उनको पूरे सदन की और बधाई दी जानी चाहिए।

#### अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदय: हमारे स्म्मानित साथी भाई सौमेश शौकीन जी का आज जन्मदिन है, पूरे सदन की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। दिल्ली की अनिधकृत कालोनियों की स्थिति पर चर्चा चल रही थी जिसको आज के लिए हमने आगे बढ़ा दिया था, अब उसी पर माननीय श्री राजकुमार चौहान जी अपना वक्तव्य देंगे।

श्री राजकुमार चौहान लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, ऐसे अहममससले पर बोलने के लिए आपने इजाजत दी। यह वो ऐतिहासिक क्षण है और जो 895 कालोनियों को पास करने का नोटिफिशन आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किया। यह इतिहास में लिखा जायेगा। 1993 से आज तक मुकेश शर्मा जी, हारूण भाई यहां पर बैठे हैं। हम सब मिलकर बार-बार इन अनिधकृत कालोनियों के लिए हमेशा बोलते रहे हैं। लेकिन आज वो क्षण आया। हम लोग जब भी कभी विधान सभा के अंदर इस मसले को उठाते थे तो स्वर्गीय

इंदिरा गांधीजी को हम लोग याद करते थे और यहीं हम लोग कहते थे कि इंदिरा जी के समय के अंदर जो कालोनियांपास की गई उन्हीं टर्म एंड कंडीशन से ये कालोनिया हम लोगो को पास करनी चाहिए और वो क्षण आया, कि आज हमारे नौजवान साथी लवली जी भी अपना जवाब देंगे और वो लिस्ट मेरे ख्याल से टेबल भी करेंगे तो ऐतिहासिक क्षण है और जहां इंदिरा जी का नाम हम लोग याद करते रहें। मैं बड़े दिल के साथ हमारी मुख्यमंत्री जी को और जो हम सब जो उनके केबिनेट में मंत्री है क्योंकि वालिया जी ने भी इसमें बहुत काम किया। मैंने भी इसमें काम किया और नौजवान लवली जी इसके अंदर शहरी विकास मंत्रालय को देखेगे। बाकि बचे हुए काम को वो भी पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी, ये इतिहास पर लिखा गया जहां मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का नाम लिखा गया और उन्हीं के नेतृत्व के अंदर ये पूर मंत्रिमंडल और हमारे सब कांग्रेस के साथी है, ये भी लिखा गया क्योंकि इन लोगों ने भी समय समय के ऊपर इस इश्यु को विधानसभा के अंदर बड़ी मजबूती के साथ रखा। मैं यह कहना चाहुंगा कि 2007 के अंदर जो 1071 कालोनियों की लिस्ट थी उससे आगे जब हमने बात की तो लोगों को जो अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले और गांव की बढी हुई आबादी में रहने वाले लोग उनको हमने कहा सरकार की ओर से कि आप अपने नक्शे सहित आवेदन दें उन लोगों ने जहां अनिधकृत कालोनियों को वहीं गांव की बढी आबादियों को सभी वहां के रहने वाले लोगों ने फार्म एप्लीकेशन और वहां के नक्शे सरकार के मुहैया कराये। मैं बडे गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि 1639 लोगों ने इन आरडब्ल्यूए ने ये एप्लीकेशन सरकार को दी दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालय में, उन्होंने उपने ये पेपर सबमिट कराये। इन कालोनियों में बहुत से ऐसे लोग भी हैं वैसे यह एक आम बोल दिया जाता है कि ये 1639 कालोनियां हैं पर इतनी नहीं हैं क्योंकि इसमें सौ डेढ सौ आडब्ल्यूए ऐसी भी थी जो कम से कम दो या तीन लोगों ने पेपर जमा कराये थे और अब वो तय भी हो चुका कि वो कालोनियां कब होंगी। 1639 से यह लगभग 1500 या सवा 1500 करी होंगी। जिसमें अभी 895 कालोनियों का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मे

नोटिफिकेशन हुआ। यह बडे गर्व के साथ कहूंगा कि हमारी यूपीए की चैयरपर्सन आदरणीय सोनियां गांधी जी के करकमलों के द्वारा मुख्य मंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने 1218 आडब्ल्यूएज को प्रोविजन सर्टिफिकेट दिये, ये वो दस्तावेज था। कहने को या बीजेपी के लोग समय समय पर इन अनिधकृत कालोनियों के लोगों को मिसगाइड करते रहे लेकिन यह वो समय था यह वो दस्तावेज था। आज से पहले इन कालोनियों में 567 कालोनियों को इंदिरा जी ने पास किया, या 1218 प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के कर कमलों द्वारा हम लोगों ने दिया, तब उन कालोनियों के निवासियों ने ये कहा, ये महसूस किया कि आज हम लोगों को वो दतावेज मिला,जो उनकी कालोनियों को पास करने की दिशा में एक कदम था। ये कि विकास हमने शुरू कराया। मुझे अच्छे ये याद है कि 2800 करोड़ की लागत से मैडम ने एक बजट पास किया और वो बजट हम लोगों को दिया गया कि इन अनिधकृत के अंदर तेजी से काम होना चाहिए। आज तो तीन हजार करोड़ से ऊपर हम लोग काम कर चुके हैं। लेकिन 2008 के समय लगभग एक हजार करोड़ की लागत से हम लोगों ने इन गलियों के अंदर स्ट्रीट लाईट लगवाई, वहां की गलियां आएएमसी की बनवाई, वहां पानी की लाईन डलवाई। वहां पर सीवर लाईनो की शुरूआत की। मैं उन अधिकारियों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा कि जिन लोगों ने, इन गरीब लोगों की, इन कालोनियों के अंदर दिल से काम किया और बहुत गंभीरता से किया। उसके बाद चुनाव हुए और मैं ये भी मैड्म को याद दिलाना चाहूंगा कि जब ये शुरूआत की गई, उससे पहले मुख्यंत्री जी को याद होगा, कि हमने 3-4 पब्लिक मीटिंगस की थी। ग्रुप आफ मिनिस्टर से पहले राजीव में हम लोगों ने पब्लिक मीटिंग की। यहां के लोगों ने जब देखा कि मुख्य मंत्री जी हमारे बीच के अंदर आई है तो उन लोगों ने हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपने सर आंखों पर बिठाया और वहीं पर मैड्म मे प्रण लिया था कि मुझे आज अच्छे से याद है कि इन कालोनियों के अंदरये जो मुद्दा समय-समय के ऊपर विरोधी पक्ष के लोग या पोलिटिशियन इनका फायदा उठाते रहे हैं।

कहीं पर धरना होता है, चलो तुम्हारी कालोनियां पास कर रहे है। कही पर कोई मसला होता है, इन अनिधकृत कालोनियों के लोगों को इस्तेमाल किया जाता था। मुकेश जी अच्छी तरह से जानते हैं, 1993 सेये भी इस ओर बड़ी तेजी से काम करते रहे लेकिन अध्यक्ष जी ये भी पक्की बात है कि इन लोगों का इस्तेमाल किया गया लेकिन आज मुख्य मंत्री जी ने जो 895 कालोनियों का नोटिफिकेशन किया, वो विश्वास, वो मजबूती उन लोगों के अंदर दी कि आज उन लोगों के दिल के अंदर यह भावना है कि वो किस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इन लोगों के बीच में जाएगी तब क्योंकि आपने 895 कालोनियों का नोटिफिकेशन को पास किया। मुझे ज्यादा तो नहीं कहना चाहिए जब मुख्य मंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का एक ग्रुप बनाया और हमें दिशा निर्देश दिये. जिसमें मैं लवली जी और रमाकांत जी को सदस्य बनाया तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो भी अनिधकृत कालोनियों के लिए काम है, आप मुझे सलाह दें। जो भी होंगे वो मैं करूँगी। यह लवली जी भी जातने हैं। हमने उसमें एक तो रिकमंडेशन की थी, आज क्योंकि कालोनियां पास हो गयीं, अभी रिज और फारेस्ट भी बलराम तंवर जी कह रहे थे, वो आज विधान सभा में बोले हैं, अध्यक्ष जी। लेकिन मुख्यमंत्री ने कमलनाथ जी को पहले ही खत लिख दिया कि इस रिज में और इस फारेस्ट और इस एएसआई में, यह बिल्कुल सही बात है कि 1996 में बीजेपी के लोगों ने इस रिज को और फारेस्ट को रूकवाया था यह नोटिफिकेशन है, उसके सामने यह हैं। किस तरह से उसके अंदर फोरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं. किस तरह से उसको फोरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। किस तरह से 20-20, 2-5 साल से वो बसी हुई हैं और 1996 में बीजेपी के लोगों ने उन कालोनियों को फोरेस्ट और रिज डिक्लेयर कराया। वहां पर कोई पेड़ ये लोग दिखा दें आज आप अगर एनडीएमस मे जाएंगे तो आज भी रिज में अंबैसी की बिल्डिंग बन रही है। जब वहां पर रिज में अम्बैसी की बिल्डिंग बन सकती है। आप बसंत कुंज में जाएं, बसंत विहार की तरफ जहां मॉल बने हैं आज भी सरकार के ऑफिस बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है।

जब यह बिल्डिंग बन सकती हैं आज भी गरीब व्यक्ति जो रिज में रहता है या फोरेस्ट डिक्लेयर 1996 में दिया, उससे पहले जो कोलोनियों बसी उनको किस तरह इन कालोनियों में जोड दिया गया किस बिहॉफ पर कमलनाथ जी को पत्र लिखा किइन कालोनियों को भी हमें पास करना चाहिए, इन कालोनियों में भी हमें विकास कार्य करना चाहिए। कल मुकेश जी ने भी संकल्प रखा और विधान सभा के सभी सदस्यों का भी यह विचार है कि इनको हमें पास करना चाहिए, इनमें भी विकास के कार्य होने चाहिए। बहुत ही उलझा हुआ मसला था। जब एम्बेसी की बिल्डिंग बन सकती है उस रिज के ऊपर, अध्यक्ष जी, आप जाये वसंत विहार की तरफ जहाँ मॉल बने हुये हैं आज भी गवर्नमेंट का ऑफिस वहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग जहाँ मॉल बने हैं वहाँ वो बिल्डिंग सरकारी बन रही है। जब रिज के अंदर ये सब चीजें बन सकती हैं तो वो जो गरीब व्यक्ति रिज के अंदर रहता है या फोरेस्ट डिक्लेयर 1996 के अंदर किया, 1996 से पहले जो कालोनियाँ बसी हुई हैं उनको किस तरह से 1996 से पहले की उन कालोनियों को उसके अंदर जोड़ दिया गया। इसी बिहाफ पर मुख्यमंत्री जी ने कमलनाथ जी को खत लिखा कि इन कालोनियों को भी हमें पास करना चाहिये, इन कालोनियों में भी हम लोगों को विकास कार्य करने चाहिये। कल मुकेश ने भी संकल्प रखा और विधान सभा के सभी सदस्यों का यह एक विखर है कि इन कालोनियों को भी हम लोगों को पास करना चाहिये या इन रिज की कालोनियों के अंदर भी विकास कार्य करने चाहिये। अध्यक्ष जी, ये अनअथोराइज कालोनियों का मसला एक बहुत उलझा हुआ मसला था, इसके अंदर अगर हम एक-एक रूल, रेग्युलेशन से इन कालोनियों को पास करेंगे तो माफ करना कभी भी इन कालोनियों के अंदर विकास कार्य नहीं हो सकते और कभी भी ये कालोनियाँ पास नहीं हो सकती थीं। अध्यक्ष जी, इसके अंदर जिस तरह आप औरहम राजनीति में कोनियां मार-मार कर आगे बढ़ते हैं उसी तरह हर उस असुविधा को हम लोगों को, बाधाओं को तोड़ कर इन कालोनियों को पास करना चाहिये। जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कालोनियों को पास किया अध्यक्ष जी, मैं रिज और

फोरेस्ट की कालोनियों में जो कि मुख्यमंत्री जी बड़ी गम्भीरता के साथ इसको देख रही हैं मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इन कालोनियो के अंदर भी हम कालोनियाँ पास करेंगे और यहाँ विकास कार्य करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं एक बात बड़े अदब से कहना चाहुँगा कि 2007 का एक अमेंडमेंट हुआ, 2007 के अंदर जो 50 परसेंट बिल्ट अप एरिया है अध्यक्ष जी, अगर आप 2007 के बिल्ट आप एरिया को देखते हैं 2012 हम झुग्गी वालों की डेट बढ़ा सकते हैं जो अपनी जमीन के ऊपर बैठा है। उसकी डेट भी हम लोगों को बढानी चाहिये क्योंकि आज जहाँ 50 परसेंट से कम बिल्ट अप एरिया था 2007 में वो आज 80-90 या 100 परसेंट वहाँ पर बिल्ट अप एरिया हो चुका है अध्यक्ष जी मैं जानता हूँ मुख्यमंत्री जी ने जो प्रण लिया है इन कोलोनियों को भी बढ़ाकर अमेंडमेंट कराकर इन कालोनियों को भी पास किया जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं बड़े अदब से और दिल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह भी रिक्वेस्ट करना चाह्ँगा कि कोई एक्ट यह नहीं कहता कि किसी भी पब्लिक की प्राइवेट प्रोपर्टी को सेल-परचेज से रोक दे। अध्यक्ष जी, लेकिन अनअथोराइज कालोनी, इन कालोनियों के आगे लिखा हुआ था, इस वजह से उनकी सेल-परचेज नहीं खोली जाती थी लेकिन आज कम से कम 895 कालोनियों के अंदर हम लोगों को इनकी सेल-परचेज खोलनी चाहिये क्योंकि सरकार ने बाकायदा वो जो अनअथोराइज लिखा हुआ था वो हटाकर अब वो रेग्युलराइज कालोनीज करदी है इसलिए इनकी सेल-परचेज भी हम लोगों को खोलनी चाहिये। अध्यक्ष जी, मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में शीला जी के नेतृत्व में हमारे होनहार साथी लवली जी इस दिशा में मजबूती के साथ कदम रखेंगें, मुझे यह पूरा विश्वास है। अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी को और हमारे सभी साथियों को इस दिल से मुबारकबाददेना चाहता हूँ कि यह एक ऐतिहासिक फैसला जो लिया गया है यह आज ऐतिहासिक क्षण है अध्यक्ष जी, मैं दिल की गहराइयों से मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार को अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक छोटा सा शेर मैं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि हारून भाई ने पढ़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री जीने जो करा अध्यक्ष जी, उस ओर मैं कहना चाहता हूँ जो इनकी दिल की भावनाएँ कहती हैं कि किसी का एक मकान भी नहीं हम लोग तोडेंगें। मैं अध्यक्ष जी-

# एक जहाँ ऐसा भी आबाद होना चाहिये, अपना घर हो सब का, बेमकान कोई न हो।

इस ओर मजबूती से मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रही हैं, धन्यवाद, जयहिंन्द, जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमेश शौकीन।

श्री शौमेश शौकीन : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आदरणीय शीला दीक्षित जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो ऐतिहासिक फैसला उन्होंने आज अनअथोराइज कालोनीज के मामले में लिया, आदरणीय कमलनाथ जी का, आदरणीय हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके दिशा–िनर्देश पर कमलनाथ जी ने और आदरणीय शीला दीक्षित जी ने काम किया और तीस लोग जो अनअथोराइज कालोनीज मे रह रहे हैं जो आशा भरी निगाहों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर देखते थे और जो 2008 मे हमारा मेन्डेट था चुनाव का कि हम अनअथोराइज कालोनीज को अथोराइज करेंगे। उन दिल्ली के निवासियों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल खरी उतरी है। दिल्ली की अनअथोराइज कालोनीज के लोगों ने जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार विधान सभा में भेजा क्योंकि उनहोनें हमेशा दिल्ली के लोगों की सेवा की है। अनअथोराइज कालोनीज के लोगों का यह ऐतिहासिक फैसला करने के बाद मैं पूर्ण विश्वास से यह कह सकता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी, कि आदरणीय शीला दीक्षित जी को चौथी बार हाउस में लाने के लिए दिल्ली के लोग अनअथोराइज कालोनीज के लोग तैयार बैठे हैं और जो एक ऐतिहासिक फैसला 895 का नोटिफिकेशन जो हमारे मंत्रियों ने, आदरणीय शीला दीक्षित जी ने जो किया है दिल्ली

उसको स्वीकारती है और 1639 कालोनियों केलिए जो वचनबद्ध हमारी सरकार है आदरणीय मुकेश जीने जो 1639 कालोनियों की बात शुरू से करते रहे हैं, हमारे मंत्री राजकुमार चौहान जी, वालिया साहब ने जिन्होंने बहुत अनअथोराइज कालोनीज के लिए काम किया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस दिल भूल नहीं उनको प्रेस में भी उन्होंने उनका धन्यवाद किया कि वालिया जीने बहुत इन कालोनियों पर काम किया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा उन बातोंमे जोड़ने के लिए कि हमने एक नये रास्ते, एक नया जहान इन अनअथोराज कालोनीज में रहने वाले लोगों के लिए खोला हैं उन युवाओ के लिए खोला है जिनके पिता ने यहाँ पर प्लॉट लिये थे क्योंकि जब इनकी रजिस्ट्रियाँ होंगी आदरणीय अध्यक्ष जी, इनको लोन मिलेंगे, हायर एजुकेशन के लिए वह वो बच्चे पढ़ सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इस दूरगामी सोच का धन्यवाद करता हूँ और यह कहना चाहुँगा अध्यक्ष जी, जो बाकी हुई कालोनियाँ है आप उनको पास तो करेंगे ही करेंगे आपने वचन लिया है और आप हमेशा खरे उतरे हैं उस पर। मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि जब तब उनको पास करने की प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है तो मैं चाहुँगा कि इनमें तत्काल प्रभाव से डेवलपमेंट का कार्य अगर शुरू हो सके। आदरणीय मंत्री जी हमारे नौजवान साथी हैं, नौजवान विधायक हैं और उन्होंने जो-जो डिपार्टमेंट उनके पास रहे हैं उनमें हमेशा सुधार लाया है तो इसमे भी मैं समझता हूँ कि इस बारों जैसे पिछली बार 2008 मे लोग कहते हैं कि राजकुमार चौहान जी ने अनअथोराइज कालोनिज में काम कराया था तो हम तीसरी बार रिपीट हुए थे तो इस बार लवली जी की बारी है और लवली ही काम करायें और हम चौथी बार जीत कर आये और फिर से आदरणीय शीला दीक्षित जी हमारी चीफ मिनिस्टर बने, दिल्ली के लोग उसके लिए तैयार बैठे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनमें प्रभाव से काम शुरू करा दिये जाये, ऐसी मेरी सब्मिशन है। आपने बोलने का मौका दिया, में आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद, जयहिंद।

अध्यक्ष महोदय: श्री जयिकशन जी, ज्यादा समय ना ले, जल्दी प्रस्ताव पास करना है, उससे पहले लवली जी भी चर्चा जवाब देंगे।

श्री जयिकशन: अध्यक्ष जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मेरे से पहले बहुत सीनियर सदस्य बोल चुके हैं, सरकार कोई झूठी बाते नहीं है यह तो कड्वा सच है कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार व कांग्रेस पार्टी दिल्लीवासियों के लिए बधाई की पात्र हैं। दिल्ली के लोगों के लिए जहां आज अनाथराइज कालोनी पर हमारे साथियों ने चर्चा की, अध्यक्ष जी, लाखों लोगों को इसका फायदा हुआ। जिन लोगों को रात को नींद भी नहीं आती थी, बहुत सारे लोगों को कारपोरेशन की दिल्ली नगर निगम के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके कुमाऊ पूत वे वहां सारा दिन घूमते थे और कारपोरेशन की तरफ से रोजाना बिल्डोजर की और नोटिस की धमिकयां देते थें। दिल्ली के लोगों पर जो तलवार लटकी हुई थी वह दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्री मती शीला दीक्षित जी ने सोनिया गांधी जी के व डा. मनमोहन सिंह जी दिशा निर्देश पर कमलनाथ जी के प्रयास से और दिल्ली सरकार के हमारे जो अन्य मंत्री डा. वालिया जी व लवली जी और दूसरे जो साथी है। उनके प्रयास से कांग्रेस ने यह सफलता प्राप्त की। यह कांग्रेस का एक ऐतिहासिक कदम है, कांग्रेस ने अनओथराइज कालोनियों के लिए जहां काम किया है वहां अध्यक्ष महोदय कांग्रेस की सरकार ने पुर्नवास कालोनियों को भी बसाया था। दिल्ली कांग्रेस सरकार की एक योजना दिल्ली की मुख्यमंत्री की एक और बहुत अच्छी सोच हमारे सामने आने जा रही है जो दिल्ली की झूग्गी झोंपडी को उजाडा नहीं जाएगा, वहीं पर जहां वे रहते हैं क्योंकि उनका कार्य भी वहीं पर है, रोजगार वहीं पर है इसलिए वहीं पर पांच मंजिला फ्लैट बना करके दिल्ली सरकार देने जा रही है ये बीजेपी के कान खोलने के लिए कांग्रेस की योजनाएं है। अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी की मुख्यमंत्री दिल्ली की पुनर्वास बस्तियां को

मालिकाना आधिकार भी देने जा रही है। जिस समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 1996 में उस समय मैं भी दिल्ली विधान सभा का सदस्य था, बीजेपी कीसरकार ने दलितों को तो तंग किया ही किया अनाथराइज कालोनियों के खिलाफ एस. डी.शोरी से स्टे कराया। अध्यक्ष जी, जगमोहन जी जिनका जिक्र कल मुकेश जी ने भी किया था आज से 8 दिन पहले जनपथ पर आजतक में चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो तुर्रम-खां बनते हैं वे लोग जनपथ जो भाजपा की सरकार की तरफ से मैं भी गया था, मैंने उस समय भी कहा कि जगमोहन चलवाए और उसमे बीजेपी के लोगों की सह थीं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डारेक्शन दी है मैं उसको उसको समझता हूँ इसलिए मैं बहुत कम समय ले करके अपनी बात कह रहा हूँ लेकिन मेरी निवेदन यह है कि जो 20-25 साल पहले बहुत गरीब थे अनाथराइज कालोनी के कई लाख लोग जो रोजी-रोटी के लिए मोहताज थे जिनके घरों मे रोटियां नहीं बनती थीं बहुत सारे मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती थी, ये अनाथराइज कालोनियां पास होने से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, लाखों लोगों की गरीबी दूर हुई है, बहुत सारे किसानों को फायदा हुआ है, बहुत सारे व्यपारियों को फायदा हुआ है अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करता हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री की प्रशंसा करता हूँ, सोनिया गांधी जी की प्रशंसा करता हूँ, डा.मनमोहन सिंह जी की और दिल्ली सरकार की कैबिनेट की प्रशंसा करता हूँ और इन्हें बधाई देता हूँ, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः अब शहरी विकास मंत्री श्री अरविन्दर सिंह लवली जी चर्चा का उत्तर देंगे।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, कल से दिल्ली की अनाथराइज कालोनीज पर लगातार चर्चा हो रही है और बहुत सारे मैम्बर्स का दिल्ली के लोगों का कर्न्सन रहा है।

क्योंकि 40 लाख लोगों के भविष्य का फैसला, उनके रहने वाल आसियाने का फैसला जो कांग्रेस के घोषणा पत्र का एक हिस्सा भी था और मैं समझता हूँ कि यह कांग्रेस की परम्परा का भी हिस्सा रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब आदमी के हित में और हक में फैसले किए हैं। चाहे वह इन्दिरा गांधी जी का समय रहा हो जो हमारे देश की महानतम प्रधानमंत्री रही है जिनका जिक्र हमारे बहुत सारे सदस्यों ने किया, जिन्होंने कालोनियों को आथराइज करने की शुरूआत की। उनके बाद राजीव गांधी जीने अनाथराइज कालोनियों में बिजली की और पानी की सुविधा मुहैया कराई। उसी परम्परा का निर्वाह करते हुए हमारी कांग्रेस का अध्यक्षा श्रीमित सोनिया गांधी जी ने जिनके आदेश पर, जिनकी रहनुमाई में, जिनके हाथों से प्रोविजनल सर्टीफिकेट्स इन अनाथराइज कालोनीज को मिले थे, उसी परम्परा को जारी रखते हुए आज दिल्ली की सरकार ने और हमारी मुख्यमंत्री श्री मित शीला दीक्षित जी ने जिस तरीके कापेन लेकर डा. ए.के.वालिया जी मंत्री रहे उनसे पहले राजकुमार चौहान जी मंत्री रह जिस तरीके से हमारी सरकार ने इन अनाथराइज कालोनीज को रैगुलराइज करने के लिए स्टैंड लिया है, मैं समझता हूँ कि हमने अपनी पार्टी उसी संस्कृति को पार्टी की उसी लाइन को, कांग्रेस की सरकारों की जो आजादी के बाद से रही है कि गरीब आदिमयों के हित में फैसले करने का. आज हमने लगभग 900 कालोनियों को रैगूलराइज किया है। मैं समझता हूँ कि यह पाला कदम उस तरफ है और अध्यक्ष जी, मैं यह बात ऑन रिकार्ड कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी बंड़ी संख्या में यह हालंकि पहला कदम है आखिरी कदम नहीं है अभी बहुत सारी कदम हमने बाकी कालोनियों के लिए भी उठाने हैं। लेकिन इन 900 कालोनियों का जो कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है जिन्हें हम रैगुलराइज कर रहे है जिसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है इस ऐतिहासिक क्षण में कि आज हम नोटिफिकेशन को और लगभग उन 900 कालोनीज की लिस्ट को हम हाउस मे टेबल करने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोगों के लए जो ऐतिहासिक क्षण है इसमे हमारी मुख्यमंत्री का नाम स्वर्णक्षरों में लिखा जाएगा,

क्योंकि मैं यह ऑन रिकार्ड कहना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व की वजह से, उनकी ताकत की वजह से आज यह संभव हो पाया है कि हम इस दिशा में अपना पहला कदम आगे बढ़ा सके हैं। अध्यक्ष जी, आज हमारे विपक्ष के साथी यहां होते तो मुझे बहुत ख़ुशी होती, कल भी उन्होंने जो ड्रामेबाजी की वह इसलिए की वे अनौथराइज कालोनी की डिस्कशन से बचना चाहते थे कि अनौथराइज कालोनी रैगुलराइज नहीं होंगी, यह नहीं होगा, वह नहीं होगा।कलउनके एक सदस्य यह भी कह रहे थे कि नोटिफिकेशन तो आएगा ही नहीं हमारे मीडिया के साथी भी इस बात को भली-भांति जानते हैं। अध्यक्ष जी, हम कालोनियों को आथराइज करने की बात कर रहे हैं ओरमें यह ऑन रिकार्ड बोल रहा हूँ कि अगर आप पहले दिन का प्रश्न काल देखेगें तो इनके एक मैम्बर ने प्रश्न 6 पर यह लगा रखा है कि क्या दिल्ली अनाथराइज कालोनी रैगुलराइज हो सकती हैं, क्या अनोथराइज कालोनीज के लिए स्टे नहीं है, इनको आज भी इस बात की चिंता नहीं है कि इन गरीब लोगों को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन्हें इस बात की चिंता है कि किसी न सिकी तरीके से इन अनोथराईज कालोनीज को रैगुलराइज करने का काम रूके ताकि उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को न मिल सके। ये हर चीज मे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि गरीब आदमी को राहत मिले. गरीब आदमियो के ऊपर जो तलवार 24 घण्टे लटकी हुई रहती थी उससे उनको छुटकारा मिले। अध्यक्ष जी, अब इनको पता लगेगा कि दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि वह पहले चरण में 89 कालोनियों को रैगुलराइज कर रहे हैं तो इनके नेता विपक्ष अखबारों में बयान देते हैं कि बाकी कालोनीज का क्यों नहीं हुआ। हमनें यह कभी नहीं कहा है कि यह हमारा आखिरी स्टैप है, हमने कहा है कियह हमारी पहल है, यह शुरूआत भर है और हम यह सुनिश्चित करेंगे अध्यक्ष जी, मैं यह बात ऑन रिकार्ड कहना चहता हूँ हमारी सरकार की यह सोच है हमारी केबिनेट कीयह सोच है हम दिल्ली में जो सरकार चला रहे हैं, हर हर उस गरीब आदमी के साथ हैं जिसने अपना पेट काट करअपने बच्चों का पेट काट कर अपना

आसियाना अनाया है। हम पारदर्शिता के साथ दिल्ली की कालोनियों को रैगुलराइज करना चाहते हैं और मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का अर्बन डवलपमेंट डिपार्टमेंट दिल्ली की सरकार का वह पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगा और हर उस गरीब आदमी को जिसने अपने जीवन का सब कुछ लगा दिया अपनी छत बचाने के लिए उनही लड़ाई लड़ने के लिए जो भी कदमउठाने पड़ेंगे वह हम उठायेंगे, लेकिन निश्चित रूप से इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि उन अनोथराइ कालोनिज को रैगुलराइज करने में किसी माफिया को मदद न मिले, इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे कि पूरी तरीके से पारदर्शिता अर्बन डावलेपमेंट डिपाटमेंट अपनाए। इसलिए अध्यक्ष जी, जो हमने नोटिफिकेशन की है उसमे हमने इस बात का भी जिक्र किया है क्योंकि इतने बड़े काम मे गलतियां हो जाती हैं, खामियां हो जाती हैं, हमने उसमे इस बात का प्रोविजन रखा है कि हमसे अगर कोई गलती हो जाए अगर कोई गलत नोटिफिकेशन हो जाए तो कोई भी मैम्बर जैसे नसीब सिंह जी ने कहा कि एक कालोनी में किसी का मकान छूट गया या किसी के साथ कोई नाइन्साफी हो गई है या बाउड़ी की कोई कमी रह गई है। मास्टर बिजेन्द्र सिंह जीने बताया कि एक ही कालोनी के दो नाम हो गये। हमने इस बात का इंतजार कर दिया है जो अनोथराइज कालोनीज का बोर्ड है जिसकी अध्यक्षता हमारी मुख्यमंत्री श्रीमित शीला दीक्षित जी हैं उस बोर्ड के पास इस तरीके की तमाम शिकायतों को कर सकते हो जिसका निवारण हम लोग सुनिश्चित करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं विशेष करके हमारी केन्द्र सरकार में जो शहरी विकास मंत्री हैं श्री कमलनाथ जी ऑन रिकार्ड उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका बहुत बड़ा सहयोगी बाकी सब चीजों को दूर करने के लिए मिला। बहुत सारे लोग बहुत से सवाल करते रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं इन कालोनियों के नोटिफिकेशन को टेबल करना चाहता हूँ ताकि दिल्ली की पब्लिक के लिए यह रिकार्ड उपलब्ध रहे और मुझे खुशी है कि इस टेबल के साथ ही दिल्ली की ये 895 कालोनी आथराइज के दर्ज के अन्तर्गत आ गई हैं। अध्यक्ष जी, बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी, बहुत सारे हमारे विपक्ष के साथी लगातार यह भ्रांति

फैला रहे हैं कि यह कैसे होगा, कैसे आगे प्रोसैस होगा, क्या होगा। अध्यक्ष जी, पूरा एक रोडमैप का खाका दिल्ली की सरकार ने और दिल्ली के अर्बन डवलपमेंट डिपाटमेंट मे खींच लिया है। केन्द्र सरकार की आलरेडी जो गाइडलाइन्स हैं उनमें पूरी तरीके से डिटैल में प्रोविजन आलरेडी डीडीए ने टैंटेटिव आर जोन उन इलाको को घोषित कर दिया जिन इलाकों मे ये कालोनियां हैं तो पहला स्टैप उसके लिए आलरेडी लिया जा चुका है। इन तमाम कालोनियों के लिए नक्शे डीडीए को भेजेंगे। ताकि वह आर जोन जो है, उसका लैण्ड यूज चेंज कर दे। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, इसके बाद हम एमसीडी को इन कालोनीज का लेआउट प्लान साइमलटेनियसली हम भिजवा देंगे। लेआउट प्लान के बारे में माननीय उपराज्यपाल महोदय मे पहले ही फाइल पर लिखा है कि पूजीपद a specific period एमसीडी की जिम्मेदारी होगी कि वह ले आउट प्लान को दुबारा से जमा करवाये और उसके लिए उनको अगर प्रोफेशनल टाउन प्लानर्स रखने पड़े, तो वह रखने के लिए भी एमसीडी को पहले ही निर्देश दिया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम और हमारी सरकार की ये सोच है कि हम इन अनाथराइज्ड कालोनीज में रहने वाले लोगों क लिए हम कोई ऐसा प्रावधान नहीं करना चाहिए जिससे कि इनको किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़े कोई तकलीफ सहनी पड़े। हमें बहुत ख़ुशी होगी अगर एमसीडी समय पर ले आउट प्लान सबिमट करा देलेकिन हमारी सरकार की ये सोच बनी है क्योंकि पहले भी ये होता रहा है। हाई कोर्ट के ऑर्डर इस बात पर रिकार्ड पर हैं और एमसीडी पहले भी ये आदेश करती रही है। जो गांव में हमारे लाल डोरा के क्षेत्र के अंदर जो मकान आते है, उनका किसी का ले आउट प्लान अभी बना नहीं है। यहां तक कि जो 557 कालोनीज पहले जो रेगुलराइज हुई उनमें से एक भी कालोनी का ले-आउट प्लान एमसीडी ने आज तक नहीं बनाया है क्योंकि डीडीए ने वे ले-आउट प्लान बनाये थे और आज भी उन क्षेत्रों मे कुछ कमी है कि जो जगह यह लोगोंके मकान ग्राम सभी की वेस्टेड लैण्ड पर थे, या सरकारी भूमि पर थे। आज भी उन बेचारों की रजिस्ट्री होने में दिक्कत होती है क्योंकि ये नोटिफाइड नहीं

हो पाये। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हम एक कैबिनेट नोट बना रहे हैं जिसमे न केवल हम अब की कालोनीज को डिनोटिफाई का बल्कि जो पुरानी 557 कालोनीज हुई थी, उनको भी डिनोटिफाई करने का डिसीजन लें ताकि उन लोगों को भी रजिस्ट्री में जो कठिनाई हो रही है, उसको भी दूर किया जाये। तो अध्यक्ष महोदय, जहां हम एमसीडी को लिख रहे हैं कि ले-आउट प्लान हो, वहीं जैसे जिस तरह से प्रावधान है लाल डोरा के अंदर, लाल डोरा के अंदर एक कोर्ट का भी आदेश है और एमसीडी का भी ऑर्डर है और उपराज्यपाल महोदय ने भी इसमे ओदश किया है और इसबरे मे हमरी चर्चा केन्द्र सरकार और उपराज्यपाल महोदय के साथ भी इस मसले पर हुई। अध्यक्ष महोदय, उसमें यह प्रावधान होता है कि यदि ओनरिशप डिस्प्यूटेड नहीं है और कोई भी व्यक्ति उस सर्किल के अंदर रहता है। तो अगर वह एमसीडी बाईलॉज के हिसाब से अपना नक्शा बनायेगा तो उसको एमसीडी को पास करना पड़ेगा, हम सिमिलर प्रावधान अनाथराइज्ड कालोनीज के लिए भी चाहते हैं और इसके लिए हम केन्द्र सरकार को लिखेंगे कि जब तक एमसीडी ले-आऊर प्लान पास नहीं करती तब तक इनके नक्शे इसी तरीके से पास हो ताकि इसको किसी भी तरह की ह्वासमैन्ट न हो। और अगर अब ये दुबारा नक्शे के अनुसार मकान बनायें, कानून का पालन करें तो इसको किसी पुलिस, किसी अधिकारी से डरने की या किसी को रिक्ष्वत देने की जरुरत न पड़े और अपना मकान उसी तरह से बेखौफ तरीके से बनाये, जैसे किसी भी रेगुलराइज कालोनी के लोग बनाते हैं। इस दिशा में अध्यक्ष महोदय, हम लोग काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसको रेगुलराइज करेन के साथ ही जो प्राईवेट लैण्ड पर कॉलोनीज हैं, जनका हम within a specific time सेल परचेज खोल देंगे प्राइवेट लैंण्ड के लिए ताकि वहाँ पर रजिस्ट्री हो, वहाँ पर इनकी सेल परचेज का काम शुरु हो और जो सरकारी जमीन पर बनी कालोनीज हैं, उनमें हम विदिन अ वीक पूरा पैरामीटर कि किस तरीके से उनको अपने डेवलपमैन्ट चार्जेज जमा कराने हैं, तािक उनके ऊपर भी सेल परचेज का काम शुरु हो सके और जो भी उनके लीगल राइटस हैं, वह उनको मिल सकें। अध्यक्ष महोदय, लेिकन एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस फैसले के बाद जहाँ उनको मािलकाना हक मिलेगा, वहीं हमारे एमएलएज और खासकरके विपक्ष के एमएलएज जगदीश मुखी जी और अन्य, एमएलएज जो बार बार बात उठाते रहे कि इन 900 कालोनीज में जो पहले चरण की हैं, अभी बाकी कालोनीज आ रही हैं, इनमें भी हम तुरन्त ऑर्डर करेंगे एमएलए से भी आप तुरन्त प्रभाव से इन 900 कालोनीज में आप सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा काम है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम रात को छड़ी चलायेंगे और सुबह को ठीक हो जायेगा। बहुत सारे इन्टर डिपार्टमैन्टस का आपस में लेना देना होगा, एमसीडी इसमें एन्वाल्व होगी, डीडीए एन्वाल्य होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट इसमें इन्वाल्व होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि लोगों को कठिनाई न हो, हमारे एमएलए साहिबान को कठिनाई न हो, वहाँ की लोकल आरडब्ल्यूए को कठिनाई न हो। इसलिए हम एक टॉस्क फोर्स का गठन इस सिलसिले में करेंगे। जो सारे डिपार्टमैन्टस को एक जगह बिठाकर इस मामले में इनको जल्दी सॉर्ट आउट करे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे मेम्बर्स ने, राम सिंह जी ने कल कालोनीज में डेवलमैन्ट का काम होने के लिए बात उठाई। मैं अपने तमाम एमएलएज साहिबान को कहना चाहता हूँ कि सरकार ने ये बिल्कुल एक तरह से मन बनाया है कि इन तमाम कालोनीज में तमाम फैसिलिटीज दें। तो जिस भी एमएलए साहिबान को डेवलपमैन्ट के काम की कोई दिक्कत हो, तो हम निश्चित रुप से मेरे ऑफिस में मीटिंग करके तमाम उन चीजों को सॉर्ट आउट करायेंगे चाहे वह पानी की लाइन का हो, चाहे सीवरेज सिस्टम का हो चाहे वह सड़क का हो और आपने जो बात उठाई थी कि चार साल के अंदर सड़कें खराब हो गयी हैं। निश्चत रुप से इसमें कोई शक या शुब्हा नहीं है हालांकि प्रावधान इस

बात का है कि 5 साल तक हम लोग नहीं देते, लेकिन हम इस बात के सोचने में कोई दो-दो राय नहीं है कि हम विजिट कराकर रिपोर्ट सबिमट करा सकते हैं कि कहीं कालोनी में सड़क इस लायक नहीं है कि उसे दुबारा बनाने की जरुरत पड़े तो उस दिशा में निर्णय लेने में हमें कोई शक या शुब्हा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे साथी चिन्तित हैं उन कालोनी के लिए जिनका बेलेन्स रह गया है, जिनका अभी नाम नहीं आया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको चिन्तित होने की जरुरत नहीं है। जो कॉलोनीज पैरामीटर्स फिल करती हैं, जो कॉलोनी सैन्टर की गाइड लाइन्स हैं, उनको फिल करती हैं, उनको तो हम निश्चित रुप से जल्दी निकालेंगे ही। और जिन कालोनीज में हमको कोई दिक्कत आ रही है, अगर वहाँ लोग रह रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले दोहराया कि जहाँ गरीब आदिमयों की कालोनी हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं। उनके लिए निश्चित रुप से हमें कोई रस्ता निकालना पड़ेगा और हम वह भी निकालेंगे। हमारे साथी राजकुमार जी ने फॉरेस्ट लेण्ड की बात की, रिज की कालोनियों की बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी कॉलोनीज ऐसी हैं जहाँ पर कि फौरेस्ट के नाम पर कुछ नहीं है लेकिन फॉरेस्ट के नाम पर रुकी हुई हैं। कुछ टैक्नीकल उसके अंदर दिक्कत/परेशानियाँ हैं लेकिन उसमें हमने यह रास्ता बनाया है कि पहले जो फॉरेस्ट विभाग ने लिस्ट दी थी. उससे कम की लिस्ट हमने बनवा ली है। उससे कई कालोनीज को इन दो तीन दिन में हमने हटवा दिया है और बाकी जो 157 कालोनीज भी हैं, उन 157 कालोनीज के अंदर फॉरेस्ट विभाग से एक फील्ड सर्वे आलरेडी शुरु करवा दिया है इस हफ्ते के अंदर। उस फील्ड सर्वे के माध्यम से हमने कहा है कि आप वो पोर्शन बताइये कालोनी का जिसमें फॉरेस्ट है। तो बीकी का पोर्शन करने के लिए कोई दिल्ली सरकार को नहीं रोक रहा है, उनको रेगुलराइज करने से। बाकी उन सारी कालोनीज को जिनके हिस्से में फॉरेस्ट लैण्ड नहीं पड़ती है, उनको हम निश्चित रुप से कदम उठायेंगे। इसी तरह से एएसआई की कॉलोनीज हैं, एएसआई का 3 रूल अभी ये कहता है कि आप सौ मीटर तक आप कांस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। सैकेण्ड रुल ये कहता

है कि 100 से 300 मीटर तक आप उनसे पूछे बिना कस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन 300 मीटर से परे एएसआई का कोई रुल हमें कालोनी ऑथराइज करने से नहीं रोकता। इसलिए हमने तमाम ऐसे सर्वे करने के लिए आलरेडी ये कह दिया है कि हमें ये बतायें कि कॉलोनी का क्या हिस्सा आता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी भारत सरकार को ये लिख दिया है कि जो वो तीन से मीटर का हिस्सा है, उसके लिए भी हम निर्णय करवाकर ले आयेंगे लेकिन जो 300 मीटर से परे का है, उसकी रेगुलराइजेशन का प्रोसेस हम लोग उसे निश्चित रुप से हम लोग शुरु करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे तमाम साथियों की ये पीड़ा है कि अनाथराइज्ड कालोनी के कई लोगों को रेगुलराइज करें, उनको उनका हक दें, उनको बिल्डिंग बाइ-लॉज दें।

देश के अंदर डेवलपमैन्ट हो, उसके अंदर तमाम सुविधाएँ उपलब्ध हों, इसमे किसी भी दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोगों को यहाँ अब एक फैसला भी लेना पड़ेगा, इसलिए हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम लोगों को once for all जो ये टॉपिक हैं, इसे हमें खत्म करना चाहिए। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि दिल्ली की कोई भी कालोनी अन-रेगुलराइज न रहे। लेकिन उसके बाद इस सदन को यह भी फैसला करना पड़ेगा, उन तमाम एजेन्सीज की जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी कि आगे दुबारा कमी वो अनाथराइज्ड कालोनी न हो, वह भी सुनिश्चित करना हमारे तमाम सदस्यों का, इस सदन का और तमाम हमारी ब्यूरोक्रेसी का फर्ज बनता है और कैबिनेट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सुझाव है कि हम लोग इसके बारे में कैबिनेट का निर्णय लेंगे, तमाम एजेन्सीज को लिखेंगे कि ये उन एजेन्सीज की जिम्मेदारी होगी कि दुबारा ये अनाथराइज्ड कालोनीज न आयें और उसके लिए मैं समझता हूँ कि सारे सदस्यों का हमें सहयोग चाहिए। और मैं तमाम सदस्यों को दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ये कोशिश करेंगे कि तमाम कालोनीज को हम लोग करें। हमारे बहुत से

साथी हमसे उन तीन कालोनीज के बारे में भी जानने के लिए कहते हैं कि जिन कालोनीज को कोर्ट के ऑर्डर से हमने रोका है उसके लिए ऑलरेडी एक कैबिनेट नोट सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट तैयार कर रही है, उनके बारे में भी हम लोग जल्द फैसला करेंगे लेकिन हमारी पहली प्रायरिटी ये है कि जिन कॉलोनीज में हमारे गरीब सदस्य रहते हैं, जिन भी कालोनीज में हमारे गरीब आदमी रहते हैं, उनको हम तुरन्त राहत दें और यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को न केवल अपनी और से बिल्क पूरे के पूरे कांग्रेस विधायक दल की और से बहुत बहुत बधाई......उन्होंने जो महत्वपूर्ण काम दिल्ली के अंदर किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में इतना विकास किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो का किया है। यह काम दिल्ली के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा और एक बार फिर मैं आज हमारे विपक्ष के साथी होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि हम दिल्ली के लोगों को इतने भरोसे पर बिल्कुल नहीं छोडेंगे। चाहे वो एम.सी.डी पर गर्व करते हों क्योंकि इनके भरोसे छोड़ दिया तो हारन जी ने एक शेर सुनाया था, तब तो वही हाल होगा कि:

#### तुम्हारे शहर में आये थे तो गांव से भी गए। मकान की आस में पेड़ की छाँव से भी गए॥

अगर इनके भरोसे रह गए तो दिल्ली के लोग छाँव के बिना भी रह जायेंगे। इसिलए दिल्ली की सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि unauthorized colonies के रहने वाले लोगों को बिल्कुल कोई परेशानी न हो, कोई दिक्कत न हो और एक ओपन माइन्ड के साथ एक पोजिटिव attitude के साथ दिल्ली सरकार बाकी की कॉलोनीज को रेगूलराइज करने का कार्य शीघ्र करेंगी। अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

#### नियम 292 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय: नियम 292 के अंतर्गत श्री मुकेश शर्मा जी का प्रस्ताव आया था जिस पर चर्चा हुई है। उसको मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। यह सदन प्रस्ताव करता है कि दिल्ली की सभी सूचिबद्ध अनिधकृत कॉलानियों जहाँ आबादी हो और जिसमें रिन, वन क्षेत्र भारतीय पुरातत्व विभाग, निजी भूमि या अन्य किसी की भूमि पर बनी सभी कॉलोनियाँ शामिल हैं, में तुरन्त प्रभाव से कार्य शुरु किए जायें।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष हैं वे हाँ कहें। जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

#### प्रस्ताव पास हुआ।

अब एक और अल्पकालिक चर्चा है जिसको आज हमें पूरा करना है। चर्चा का प्रारंभ करेंगे श्री नसीब सिंह, श्री प्रहलाद सिंह साहनी और श्री देवेन्द्र यादव।

#### अल्पकालिक चर्चा

श्री नसीब सिंह: अध्यक्ष जी, हम लोगों ने नगर निगम पर चर्चा लगाई। मैं सब से पहले तो अपनी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस नगर निगम को सुधार के रास्ते पर डालते हुए, इसके तीन भाग किए। अभी इसके और भाग होने चाहिए थे। लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र था। उन्होंने दिल्ली की जनता को इस नगर निगम की कार्य प्रणाली को बदलने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। अध्यक्ष

जी, जब बरसात आती हैं। जैसे आज बरसात हुई तो अगले दिन अखबारों की हैड लाइन और फोटोग्राफ होते हैं कि बसों में पानी भरा हुआ है। लोग जैसे बाढ़ आ जाती है, उस तरह से चल रहे हैं और नगर निगम की कार्य प्रणाली को वो मीडिया में दिखाया जाता है। लोग हैरान रहते हैं। दिल्ली में बहुत कुछ हुआ है। पिछले 14 वर्षो में दिल्ली में जिस तरह से बदलाव किए गए। जब 15-15, 20-20 साल बाद लोग दिल्ली में आते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि दिल्ली अपने आप में बदल चुकी है और अगर इसका इस दिल्ली के बदलाव का श्रेय मुख्यमंत्री जी को जाता है। अध्यक्ष जी, तीनों नगर निगम में 42000 कर्मचारी हैं और लगभग 6 हजार के करीब नालों को साफ करने की लेबर एम.सी.डी ने एपाइन्ट की हुई है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे इस और गौर कराना चाहूँगा कि नगर निगम के ऊपर चर्चा है और नगर निगम का कोई भी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तीनों कमिश्नर तो नहीं हैं। हमारी ईस्ट दिल्ली के नहीं हैं। अच्छा आ गए हैं। मैं उनको पहचान नहीं पाया। माफी चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, जिस तरह से नगर निगम में काम होना चाहिए। बँटवारा होने के बाद भी उस पर बहुत अच्छी तरह से काम नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कितना मीट्रिक टन कूड़ा कागजों पर उठाया जाता है। अगर उसकी पहचान करने के लिए कोई एजेन्सी फिन्स कर दी जाए तो मुझे यह लगता है कि जितना कागजों में दिखाया जाता है। उतना होता नहीं है। अध्यक्ष जी, आये दिन ये शिकायतें मिलती हैं कि दिल्ली के सीवर चौक हो गए। लेकिन आज ये बिल्कुल पूरी तरह से इतने सारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं। अगर ये अपनी अपनी विधान सभा क्षेत्रों में अपने उन नालों को चैक करायेंगे जिनको कि सीवर में पंचर किया हुआ है और जो कूड़ा उन नालों से जाता है। आये दिन यह शिकायत मिलती है कि सीवर चौक हो रखे हैं। अध्यक्ष जी, इस बात का पक्का सबूत हर विधान सभा में दिखाया जा सकता है और मिल सकता है। अध्यक्ष जी, पिछले दिनो जब नगर निगम एक थी। उस समय ही उनके भारतीय जनता पार्टी के मेयर कँवर सेन थे। जो मेरे एरिया से काऊँसलर हुआ करते थे। बदिकस्मती से इन चुनाव में वो चुनाव हार गए। उन्होंने खुद मेयर

रहते हुए यह डिक्लेरेशन किया था कि 25 हजार कर्मचारी एम.सी.डी में फर्जी हैं। अध्यक्ष जी, उसका मुकदमा कोर्ट में भी चल रहा है। सीबीआई भी उसकी जाँच कर रही है। लेकिन जब इस तरह के हालात हैं तो हम समझते हैं कि इस नगर निगम का क्या हाल होगा। अध्यक्ष जी, बरसात के दिनों में Parapheram नाम की एक दवा है। एक केमिकल है जिसकी कीमत शायद 3600 रुपए लीटर है। अध्यक्ष जी, अगर उसे एक हजार लीटर पानी में सौ ग्राम मिलाया जाए और उसका छिड़काव हो जाए तो बहुत सारे मच्छर दूर हो सकते हैं, मर सकते हैं। लेकिन इन बरसात के दिनों में अगर अस्पतालों का रिकॉर्ड देखा जाए और अखबारों की सुखियाँ देखी जायें तो उसमें कहीं न कहीं यह देखने को मिलता है कि डेंगू से इतने लोग मारे गए हैं। आज डेंगू से इतनी मृत्यु हो गई हैं। अगर हर मौसम का डॉटा लिया जाए तो नगर निगम की कारगुजारी का पूरी तरह से पता लग सकता है। अध्यक्ष जी, बहुत दिन पहले आपने और हम लोगों ने काफी समय पहले देखते थें एक लाल रंग की दवाई मक्खियाँ मारने के लिए छिड़की जाती थी। अध्यक्ष जी, आज वो लाल रंग की दवाई कहीं पर दिखाई नहीं देती और ये जो Parapheram दवाई मार्केट में बिकता है। अगर इसकी इनक्वारी हो जाए तो इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। अध्यक्ष जी, मैं मलेरिया डिपार्टमेंट का इतना बड़ा घोटाला कह सकता हूँ कि एडहॉक पर लोगों को रखने का, लोगों के कूलर चैक करने का, उनको परेशान करने का, बरसात के दिनों में एक जरिया बन जाता है। लेकिन कारगर तौर पर काम करने की कोशिश नहीं होती है। अध्यक्ष जी. यहाँ तो एक ही कमेटी काम कर रही है। वो नामकरण कमेटी है। अगर आज तीनों नगर निगम की बात की जाए तो और कमेटियाँ काम करें या न करें। लेकिन नामकरण कमेटी जरुर काम कर रही है। अगर सब से ज्यादा कोई काम आज दिखाई देता है तो वो नामकरण कमेटी का होता है। फटाफट पूरी दिल्ली में चाहे कोई काऊँसलर का चाचा था या किसी काऊँसलर का कोई दादा था वो अपने रिश्तेदारों के नामकरण की लिस्ट लेकर खड़े हुए हैं। उनका कोई पैरामीटर नहीं है कि इस आदमी ने समाज के लिए क्या किया

और क्या नहीं किया। अध्यक्ष जी, यहाँ financial powers का भी सवाल उठता है। जहाँ नगर निगम में financial powers का भी सवाल उठता है। जहाँ नगर निगम में financial powers है वो 25 लाख रुपए है और नगर निगम की पावर जो है वो एक लाख रुपये है। उसी तरह से हमारा पीडब्लूडी का जो चीफ इंजीनियर है उसकी पावर है दो करोड़ रुपए और एमसीडी के चीफ इंजीनियर की पावर है, सात लाख रुपए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो उसमें सुधार करने की जरुरत है लेकिन अध्यक्ष जी, जब इस एमसीडी को अपने अफसरों पर ही भरोसा नहीं है तो फिर काम नहीं हो सकता। नसीब सिंह जी थोड़ा छोटा करिए, टाइम ज्यादा नहीं है, बोलने वाले कई हैं, फिर शहरी विकास मंत्री जी उत्तर भी देंगे। अध्यक्ष जी मैं मोटे-मोटे प्वाइंटों को ही ले रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता और मैं इसलिए ये मेन मेन प्वाइंट बोलना चाहता हूँ जिस पर हमारे यू.डी मिनिस्टर जिनके अंडर में आज ये नगर निगम आ गई हैं उन पर ये विचार करे कि कहाँ कमी आ रखी है। पिछली इस विधान सभा की कार्यवाही में मुख्यमंत्री जी से जब यह निवेदन किया गया था कि एमएलए हैड बढ़ाया जाए तो मुख्यमंत्री जी का ही स्टेटमेंट था कि 200 करोड़ रुपया एमएलएस का आज तक कोई काम नहीं हुआ है तो अध्यक्ष जी, अगर कोई पावरस नहीं होगी इन लोगों के पास तो ये कमेटियों में घुमता रहेगा। एमएलए हैड का पैसा बिल्कुल उनके लिए कैश अमाउंट होता है जो कि एक लैटर देने के बाद उस पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अध्यक्ष जी, वहाँ पर इतनी रुकावटें है आज तक हमारा कोई 6 महीने हो गए, 6 महीने में कोई अब तक शुरु नहीं हुआ है, इस फाइनशेल ईयर का। अभी हमारी फाइलें घुम रही है, उस पर आब्जक्शन लगाए जा रहे हैं इसके अलावा क्योंकि जब ये फाइनशेल पावर ही नहीं होगी तो हमारे काम डील होंगे क्योंकि जो कमिशनर की पावर है, कमिशनर कम से कम 2-3 बार आब्जक्शन लगाकर फाइल को वापस नहीं करते तब तक उनका काम पूरा नहीं होता। अध्यक्ष जी, ये सारी चीजें खास तौर से एमएलए हैड हमारे यहाँ खास तौर पर पूर्वी दिल्ली में ट्रांस यमुना बोर्ड का जो पैसा है, जो जल्दी से खर्च होना

चाहिए आज तक नहीं हो रहा है। अध्यक्ष जी, ये सारी चीजें आर आर कट का मामला है कि जो सड़के आर आर कट की वजह से, जो पहले पैसा एमसीडी में जमा करा दिया गया वो पीडब्लूडी के पास आ गई हैं और पीडब्लूडी इसलिए काम नहीं कर रहा उन पर क्योंकि उनको आर कट का पैसा नहीं मिला है। अध्यक्ष जी, बहुत गमीर मामले है, यहाँ तो एक ही मामला है बिल्डिंग डिर्पाटमेंट। बिल्डिंग डिर्पाटमेंट अगर खत्म कर दिया जाए, एमसीडी से तो मुझे नहीं लगता कि कोई काउंसलर टिकट भी मांगने के लिए जाएगा। सारे अधिकारी जो पैसा दे देता है उसका मकान बनता है, उसकी कितनी कोई शिकायत कर ले उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर कोई गरीब आदमी अपना एक मकान बनाने लगता है, सबसे पहले बुकिंग उस गरीब आदमी की होती है क्यांकि वह पैसा नहीं देता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, अध्यक्ष जी। जिसे हम लोग देखकर हैरान रहते है कि किस तरह से वो एक लाख रुपए लैंटर के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं, गरीब लोगों से। न नक्शे पास होते। आज अरबन विलीज में या अरबन एरिये में जितने भी मकान बनने होते है उनके पास कोई कागज नहीं होता। आज लाल डोरे के अध्यक्ष जी, आप जानते है लाल डोरा 1908 में बना था और लाल डोरा की जो जमीन का मालिकाना हक लिखा हुआ है, वह आज भी ग्राम सभा के नाम लिखा हुआ है। जब ग्राम सभा के नाम मालिकाना हक आज तक भी लिखा हुआ है उसका कारण था, आप जानते है पूरी तरह से कि जो एक लीडर हुआ करते थे, सर छोटु राम जी। उन्होंने साहुकारों के बचाने के लिए इस लाल डोरे की संरचना की थी, पंजाब एसेंम्बली में। क्योंकि यह दिल्ली भी पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था लेकिन आज अरबन विलीज होने के बाद वह लाल डोरा तो खत्म हो गया लेकिन उसका टाइटल अभी तक नहीं बदला है। ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत सारी चीजों में आती है। अध्यक्ष जी, एमसीडी में झाडू खरीदी जाती है। 900 ग्राम की जो झाडू होनी चाहिए अगर झाडुओं का वेट करवा लोगे तो 600 ग्राम की झाडू मिलेगी, वो भी एक घोटाले का सबुत मिल सकता है, अध्यक्ष जी। मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ जो अस्पतालों के हालात है, डिस्पेंसरियों के हालात हैं। मरे एरिए में एक डिस्पेंसरी है, कस्तूरबा नगर। कस्तुरबा नगर में एक आदमी को इसलिए रखा गया है कि वो सुबह से शाम तक बैठकर रजिस्ट्रर में नाम लिखेगा। फर्जी नाम लिखेगा, दो सौ-ढ़ाई सौ और फर्जी नाम लिखने के बाद जो वहाँ डिस्पैंसरी में दवाई होगी उसको डाक्टर अपने घर ले जाएंगें और किसी को बेच देगे। अध्यक्ष जी, इस तरह के घपले एमसीडी में पहले भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। अभी भी कोई कंट्रोल नहीं। कंट्रोल तो सिर्फ इस बात का हो रहा है। कि किस तरह से काम रोके जाएं। एम.एल.ए के काम ना हो, जो दिल्ली सरकार पैसा दे रही है उसके काम ना हो। अध्यक्ष जी, मेरा तो आपसे निवेदन यह है, मैं तो इस मौके पर यह कहना चाहता हूँ कि ये तो एमसीडी का बंटवारा अभी और होना चाहिए। मंत्री जी, इसको तो सात पार्लियामेंट की तरह सात नगर निगम बना दी जाए। जिससे कि लोगों को. जितना नजदीक से देखने का मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, तभी काम चल पाएगा। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यही कहूँगा कि नगर निगम को अपनी चाल को सुधारनने की जरुरत है और अगर आज नये नये कानून बनाकर काम को रोकने की विधि निकाली जाये कि कामों को कैसे रोका जाये। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में काबिज हो चुकी है, वो अब यह रास्ता निहार रही है क्योंकि दिल्ली सरकार में जो एमएलएज हैं, उनके कामों को रोकने का रास्ता बनाया जा रहा है। मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इसकी समीक्षा की जाये और इस तरह से एक टाईम बांड प्रोग्राम काम जो भी पैसा दिया जाता हैं.................अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदय: नसीब जी थोड़ा जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री नसीब सिंह: जी अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, एक आखिरी निवेदन कर रहा हूँ। नगर निगम के जो कार्यकलाप है क्योंकि ये वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वो हमारे दिल्ली सरकार के एमएलएज कह लो, दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग का जो पैसा जाता है, उसको रोकने का और साथ ही जो

खासतौर से, मंत्री जी मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूँ, बारातघर जो ट्रांस यमुना बोर्ड ने बनाये थे, उन बारातघरों की बुकिंग नगर निगम के पार्षद कर रहे हैं। हमें तो कोई परेशानी नहीं हैं। हमारे और मंत्री जी आपके तो पार्षद हैं। लेकिन बहुत से हमारे ऐसे विधायक हैं, जिनके पार्षद नहीं हैं और जो ट्रांस यमुना बोर्ड से बारातघर बनाए गये थे उनकी बुकिंग का काम उसमें कमेटी बनाने का काम नगर निगम के हाथों में दे दिया है। मुझे लगता है, उस पर आपको विचार करके अंकुश लगाना होगा और विधायक को अधिकार देना होगा, जिसने मेहनत करके उसको बनवाया है। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री प्रहलाद सिंह साहनी: अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सड़कों पर पानी का भराव, दिल्ली की गिलयों के अंदर तमाम पानी की लाइनों बारिश के दिनों में भरना। जितनी भी नई सड़के बनाई गई हैं उनके ऊपर सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ दिल्ली नगर निगम के स्टाफ कर्मचारी रहते हैं। चाहे वो ऑफिसर फ्लैट हों, चाहे वो दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के फ्लैट हों। जब बारिश आती है तो उन लोगों के घरों पर एक-एक फुट, डेढ़-डेढ़ फुट पानी भर जाता है। मजनू टीला में सफाई कर्मचारियों की बात कर ले। चंद्रावल के अंदर सफाई कर्मचारियों की बात करें। जामा मस्जिद के अंदर सफाई कर्मचारियों की बात करें तो तमाम स्टाल के क्वार्टरों के अंदर दो-दो फुट, तीन-तीन फुट पानी भर जाता है क्योंकि उनकी सीवर लाइन प्रोपर नहीं चल पाती। जो कारपोरेशन, जिन सफाई कर्मचारियों के माध्यम से चलती है उसके कारपोरेशन के सफाई कर्मचारियों के क्वार्टरों को हालत, उनकी कॉलोनियों का हालत, उनके बाहर निकलने वाली सड़कों की हालत इतनी गदगद है। मेरा ख्याल किसी दिन भी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी ट्रेजड़ी हो सकती है। जिससे कई लोगों को जानी नुकसान हो सकता है। सबसे पहली बात तो मैं यह

कहना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारियों और जल बोर्ड की लाइनें हैं, उनकी लाइनें ठीक की जाएं।

जिससे कई लोगों को जानी नुकसान हो सकता है। सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो वाटर है उनके अंदर की सीवर लाइनें ठीक की जायें। श्रीमान जी, मैं दिल्ली नगर निगम के ऑफिसर्स का मंत्री महोदय मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बनाई बहुत अच्छी सड़कें बनाई, यहाँ किमश्नर महोदय बैठे है नॉर्थ के, उनके घर के बराबर में एक राजपुर रोड गुजरता है यहाँ कई ऑफिसर्स हँस रहे हैं वो भी वहाँ रहते हैं जब सड़कें बनीं थी चालीस साल से में वहाँ रह रहा हूँ आज तक वहाँ कभी पानी नहीं भरा था। चालीस साल के अंदर कभी राजपुर रोड पर सीवर लाइन में कभी पानी नहीं रुका था और जब से इन्होंने सड़कें बनाई हैं कभी पानी वहाँ से निकला नहीं। बारिश होते ही 2-2 फुट, 3-3 फुट पानी राजपुर रोड के ऊपर बैठ जाता है। यहाँ किमश्नर महोदय भी बैठे हैं, मैं उनको दोबारा से कहना चाहता हूँ जिस जगह किमश्नर महोदय रहते हैं उसके बराबर, अभी सड़कों बनी हैं और 40 साल में कभी उस सड़क पर पानी नहीं आया था, कभी पानी नहीं रुका था, कभी जाने वाले, किसी को दिक्कत नहीं हुई थी। आज उस सड़क के ऊपर जब बारिस होती है 2-2 फुट, 3-3 फुट पानी आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या किमश्नर महोदय उन ऑफिसर्स को जिन ऑफिसर्स ने ये सड़कें बनाई और सीवर लाइन कहीं नहीं बनाई, जालियाँ कहीं नहीं बनाई, जब हम लोगों ने यहाँ शोर मचाया कि आपने यह जो नाला बनाया है इसके ऊपर जो जालियाँ बनाई हैं इससे लोग गिरते हैं उन्होंने जालियाँ ऊपर उठानी थी, उसके ऊपर टाइलें लगाकर बिल्कुल उसको बंद कर दिया। आज बंद करने का रिजल्ट यह हुआ कि तमाम सड़कों के ऊपर बारिश वाले दिन डेढ़-डेढ़, दो-दो फुट पानी भरता है और मेरा ख्याल है किमश्नर महोदय भी वहाँ से गुजर कर जाते होंगे तो इनकी गाड़ी में भी पानी भरता होगा। जहाँ जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं वहाँ इतनी

दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। कारपोरेशन के अंदर storm water drain लाइन चलती है। गलियों के अंदर एक सीवर लाइन चलती है, मेरे को नहीं उम्मीद कि शायद ही दिल्ली नगर निगम के पास कोई ऐसा सफाई कर्मचारी हो जो storm water drain को साफ करता हो, जो जालियों को साफ करता हो, तमाम जालियों पर छोटी-छोटी सुराख करकर सीवर में मिला देते हैं और उसका रिजल्ट यह होता है storm water drain की वजह से सीवर लाइन भी बंद हो जाती है और दोनों चीजे चॉक होने से गली के लोगों को और इलाके के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह बड़े-बड़े नाले हैं, इतनी बड़ी दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन है तीन भागों में बांटी हुई म्यूनिसिपल कारपोरेशन है उसको सफाई करने के लिए अध्यक्ष महोदय दो Super Sucker मशीनें इन्होंने ली हुई हैं। एक Super Sucker मशीन एक जोन के पास भी नहीं है। एक कारपोरेशन के पास एक Super Sucker मशीन होनी चाहिए थी जिससे नाले साफ हो जाये। एक आदमी, कोई एमएलए या कोई आदमी रिक्वेस्ट करता है महीनों बाद उसके नाले साफ होते हैं। जवाब यह आता है कि वहाँ Super Sucker Machines जो हैं हमारे पास नहीं है, आज जमनापार गई हुई है आज नई दिल्ली गई हुई है, आज कहीं और गई हुई है। जब तक Super Sucker मशीनें नहीं होंगी तो मेरे को उम्मीद नहीं कि नालों की सफाई कर सके। एक-एक इलाके के अंदर जो सफाई कर्मचारी नालों को साफ करते हैं उनका पता ही नहीं चलता कि कहीं वो एम्प्लाई है या नहीं है। सिर्फ उनको तनख्वाह देने के लिए इन्होंने रखा हुआ है और कोई काम दिल्ली नगर निगम का वहाँ नहीं हो पा रहा। मेरा आपसे अनुरोध है अभी जैसे इन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम के अंदर जो ऑफिसर्स की पावर है, खर्च करने की पावर चीफ इंजीनियर की 6 लाख रुपये, ईएनसी की पावर 7 लाख रुपये है, XEN की 1 लाख रुपया और एसई की 3 लाख रुपया जब तक हम इसको नहीं बढ़ायेंगे मंत्री महोदय मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर आप एक ऐसी मीटिंग ले, तमाम संबंधित अधिकारियों को बुलाये ताकि उनको यह पूछा जाये

कि एक इलाके अंदर आज के दिन के अंदर जो नये शेड्यूल आये हैं, उसके अंदर 2012 के अंदर बड़ी छोटी सी 6 लाख रुपये में कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इनको बुलाकर इनकी पावर बढ़ाई जाये ताकि आने वाले दिनों के अंदर, सफाई कर्मचारियों के ऊपर और जो ऐस्टिमेट इन्होंने बनाने हों वो ख़ुले दिल से बना सके ताकि इलाके में काम कर सकें। हम लोगों का भी जो एमएलए हैड होता है वो पडा रह जाता है आज कारपोरेशन के अंदर एक-एक एमएलए का दो-दो, तीन-तीन करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और काम नहीं हो पा रहे हैं उसकी वजह यही है कि काम जो है वो इसलिए नहीं हो पाते कि उनके ऐस्टिमेट जो है सैंक्शन करने की पावर वो तमाम जाकर कमिश्नर के पास जाती हैं 7 लाख के बाद वो किमश्नर के पास जाएंगी, 7 लाख छोटी सी एमाउंट होती है, एक गली के अंदर भी कोई काम कराना हो, वो सात लाख से ऊपर लग जाता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन सब चीजों को देखते हुए जितनी जल्दी से जल्दी हिदायत दी जाये दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन को Super Sucker Machines और ली जायें और जो सड़कों खास कर के मैं कहूँगा, मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ, राजकुमार चौहान जी का, दिल्ली की मुख्यमंत्री का जिन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया जो कारपोरेशन अभी तक नहीं कर सकती थी उन बड़ी सड़कों को अपने हाथ में लिया, मैं इनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज दिल्ली के अंदर, हमें उम्मीद जागी है कि बड़ी सड़कें, बड़ी सीवर लाइनें जो हम लोग सफाई के लिए लगे हैं वो हम करेंगे और उसके साथ-साथ जो आज एक ऐतिहासिक फैसला और एक अच्छी घड़ी के अंदर दिल्ली की बागडोर एक यंग नौजवान मंत्री के हाथ में दी है, यूडी डिपार्टमेंट उनके हाथ में दिया है, तो मेरे को उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छी किरण जागेगी और बड़ी रोड जितनी भी है शहरी विकास मंत्री तथा राजकुमार चौहान दोनों मिलकर दिल्ली के अंदर एक नई किरण जगायेंगे आने वाले चुनाव के अंदर एक अच्छी चीज साबित होगी और जिस तरह दिल्ली की मुख्यमंत्री ने और यहाँ के मंत्रियों ने मिलकर, दिल्ली सरकार ने मिलकर, शिक्षा के अंदर भी अच्छा काम किया है, कारपोरेशन के अंदर काम किया है मेरे को नजर आता है, आने वाले दिनों के अंदर तमाम जगहों से पानी निकल जायेगा Super Sucker मशीनें और लगेंगी ताकि हमारा काम हो सकें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। तरविंदर सिंह मारवाह जी, आप बोलेंगे।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, कोरम कैसे पूरा होगा जी, जब तक नहीं बोलू।

अध्यक्ष महोदय: आपको बोलने की क्या जरुरत है।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, कुछ तो बोलने दीजिए, आपकी इजाजत ली है।

अध्यक्ष महोदय: आपने चार्वाक का नाम सुना है।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, आप बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: देखिये, हमारे देश में छह दर्शन हैं, फिलोस्फी हैं उनमें एक चार्वाक भी था और जिसका उद्देश्य यह था-

#### यावज्जीवेत्सुखं जीवेत ऋणं कृत्वां घृंत पिबेत्। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमंन कुतः॥

जब तक जीओ मज़े से जीओ और कर्ज़ा करके भी घी पीना पड़ा तो पीओ क्योंकि मर जाने के बाद पता नहीं फिर दोबारा से जन्म हो या न हो।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, आधा रह गया ना जी आपका, आधा रहा गया आपका, एक और चीज़ है इसमें। अध्यक्ष महोदय: आधा कल पूरा कर देंगे।

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, आपने कहा कि कर्ज़ लेकर भी घी पीया जाये तो पीओ। यह तो ज़बर्दस्ती बोला जाये तो बोलो।

अध्यक्ष महोदयः तरविंदर मारवाह जी।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह-अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, धन्यवाद। अभी हमारे साथी प्रह्लाद सिंह साहनी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि पानी जाता कहाँ है? पानी रुक जाता है। 40 साल से रुका नहीं। 40 साल से कारपोरेशन काम नहीं कर रही थी, अब कारपोरेशन काम कर रही है तभी पानी रुक जाता है। सड़कें तो बन गई हैं 40 साल से सड़क नहीं बनी थी। अध्यक्ष जी, कारपोरेशन में सबसे बड़ी बात यह है पहले तो दो दो को झेल रहे थे, एक एमएलए के नीचे दो काउंसलर थे, अब हो गये हैं चार। चार का हिसाब लगाओ पहले जहाँ पर फीस जाती थी दो परसेंट अब हो गई है चार परसेंट। पहले महीना जाता था एक डेढ़ लाख, 60, 70, 80 लगा लो, अब जा रहा है 3 लाख समझ लो तीन सतर समझो आठ लाख के करीब। आप बताओं कर्मचारी क्या काम करेंगे। एक काउंसलर के घर में सुबह 5-5, 6-6 आदमी 8 बजे से लेकर दो बजे तक रहते हैं, 5-4 आदमी उसके घर में रहते हैं। एक आदमी चाय लाता है, एक आदमी मोहर लगाता है, एक आदमी उसकी सफाई करता है और एक रसोई में चाय बनाता है। अब बताओं बेचारा इंस्पैक्टर, एस.आई. क्या करेगा, क्या आई.पी.एस अफसर करेगा। चार आदमी का मतलब 16 आदमी एक एमएलए के नीचे काउंसलरों के घर में मिलते हैं। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो कल चैक करा लो। जो एस.आई. और इंस्पैक्टर एक बार काउंसलर के मुँह लग गया वह काम करेगा। वह तो सिर्फ इसी पर ध्यान देगा कि 31 तारीख आ रही है और पाँच तारीख को काउंसलर के यहाँ से फोन आएगा एक बार फोन आया, धमकी, दूसरी बार

आया, ट्रांसफर, तीसरी बार आया तो तेरे के सस्पैंड करा दें। फिर वह कारपोरेशन क्या करेगी। अब यहाँ जो बैठे हैं यह सबको पता है. मैं तो किसी काउंसलर से डरता नहीं. न मैं राजनीति में ऐसा काम होने देता। किसी एमएलए के यहाँ आपको दिल्ली सरकार को कोई आदमी नजर नहीं आएगा। अध्यक्ष जी, मैं आपको आज बड़े काम की बात बता रहा हूँ और आज आपको सख्त आर्डर पास करना है। अब वे दिल्ली में बेचारे क्या करें, अब ये नाली वाले को कह देते हैं, हैल्थ वाले को, उस बेचारे को दुकाने दिखती हैं क्योंकि उसको 30 तारीख याद आती है। वह कभी दुकान वाले के पास चालान के लिए जाएगा कभी उसको धमकी देगा। कुछ काउंसलर जो ऐसे बन गए कि जानबूझ कर कमेटी भेज देते हैं कि यह सामान उसका उठा ला, यह उसका उठा ला। मुझे नहीं पता शाम तक काम होने चाहिए। जिन एसोसिएशनों ने काम किया, अपने पैसे से वहाँ शौचालय बनाए, गोदाम बनाया, उनका कोई बोर्ड लग गया, उन्होंने क्योंकि सफाई करानी है सब कुछ कराना है जब तक बोर्ड नहीं उतरेगा, तीसरे दिन देखो काउंसलर के किसी दुकान वाले का वहाँ पर बोर्ड मिल जाता है। आज मार्केटों में जितने शौचालय बने हुए हैं बड़ी बड़ी मार्केटों में उनको कोई टेंडर नहीं हुआ इन्होंने कह रखा है फ्री चलाओ और वहाँ पर काउंसलर के आदमी बैठे हुए हैं। इनको सबको पता है जो यहाँ आए हुए हैं और वहाँ से कोई दो-चार दस हजार रु. नहीं आ रहा एक-एक लाख रु. काउंसलर के घर जा रहा है। उन्होंने अपने आदमी बैठा रखे हैं। दिल्ली में जितने शौचालय बने हैं और गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो रहा है अगर उनका टेंडर निकालें उसके पैसे लें, क्योंकि वे उनके टेंडर कई-कई सालों से होने ही नहीं दे रहे। सेंट्रल मार्केट, दुसरी मार्केट, करौल बाग मार्केट और कई जगह शौचालय बनाकर छोड़ दिए, अब काउंसलरों की इतनी मिलीभगत कि वे उनके टेंडर नहीं होने दे रहे। टेंडर होने से सरकार को कारपोरेशन को लाखों रुपये का फायदा हो।

अध्यक्ष महोदय-मारवाह साहब, यह जल भराव व बरसाती नालों की सफाई से

उत्पन्न स्थिति, बरसात के दिनों में महामारी फैलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा है आप उसी पर बोलिए।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह-अध्यक्ष जी, कारपोरेशन के अफसर बैठे हुए हैं उनके कान तो खुल जाएं। आजकल नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये दो-चार शौचालय हों तो फिर हम भी कहें कोई बात नहीं। लेकिन मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ये मार्केटों में बने हुए हैं और सरकार को कितना नुकसान हो रहा है उनमें कितने पैसे खर्च हुए हैं। अध्यक्ष जी, अगर छापे पड़ने शुरु हुए इनके भी बच्चे हैं इसलिए मैं इनको आगाह कर रहा हूँ। आने वाले समय में आप देखना। जब 4-4 कर्मचारी काउंसलर के घर में होंगे और जब से बीजेपी आई है उनके यहाँ तो 7-7, 8-8 हैं। क्योंकि इनकी हकूमत है, हम मालिक हैं, जो सिविक सेंटर है यहाँ पर इन्होंने अपने आप कब्जे कर लिए। मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सेंटर बना है मेयर ने अपनी मर्जी का कमरा और हमारा जो डायरेक्टर बैठा है अभी तक वहाँ उसके लिए कमरा नहीं है। वहाँ कोई कानून नहीं कुछ नहीं। अब वहाँ सफाई कर्मचारी क्या करेंगे। नालियाँ साफ करेंगे या उनका महीना देने की बात करेंगे। अभी आपको नसीब सिंह ने बताया कितने कर्मचारी जो वे मिस करते हैं हाजरी लगाकर नहीं आते हैं। अब तो सख्ती है, अब तो इनके यहाँ सिस्टम अच्छा हो गया है, सुबह आओ स्टैम्प लगती है, फिर दोपहर को जाओं, अब कोई कर्मचारी ज्यादा हेरा फेरी नहीं कर सकता। लेकिन काम करने की बात है नाले कौन साफ करेगा। जब 24-24 कर्मचारी चार-चार काउंसलरों के घर में काम करेंगे तो कौन नालियाँ साफ करेगा, अध्यक्ष जी, आप इनकी इन्क्वायरी करवाओ। सफाई तो तभी होगी। अब जो ड्राइवर हैं वे इन काउंसलरों की कारें चलाते हैं। जो गाड़ी धूआं करती है उसका ड्राइवर काउंसलर की कार चलाता है। गाड़ी को वहाँ पर खड़ी कर देते हैं। अध्यक्ष जी, सिस्टम खराब है। सिस्टम को ठीक करना चाहिए। इनकी इन्कवायरी हो तो सब कुछ हो। अभी जो सड़कें पीडब्ल्यूडी के अण्डर आई हैं वहाँ राजकुमार चौहान जी ने अच्छा काम किया है, मैं तारीफ नहीं करता, लेकिन हमने देखा है, हर जगह गाड़ियाँ लगी हुई हैं दिल्ली सरकार के छ:-छ: कर्मचारी जो सफाई कर रहे हैं, यह बहुत अच्छा है जो प्रोसिजर अभी मैडम ने करवाया है। पहले सुरेन्द्र ने कभी सड़कों के लिए नहीं कहा लेकिन अब इसने भी कहा हमारी सड़के अच्छी हो गई हैं चलो जो गड़ेढ़ थे वे तो भर गए। पीडब्ल्यूडी ने जो चार महीने से काम किया है वह तारीफ के काबिल है। अब आप इधर से निकलते हो, हमारे यहाँ मथुरा रोड पर पानी कितना भरता था जिसके कारण जाम रहता था, इस बरसात में कोई पानी नहीं भरा है। सब जगह वाटर ड्रेने बन गई हैं। काम करने की बात होती है। हमारे जो टैम्पो लगे हुए हुए पीडब्ल्यूडी के 6-6 ट्रक पूरे दिन में मलबा उठाते हैं। लेकिन इनके, वे बेचारे क्या करें, अब जो प्राइवेट गाड़ियों पर ड्राइवर रखे हुए है वे भी इनके घर के काम करते हैं। तो अध्यक्ष जी, सिस्टम खराब है। में यूडी मिनिस्टर को कहूँगा कि इनकी पूरी जाँच कराओ और डायरेक्टर साहब भी बैठे हैं तीनों जो किमश्नर आए हुए हैं, आप सख्ती से निपटो, आटे में नमक चलेगा, पूरे का पूरा नहीं चलेगा, यहाँ तो पूरे से भी पार है। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय-देखिए, समय बहुत हो गया है, बोलने वाले कई विधायक हैं, श्री ए, दयानंद चंदीला, चौ. सुरेन्द्र कुमार, श्री रामिसंह नेताजी, श्री विपिन शर्मा में इन सबसे क्षमा चाहता हूँ और शहरी विकास मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वे जवाब दें।

श्री ए. दयानन्द चंदीला : अध्यक्ष महोदय, मैं मारवाह जी को बताना चाहता हूँ कि मारवाह साहब काउन्सलर्स सभी ऐसा नहीं करते। मेरे पनिवार में भी 4 काउन्सलर्स हैं। मेरा पुत्र, मेरी पुत्र वधू, मेरी बहन मेरी पत्नी और मैं भी काउन्सलर रह चुका हूँ। ऐसा नहीं है, सच्चाई ये है कि दोनों पार्टियों के लोग सत्ता में जब आतें हैं, चाहे वह हमारी पार्टी के हों

या बीजेपी के हों तो चार लोग पूरी कार्पोरेशन को चलाते हैं, वे हैं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग। सारे काउन्सलर्स भ्रष्ट नहीं हैं। पूरी व्यवस्था को पार्टी के लोगों ने खराब किया है। सबसे पहले सदन का लीडर, दूसरा वहाँ का उससे छोटा महापौर, उसके बाद कमेटी चेयरमैन....

अध्यक्ष महोदयः चंदीला जी बैठिए। अब शहरी विकास मंत्री जी जवाब देंगे।..... व्यवधान......

कंवर करण सिंह: अध्यक्ष महोदय, अनौथराइज्ड कालोनियों पर हमारे सदस्य बोल नहीं पाये हैं, उनके नाम दिये हुए थे। उनके नाम जरुर पढ़ दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी बोलिए।

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है वाटर लॉगिंग पर और वाटर बार्न डिसीजेज पर.......

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी, एक मिनट आप कहें तो......दूसरे जो बोलने वाले सदस्य हैं उनमें श्री माला राम गंगवाल जी, श्री सुमेश शौकीन जी, बोल चुके हैं, वीर सिंह जी बोल लिए।

दयानन्द चंदेला, अरविन्दर सिंह लवली, श्री अनिल चौधरी श्री जसवन्त सिंह राणा, श्री विपिन शर्मा ये और बोलने वाले थे, इनसे भी माफी चाहता हूँ।

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे सदस्यों ने वाटर लागिंग के ऊपर और वाटर बार्न डिसीज के ऊपर अपनी कन्सर्न शो की है। निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लिए ये बहुत ही अहम मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों

एक दिन भारी वर्षा के कारण एक दिन ट्रैफिक की भी बहुत समस्या रही, इसमें दो राय की बात नहीं है। उसके देखते हुए 30 अगस्त को एक मीटिंग भी हम लोगों ने बुलाई थी जिसमें तमाम किमश्नर्स पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक, पुलिस और तमाम अधिकारियों को बुलाकर उनका आपस में कोआर्डिनेशन कराया था ताकि वाटर लॉगिंग की वजह से बाकी प्राब्लम्स लोगों को जो ट्रैफिक की और रोडस पर जो वाटर लागिग हो रही है, उसकी वजह से अन्य लोगों को निवारण मिले। हम लोगों ने यह तय किया है क्योंकि बड़ी रोड्स पीडब्ल्यूडी के पास आई हैं अभी 4 महीने हुए हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने पूरा एक रोड मैप तैयार किया है। उन रोडस के लिए तािक आने वाले समय में उनकी ड्रेन्स बेटर कंडीशन्स में हों। वाटर लागिंग उनमें न हो रोडस जहाँ नई बननी हैं, वह बनें। तो इन तरह का रोड मैप पीडब्ल्यूडी ने तैयार किया है। एमसीडी को भी डायरेक्शन दी गयी हैं कि उनकी वे रोडस जो तीनों एमसीडी के पास हैं, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस और इनका आपस में कोआर्डिनेशन भी हमने करवाया कि उन रोडस पर जहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है, उन में किन-किन रोडस पर प्राब्लम रहती है, उसकी एक लिस्ट बनाकर भी तीनों एमसीडी को दी है। हालांकि एमसीडी के कमिश्नर ने मुझे बताया है कि तमाम कालोनीज में जहाँ वाटर पंप की जरुरत है, तीनों की तीनों एमसीडी ने वहाँ का इंतजाम किया है, जो हर साल ड्रेन साफ करते हैं। आजकल डिपार्टमैन्टली ये करा रहे हैं। वो इन्होंने कराया है। लेकिन मैं सदस्यों की इस बात से सहमत हूँ कि उस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। एमसीडी के तीनों किमश्नर्स से हमने कहा हैं, क्योंकि अभी तीनों एमसीडी बनी हैं। मुझे ख़ुशी है कि तीनों कमिश्नर्स हमारे बहुत इन्ट्रेस्ट लेकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। उनको विशेष कर यह आदेश दिया गया है कि वाटर लागिंग एक ऐसी प्राब्लम है, जब तक नाले साफ नहीं होंगे नहीं, जो सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रैक्टिकली हम लोग जानते हैं कि किस तरह की परेशानियाँ नगर लोग एज ए किमश्नर (एमसीडी) हमने वहाँ पर भेजे हैं। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में स्थिति बेहत्तर हो और वाटर बार्न डिसीज के लिए आलरेडी डिसीज के सर्विलेन्स के लिए तीनों एमसीडीज काम कर रही हैं। उनको हम हेल्थ एजुकेशन कैम्पेन भी चला रहे हैं ताकि लोग जागरुक हों, जो इस पानी की वजह से डिसीजेज होती हैं, निरन्तर उसके लिए कैम्पेन्स और जो जो जरुरत है करने की उससको एमसीडीज तीनों कर रही हैं। लेकिन मैं अपने सदस्यों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वाटर लॉगिंग का कन्सर्न है, ये केवल आपका नहीं है, हमारा नहीं है, इस पर कोर्ट ने भी अपना कन्सर्न शो किया है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है। इसको देखते हुए हमने एक कमेटी यूटी सैक्रेटरी की चेयरमैन शिप में बनाई है जो इस वाटर लॉगिंग की प्राब्लम को विशेषकर उसे मॉनीटर करेगी, जिसमें तीनों किमश्नर और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और तमाम डिपार्टमैन्ट के हेडस इसके मेम्बर हैं। तो ये कमेटी न केवल वाटर ड्रेनज की प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी, बल्कि जो भी नगर निगम के काम में कहीं किमयाँ हैं, खामियाँ हैं, जो आपने सुझाव दिये कि इस तरह के काम उसमें होने चाहिए, उसमें उसको भी ये कमेटी उसको एड्रेस करेगी और ये कमेटी दिल्ली सरकार को भी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और हाईकोर्ट को भी हमको ये रिपोर्ट जमा करनी है। तो मुझे उम्मीद है, एमसीडी पहले से ज्यादा अच्छे से, पहले से ज्यादा अवेयर होकर ये काम करेगी। ताकि आगे आने वाली बरसातों में इस तरह की प्रॉब्लम न हो और ड्रेनेज की सफाई वह एक रेगुलर काम है। वो खाली ये नहीं कि बरसातों का हम इन्तजार करें और बरसात से पहले उनकी सफाई करें। वो एक रंगुलर काम है, दूसरा नसीब सिंह जी और दूसरे हमारें और मेम्बर्स ने मुझे खत भी लिखें हैं और आपने ये बात उठायी की जो कम्युनिटी हाल्स हैं या एमसीडी के प्ले ग्राउण्डस हैं, जो काउन्सलर्स के एनओसी के ऊपर हो रहा है, वह हमारे संज्ञान में बात आई है और निश्चित रुप से जो आपने मुझे खत लिखा था जिसमें आपने मुझसे ये पूछा था कि किस रुल के तहत ये हो रहा है। ऐसा कोई कानून हमने क्योंकि जो रुल्स एण्ड रेगुलेशन बनते हैं या एक्टस में अमेन्डमैन्टस होती हैं, वो विधान सभा के अंदर होती हैं या पहले पार्लियमैन्ट के अंदर होती थी। तो मैंने पता कराया है हमने कोई भी ऐसा अमेन्डमैन्ट नहीं किया, जिसमें कोई भी ऐसा रुल नहीं है, जिसके अंदर ये मेनडेटरी है कि कोई निगम पार्षद या कोई एमएलए एनओसी देगा, तो तभी ग्राउण्ड बुक होगा।

इस मामले में मैंने आलरेडी डिपार्टमैन्ट को ये इंस्ट्रक्शन दी हैं कि वो स्पष्टीकरण तीनों किमश्नर्स से मांगें कि किस रुल के तहत इसको फॉलो किया जा रहा है। अगर इसको फॉलो किया जा रहा है तो निश्चित रुप से हम इसमें जवाब मांगेंगे। कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो इस बात का प्रावधान देता हो कि किसी एमपी की, एमएलए की या काउन्सलर की एनओसी की जरुरत है एमसीडी प्रापर्टी बुक करने के लिए।

कंवर करण सिंह: अध्यक्ष महोदय, वे कहते हैं कि रेजोल्यूशन......

श्री नसीब सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में सिंथैटिक दूध आ रहा है। कुछ लोग अपने लिए गाय या भैंस रख रहे हैं, उसके लिए प्रावधान था, अगर नहीं है तो उसे करवाया जाये और अगर है तो उसे चालू करवाया जाये।

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष जी, इसको examine करा लेते हैं। इसमें कोई कोर्ट केस है। मैं इसको एग्जामिन करा लेता हूँ और इसकी जो भी factual position होगी। अगर factual position की accordingly इसके ऊपर हम लोग निर्णय लेकर जरुर राहत देने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः श्री तरिवन्दर सिंह मारवाह।

श्री तरिवन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है कि जो उन्होंने गाँव वाले लोगों को जगह दी है। लेकिन कोर्ट ने एक गाय रखने का और एक भैंस रखने का आज तक कोई डिसीजन नहीं दिया है। गाँव का हर व्यक्ति जिसको भी जरुरत है वो गाय भी पाल सकता है। गाय को तो लोग वैसे भी पालते हैं। उसकी पूजा करते हैं। अध्यक्ष जी, कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आज एक और अल्पकॉलिक चर्चा लगी हुई थी जिसमें डॉ. हर्षवर्धन, श्री धर्मदेव सोलंकी, डॉक्टर एस.सी.एल. गुप्ता ने लगाई थी, वे सदन में नहीं हैं। अत: यह चर्चा नहीं ली जा रही है। अब सदन की कार्यवाही 7 सितम्बर, 2012 को अपराहन दो बजे तक स्थिगत की जाती है।

(अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही 07 सितम्बर, 2012 को अपराहन 2.00 बजे तक स्थगित की।)

बृहस्पतिवार <u>06 सितम्बर, 2012</u> भाद्रपद 15, 1934 ( शक )

# दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही



चतुर्थ विधान सभा ग्यारहवाँ सत्र

अधिकृत विवरण (खण्ड-11 में अंक-81 से 84 तक सम्मिलित है)

> दिल्ली विधान सभा सचिवालय पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

#### सम्पादक वर्ग Editorial Board

पी.एन. मिश्रा सचिव

P.N. MISHRA
Secretary

लाल मणी

उप-सचिव (सम्पादन)

LAL MANI

Deputy Secretary (Editing)

## विषय सूची

### 

	201 (111-111) 0 1(111-111) 120 127 11X (4 10) 170 1 (41-11)	
क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1
2.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	3
	(प्र.सं. 41 से 43)	
3.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	33
	(प्र.सं. 44 से 60)	
4.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	53
	(प्र.सं. 148 से 216)	
5.	नियम-280 के अतर्गत विशेष उल्लेख	143
6.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	159
7.	विधेयक पर विचार एवं पारित करना	165
	(दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर संशोधन विधेयक, 2012)	
8.	विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारित करना।	169
	(दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012	
	(2012 का विधेयक संख्या-14)	
9.	अल्पकालिक चर्चा	170
	(अनिधकृत कालोनियों की स्थिति पर)	
10.	नियम 292 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अनिधकृत कालोनियों में विकास कार्य करने हेतु)	189
	अल्पकालिक चर्चा	100
11.	अल्पकालिक चर्चा (बरसातों में तीनों दिल्ली नगर निगम की सड़कों पर जल भराव व बरसा	189 ਸ਼ਰੀ
	नालों की सफाई से उत्पन्न स्थिति, बरसात के दिनों में महामारी फैलने से	
	उत्पन्न स्थिति पर)	